जानने योग्य

"गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में"

"वर्षाजल का संग्रह करके बेडज गाँव ने पानी की समस्या हल की है। "

पानी की कीमत समझ कर उसका जतन करने की समझ अरवल्ली जिले के पिछड़े गांव बेडज के ग्रामजनों ने बनायी है। लगभग 2.25 करोड़ लीटर (2 लाख घनमीटर) वर्षाजल रोककर, संग्रह कर, क्षेत्र को हरित बना दिया गया। गाँव के लोगों का ही एक संगठन बनाकर गाँव एवं उस क्षेत्र की प्राथमिक समस्या 'पानी की समस्या' का निराकरण करने का लक्ष्य बनाया एवं उन्हें साथ मिला सामाजिक संस्था का। उस संस्था के सहयोग से बेडज के ग्रामजनों को जाग्रत किया गया एवं गाँव का पानी गाँव में एवं खेत का पानी खेत में से बाहर न जाने देने के लिए सब संकल्पबद्ध हुए। लगभग 7 बीघा क्षेत्र में फैले तालाब को सिर्फ तीन महीने में 20 से 22 फुट गहरा किया गया एवं सामाजिक संस्था द्वारा मिले आर्थिक सहयोग से सिर्फ बेडज क्षेत्र में 10 चेकडेम, 11 खेत तलैया, 25 हेक्टर में ड्रीप, 10 हेक्टर में पाइपलाइन, गहरी जुताई, मेड़ बनाकर लगभग दो लाख घनमीटर वर्षाजल को रोक कर, संग्रह कर पथरीली एवं सूखी जमीन को हरित बनाकर, दूसरों को राह बताई है। इससे बेडज में 154 बीघा जमीन को सिंचाई की नयी सुविधा मिली है। मात्र एक वर्ष में 12.5 % दूध बढ़ा है। कुओं में 20 प्रतिशत पानी बढ़ा है। जिससे कृषि उपज का उत्पादन बढ़ा है। आज मेघरज में पानी की तंगी में भी बेडज की 136 बीघा जमीन में जायद फसल लहरा रही है।

जल व्यवस्था के लिए निम्नलिखित मुद्दे ध्यान में रखने चाहिए :

- बाग-बगीचे, वाहन, शौचालय तथा वाश-बेसिन में उपयोग लिए जानेवाले पानी का मितव्ययिता पूर्ण उपयोग करना चाहिए।
- लोकजागृति उत्पन्न कर तथा जल संरक्षण एवं उसके कुशल व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रवृतियों में लोक सहयोग बढ़ाना।
- उपयोग में लिए गए पानी को जितना संभव हो उतना पुनः उपयोग हो ऐसे प्रयत्न करना।
- जलाशयों को प्रदूषण से बचाना।
- जलस्त्राव की सभी इकाइयों में कुएँ, ट्युबवेल, खेत-तलैया आदि का उपयोग बढ़ाना।
- भूमिगत जल का उपयोग करनेवाली इकाइयों पर ध्यान रखना।
- जल संचय स्थानों की दुर्दशा तथा जलप्रदूषण को रोकने के लिए पानी की पाइपों का तुरंत रिपेरिंग काम करना

प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक समान उपाय नहीं किए जा सकते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र के जल संसाधनों का विकास एवं व्यवस्थापन के लिए संबंधित स्थानीय लोगों का सहकार लेकर उन्हें जोड़ना चाहिए।

इस तरह जल का मितव्ययिता पूर्ण उपयोग करना चाहिए। जलसंचय के लिए नवीन पद्धतियाँ उपयोग में आ रही हैं। वर्षा हो या न हो, जल संकट हम पर फैला है। खेत हो या पनिहारी, हमें पानी की बूँद-बूँद बचाने की आवश्यकता है। जल ही जीवन है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए :

(1) जल संसाधन की सुरक्षा के उपाय बताइए।

(2) भारत में जल संकट उत्पन्न होने के संयोग बताइए।

(3) वृष्टि जल संचय के बारे में जानकारी दीजिए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्देवार उत्तर लिखिए :

(1) बहुउद्देशीय योजना का महत्त्व बताइए।

(2) सिंचाईक्षेत्र के वितरण के बारे में लिखिए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए :

(1) भूमिगत जल के उपयोग लिखिए।

(2) जल व्यवस्थापन में कौन से मुद्दों को ध्यान रखना चाहिए ?

4. नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए।

(1) भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत कौन-सा है ?

(A) वृष्टि (B) तालाब (C) नदियाँ (D) सरोवर

(2) निम्नलिखित बहुउद्देशीय योजनाओं को अनेक लाभान्वित राज्यों के साथ जोड़कर योग्य क्रम चुनिए :

(1) भाखड़ा-नांगल	(a) बिहार
(2) कोसी	(b) पंजाब
(3) नागार्जुन सागर	(c) गुजरात
(4) नर्मदा	(d) आंध्रप्रदेश

(A) (1 - b), (2 - a), (3 - c), (4 - d) (B) (1 - b), (2 - a), (3 - d), (4 - c)

(C) (1 - d), (2 - c), (3 - b), (4 - a) (D) (1 - c), (2 - d), (3 - a), (4 - b)

(3) निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य सही नहीं है ?

(A) भारत में नहरों की अपेक्षा कुएँ एवं ट्यूबवेल द्वारा होनेवाली सिंचाई का प्रमाण अधिक है।

(B) हिमालय से निकलनेवाली नदियाँ कहाँ जाती हैं ?

(C) जमीन की सतह से शोषित होकर नीचे जमा होनेवाले जल को भूमिगत कहते हैं।

(D) पंजाब एवं हरियाणा सिंचाई के क्षेत्र में अग्रसर राज्य हैं।

(4) वर्गखंड में खेत-तलैया के बारे में विद्यार्थियों की चर्चा के दौरान प्रस्तुत कौन-सा वाक्य योग्य है ?

(A) जय : उद्योग के लिए पानी प्राप्ति का महत्त्वपूर्ण संसाधन है।

(B) यश : अधिक वृक्ष लगाने के आंदोलन का महत्त्वपूर्ण अंग है।

(C) युग : जमीन का कटाव बढ़ाने की आधुनिक पद्धति है।

(D) दक्ष : वृष्टि जलसंचय की एक पद्धति है।

(5) निम्नलिखित बहुउद्देशीय योजनाओं को उनके स्थान के आधार पर उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ रखने पर कौन-सा विकल्प सही होगा?

(A) चंबल घाटी, भाखड़ा-नांगल, नर्मदा घाटी, नागार्जुन सागर

(B) भाखड़ा-नांगल, नागार्जुन सागर, नर्मदा घाटी, चंबल घाटी

(C) नागार्जुन सागर, नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, भाखड़ा-नांगल,

(D) भाखड़ा-नांगल, चंबल घाटी, नर्मदा घाटी, नागार्जुन सागर,

प्रवृति

- अपने आस-पास स्थित बहुउद्देशीय योजना की मुलाकात लीजिए।
- अपने शिक्षक से देश में अलग-अलग क्षेत्रों में उपयोग में लिए जानेवाले जलस्रोतों के बारे में विस्तार से जानिए।
- अपने गाँव या शहर में दी जानेवाली जल-आपूर्ति की जानकारी बड़े-बुजुर्गों से प्राप्त कीजिए।
- पानी के महत्त्व से सम्बन्धित गीत एवं सूत्रों के चार्ट बनाइए।
- समाचारपत्रों में जल संचय से सम्बन्धित जानकारी प्राप्तकर फोटोग्राफ्स, सूत्र, लेख एवं सरकारी विज्ञापन आदि का आल्बम बनाइए।

12 भारत : खनिज एवं शक्ति के संसाधन

आदिमानव की आवश्यकताएँ मर्यादित थीं। उस समय वह मात्र जीवन टिकाए रखने के लिए कार्य करता था। मनुष्य ने विकास के शिखर जीते हैं। मनुष्य की विकासगाथा में खनिज संसाधनों का बड़ा योगदान है। खनिज प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य की विकासयात्रा को कई चरणों में बांटा गया है। जैसे कि पाषाणयुग, ताम्रयुग, कांस्ययुग, लौहयुग एवं आधुनिक समय अर्थात् अणुयुग। पाषाण युग में मनुष्य शिकार के लिए पत्थरों का उपयोग करता था जो आज अवकाशी उड्यन करने लगा है। मनुष्य का खनिजों के साथ प्रगाढ़ एवं पुराना संबंध है। वर्तमान समय में खनिज राष्ट्र के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। यू.एस. एवं रूस खनिज के योग्य उपयोग के कारण विश्व की महासत्ताएँ बनी हैं। दोनों राष्ट्र खनिजों के वैविध्य एवं समृद्धि से संपन्न हैं। हमारे देश में भी खनिजों के विपुल भंडार होने पर भी लम्बे समय से गुलामी एवं तक्नीकी ज्ञान के अभाव में आर्थिक विकास कम हुआ है।

खनिज

प्राकृतिक अकार्बनिक क्रियाओं से तैयार निश्चित रासायनिक संरचनावाले पदार्थों को खनिज कहते हैं।

खनिज पृथ्वी के गर्भ में अनंत काल से चली आ रही अजैविक प्रक्रियायों का परिणाम है। पृथ्वी की चट्टानों में अजैविक प्रक्रियाओं के कारण बने निश्चित रासायनिक, समानगुणी संरचना तथा विशिष्ट अणुरचनावाले ठोस प्रवाही या वायु स्वरूप के पदार्थों को खनिज कहते हैं। इसके ठोस स्वरूप में लोहा, मैगनीज, सोना एवं चाँदी इत्यादि खनिज एवं प्रवाही स्वरूप में पारा, पेट्रोलियम तथा वायु स्वरूप में प्राकृतिक गैस का समावेश होता है। पृथ्वी के गर्भ में से किस प्रकार के खनिज मिलेंगे इसका आधार पृथ्वी की पपड़ी (सतह) की रचना किस प्रकार हुई है, उस पर है। जैसे कि आरनेम चट्टानों से लोहा, तांबा, जस्ता, सोना एवं चांदी जैसी खनिजें मिलती हैं। प्रस्तर चट्टानों में से ऊर्जा के खनिज कोयला, खनिजतेल एवं प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है। जबकि स्लेट, संगमरमर एवं हीरा रूपान्तरित चट्टानों से मिलता है।

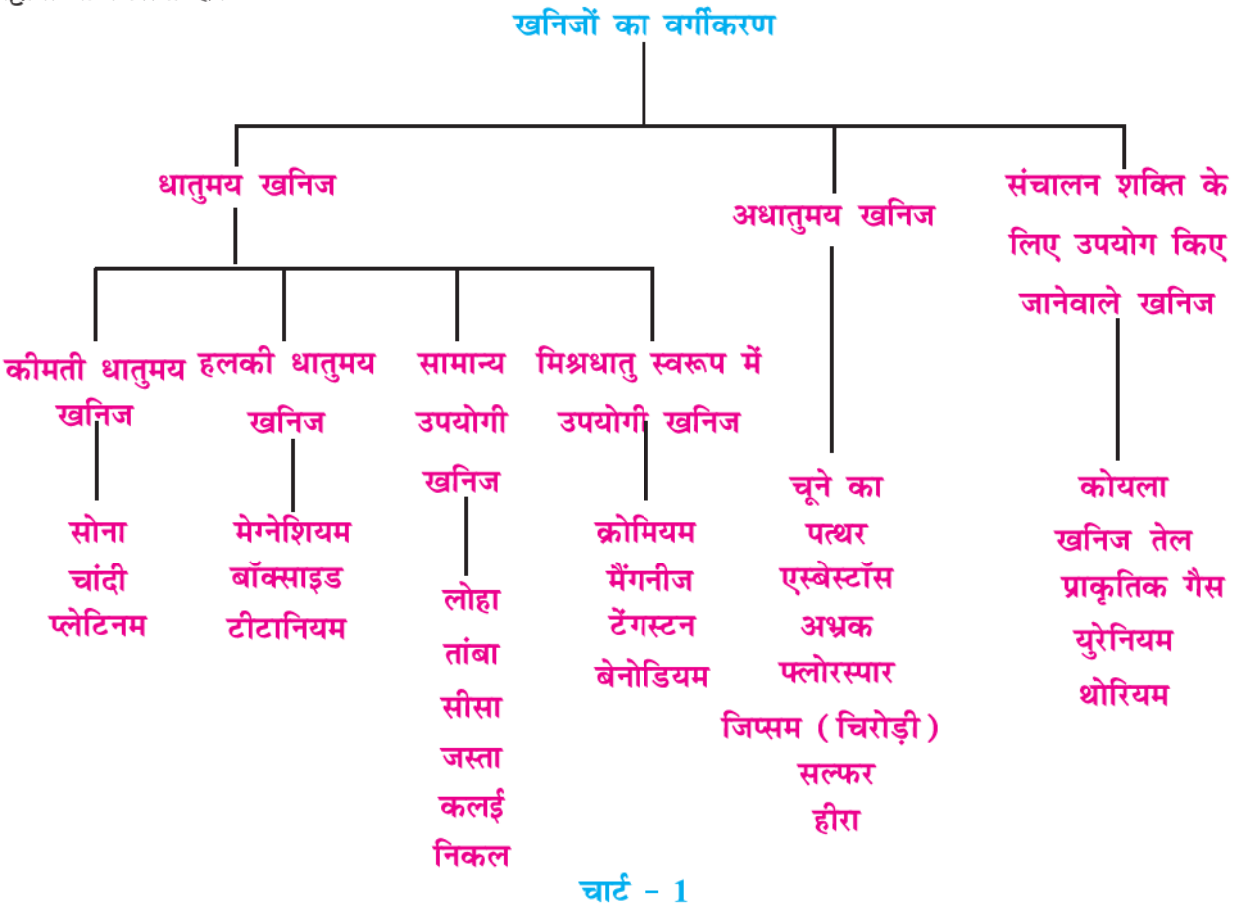

चार्ट - 1

लोहा (लौह अयस्क, Iron Ore) : लोहा आधुनिक विश्व के औद्योगिक विकास का आधाररूप खनिज माना जाता है। आल्पिन से लेकर बड़े यंत्र, मोटरगाडियाँ, जहाज, रेलवे, पुल, मकान एवं शस्त्र बनाने के लिए इसका व्यापक उपयोग होता है। यह सस्ता, मजबूत, टिकाऊ भी है। अधिकतर राष्ट्रों में सरलता से मिलता है। इसका अन्य धातुओं में मिल जाने का गुणधर्म होने के कारण यह महत्त्वपूर्ण खनिज माना जाता है।

लोहा अशुद्ध स्वरूप में मिलता है इससे कच्ची धातु को शुद्ध करने के लिए कोक एवं चूने के साथ विशाल भट्ठी में तपाकर गलाया जाता है। इसे ढलुवा लोहा कहते हैं एवं इसमें से कार्बन तत्त्व दूर करने पर लोहा मिलता है, जिसे ढलाई का लोहा कहते हैं।

भारत में मिलनेवाले लोहे को कच्ची धातु के चार प्रकार हैं : (1) हेमेटाइट (2) मेग्नेटाइट (3) लिमोनाइट (4) सिडेराइट

भारत में सर्वाधिक लोहा कर्नाटक राज्य में से मिलता है। इसके बाद क्रमशः ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ एवं आंध्रप्रदेश में से प्राप्त होता है। इसके उपरान्त गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तरप्रदेश एवं असम आदि राज्यों में से लोहा मिलता है।

मैगनीज (Manganese) : मैंगनीज यह लोहा-फौलाद उद्योग के लिए महत्त्वपूर्ण धातु माना जाता है। इसका मुख्य उपयोग लोहे में से फौलाद बनाने में होता है। इसके अन्य उपयोग में रासायनिक उद्योग-ब्लीचिंग पाउडर, जन्तु-कीटनाशक, शुष्क बैटरी एवं टाइल्स बनाने में होता है। इसके उपरांत चमड़ा उद्योग, कांच उद्योग, दियासिलाई उद्योग, फोटोग्राफी, चिनाई मिट्टी के बर्तन बनाने एवं रंगीन ईंट बनाने में इसका उपयोग होता है। मैंगनीज के मिश्रण में फौलाद की पाटे एवं सरिया में स्थितिस्थापकता (flexibility) एवं मजबूती आती है। तोड़ने या पीसने के यंत्रों को बनाने में फौलाद का उपयोग किया जाता है।

ओडिशा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं गोवा इसके मुख्य उत्पादक राज्य माने जा सकते हैं। तदुपरांत आंध्रप्रदेश, झारखंड, राजस्थान एवं गुजरात में से भी मैंगनीज प्राप्त होता है।

तांबा (Copper) : तांबे का उपयोग आदिकाल से किया जा रहा है। मनुष्य को सर्व प्रथम उपयोग में आई हुई यह धातु थी। इसके मिश्रण होने के गुण के कारण इसका महत्त्व अधिक है। इसमें कलई मिलाकर कांसा बनता है एवं जस्ता मिलाने से पीतल बनती है। इसका अधिकांशतः बिजली के साधनों में, टेलीफोन, रेडियो, टेलूविजन, रेफ्रिजरेटर एवं एयरकंडीशनर आदि साधनों को बनाने में उपयोग होता है। यह विद्युत की सुवाहक धातु है। इसके उपरांत जंतुनाशक दवाओं, स्फोटक पदार्थ, रंगीन कांच, सिक्के एवं छपाईकाम में भी यह उपयोग में होता है।

भारत में तांबे का उत्पादन करनेवाले मुख्य राज्य झारखंड, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान हैं। इसके उपरांत सिक्किम एवं आंध्रप्रदेश में से भी प्राप्त होता है। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में भी तांबा प्राप्त होता है।

बॉक्साइट (Bauxite) : यह धातु एल्युमिनियम की कच्ची धातु है। यह सर्व प्रथम 1821 में फ्रांन्स के ले-बाक्स के पास से मिली थी। बॉक्साइट में से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसके विशिष्ट गुण के कारण इसके विविध उपयोग हैं। यह वजन में हलकी, मजबूत, टिकाऊ, विधुत का सुवाहक, जंग-प्रतिरोधक, एवं सरलता से पीटा जा सकता है। इसका उपयोग गृह उपयोग के बर्तन, बिजली के साधन रंग एवं हवाई जहाज को बनाने के उद्योग में अधिक प्रमाण में होता है।

भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात से बॉक्साइट मिलता है। यह खनिज डेक्कनट्रेप की भूस्तरीय रचनावाले प्रदेश में से मिलती है। उत्तराखंड में रांची, गुजरात में जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत एवं साबरकांठा जिले में से बॉक्साइट प्राप्त होते हैं।

अभ्रक (Mica) : विश्व में भारत अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अभ्रक अग्निरोधक, विद्युत का अवाहक, होने से इसका उपयोग बिजली के साधन बनाने में होता है। जैसे की बिजली की मोटर, डायनेमो, रेडियो, टेलीफोन, मोटरगाड़ी, हवाईजहाज इत्यादि की बनावट में यह उपयोगी है।

भारत में बिहार, झारखंड, आंध्रप्रदेश एवं राजस्थान अभ्रक के उत्पादन के मुख्य राज्य हैं। इसके उपरांत कर्नाटक, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु में से भी अभ्रक प्राप्त होता है। भारत में मस्कोवाइट नामक अभ्रक का विशाल भंडार मिला है।

सीसा (Lead) : सीसे की धातु को गेलेना कहते हैं। यह मुलायम एवं वजन में भारी होता है। इसका उपयोग मिश्र धातु बनाने, बिजली के तार, रंग, शस्त्र, कांच, रबर तथा स्टोरेज बैटरी की बनावट में होता है।

भारत में सीसा अधिकतर राजस्थान, आंध्रप्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य में से मिलता है। पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मेघालय एवं सिक्किम जैसे राज्यों में से सीसा मिलता है।

सीसे का उत्पादन खूब अधिक प्रमाण में होने के बावजूद यह हमारी आवश्यकताएँ पूरी नहीं करता है। इसे विदेश में से आयात करना पड़ता है।

चूने का पत्थर (Lime Stone) : चूने का उपयोग सीमेन्ट बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। तदुपरांत यह लोहा गलाने एवं रासायनिक उद्योग, सोडाएश, साबुन, रंग-रसायन, भवन-निर्माण, कागज एवं चीनी शुद्धीकरण में उपयोग होता है।

देश में 70 % चूने का उत्पादन करनेवाले राज्य आंध्रप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात एवं तमिलनाडु हैं। इसके उपरांत छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश चूने का पत्थर उत्पन्न करनेवाले अन्य राज्य हैं।

गुजरात के मुख्य उत्पादक जिले जूनागढ़, जामनगर, कच्छ, अमरेली एवं खेड़ा माने जाते हैं। बनासकांठा, महेसाणा, साबरकांठा, वडोदरा, पंचमहाल, भरुच, नर्मदा, सूरत, भावनगर एवं राजकोट आदि जिलों में भी चूने की चट्टान पाई जाती है। जामनगर जिले से प्राप्त होनेवाले चूने के पत्थरों में 97 % चूने का तत्त्व मिलता है।

संचालन शक्ति के खनिज

किसी भी देश के आर्थिक विकास की नींव में संचालन शक्ति के खनिज महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे राष्ट्र के उद्योग एवं अर्थतंत्र को चलायमान रखते हैं। इनमें कोयला, खनिजतेल, प्राकृतिक गैस एवं अणु खनिजों का समावेश होता है।

संचालन शक्ति के संसाधनों का वर्गीकरण

शक्ति के संसाधनों का अलग-अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे कि परंपरागत एवं बिनपरंपरागत शक्ति के संसाधन एवं व्यापारिक एवं बिनव्यापारिक शक्ति संसाधन।

कोयला, खनिजतेल, प्राकृतिक वायु एवं अणु खनिजे परंपरागत या व्यापारिक संसाधन माने जाते हैं। ये पुनः अप्राप्य शक्ति संसाधन भी हैं। इन खनिजों का उपयोग कर विद्युत प्राप्त की जाती है। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भू-तापीय ऊर्जा, एवं ज्वारीय ऊर्जा बिनपरंपरागत शक्ति संसाधन हैं। पुनः अप्राप्य संसाधन भी माना जा सकता है। लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकडियाँ, गोबर के कंडे जैसे बिनव्यापारिक शक्ति संसाधन हैं।

कोयला (Coal) : प्राचीन काल से मनुष्य कोयले का उपयोग शक्ति संसाधन के रूप में करता आया है। हमें यह प्रश्न होगा की कोयला पृथ्वी के भूगर्भ में किस प्रकार बना होगा? प्राचीन समय में पृथ्वी पर जंगलों का साम्राज्य

था। पृथ्वी के गर्भ में होनेवाली आंतरिक संचलन क्रियाओं के कारण ये वनस्पतियाँ पृथ्वी के गर्भ में दब गईं। इसके परिणाम स्वरूप आंतरिक गरमी (उष्मा) एवं दबाव के कारण कार्बन तत्त्ववाले वृक्षों एवं प्राणियों का मंद दहन होता गया। इससे वनस्पतियों में से रूपान्तरित होकर कोयला बना, लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले का समय कार्बोनिफेरस समय अन्तराल के रूप में पहचाना गया। इस दौरान वृक्षों का धीरे-धीरे मंद दहन होने से इसका कार्बन तत्त्ववाले कोयले में रूपांतरण होता गया।

भापतंत्र की खोज से कोयले का उपयोग बढ़ता गया। इससे रेल एवं पानी के जहाज जैसे परिवहन के साधनों का उपयोग सरल बनता गया। फिर विद्युत की खोज से तापविद्युत के उत्पादन में कोयला महत्त्वपूर्ण खनिज बनता गया।

कोयले में से कुछ उप-उत्पादन भी मिलते हैं। जैसे कि डामर, अमोनिया गैस, अमोनियम सल्फेट, बेन्जोल तथा क्रूडओइल।

यह प्रस्तर चट्टानों में से प्राप्त होता है। इसके कार्बन तत्त्व के आधार पर चार प्रकार होते हैं : (1) एन्थ्रेसाइट कोयला (2) विट्युमिनस कोयला (3) लिग्नाइट कोयला एवं (4) पीट कोयला।

भारत में कोयले के भंडार : भारत में कोयला उत्पादन करनेवाले मुख्य राज्यों में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं जम्मू कश्मीर है। तदुपरांत राजस्थान, तमिलनाडु, असम एवं गुजरात में भी कोयले का उत्पादन होता है।

गुजरात में खनिज कोयले के क्षेत्र कच्छ, भरुच, महेसाणा, भावनगर एवं सूरत हैं। यहाँ से लिग्नाइट कोयला मिलता है।

खनिजतेल (Petroleum) : यह रेती पत्थर, चूना पत्थर, शेल आदि प्रस्तर चट्टानों से मिलता है। प्राचीन समय में कोयले की रचना की तरह ही पृथ्वी पर के प्राणी भूगर्भ में दबे एवं उनका हाइड्रोकार्बन्स में रूपान्तरण हुआ। यह स्वरूप लगभग प्रवाही स्वरूप में था। आंतरिक संचालनों के परिणाम स्वरूप इस स्वरूप के स्तर धीरे-धीरे भूस्तर की ओर उठते गए। कुछ समुद्र के तल में आए तो कुछ भूगर्भ से ऊपर आते गए।

भारत में 1866 में असम में तेल के कुएँ खोदे गए। 1867 में माकुम(असम) से खनिजतेल प्राप्त हुआ, उसके बाद भारत में अन्य स्थलों से खनिजतेल के भंडार मिले हैं।

भारत के खनिजतेल के भंडारों को 5 विभागों में बाँटा गया है : (1) उत्तरपूर्व के तेल क्षेत्र (2) गुजरात के तेल क्षेत्र (3) बॉम्बे हाई के तेल क्षेत्र (4) पूर्व किनारे के तेल क्षेत्र (5) राजस्थान के तेल क्षेत्र।

गुजरात के तेल क्षेत्र : स्वतंत्रता के बाद 1958 में गुजरात के खेड़ा जिले के लुणेज से सर्वप्रथम खनिजतेल प्राप्त हुआ। इसके बाद अंकलेश्वर, महेसाणा, कलोल, नवागाम, कोसंबा, साणंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, भरुच एवं भावनगर में से खनिजतेल मिला है।

खनिजतेल का शुद्धीकरण

भारत की रिफाइनरियाँ गुवाहाटी, बरौनी, कोयली, कोचीन, चेन्नई, मथुरा, कोलकाता एवं हल्दिया का समावेश होता है। विश्व का सबसे बड़ा खनिजतेल शुद्धीकरण संकुल गुजरात के जामनगर में आया हुआ है।

प्राकृतिक गैस (Natural Gas) : प्राकृतिक गैस खनिजतेल के साथ संलग्न होती है। इसमें से अलग होकर वह बाहर निकलती है। यह सस्ता एवं प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस के भंडार एवं खंभात बेसिन, कावेरी बेसिन तथा जैसलमेर (राजस्थान) में से प्राप्त हुए हैं। गुजरात का अंकलेश्वर खनिजतेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडारवाला क्षेत्र माना जाता है।

ऊर्जा के बिनपरंपरागत साधन

कोयला या खनिजतेल के जैसे शक्ति के संसाधन मर्यादित भंडार में उपलब्ध हैं। इसे लंबे समय तक बचाकर रखने के लिए इसका विकल्प खोजने के प्रयत्न आरंभ हुए हैं। इसके विकल्प स्वरूप पवनऊर्जा, सौरऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा एवं भू-तापीय ऊर्जा का समावेश होता है। ये सभी ऊर्जा स्रोत पुनः ऊर्जा के संसाधन हैं। कुछ लोग इसे अखूट शक्ति संसाधन के रूप में बताते हैं।

विश्व के देशों ने इन क्षेत्रों में कदम उठाए हैं। यू.एस, रूस, फ्रान्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड एवं जापान आदि देश इस दिशा में असरकारक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। 1981 में ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत आयोग Commission for Additional Sources of Energy (CASE) की रचना की गई। गुजरात में Gujarat Energy Development Agency (GEDA) गुजरात ऊर्जा विकास संस्था इस दिशा में कार्यरत है।

सौर ऊर्जा (Solar Energy) : सूर्य पृथ्वी सतह पर ऊर्जा का मूल स्रोत माना जाता है। वह वर्ष दरमियान अधिकतर दिन प्रकाशित रहता है। सौरऊर्जा के कारण समग्र पृथ्वी का जीवावरण जीवंत रहता है। सौरऊर्जा की तक्नीकि द्वारा भारत में काफी प्रगति हुई है। सोलर कूकर का उपयोग कर रसोई बनाना, सोलर हीटर का उपयोग कर पानी गरम करना, सोलर पेनल द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है।

गुजरात देश का सर्वाधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करनेवाला राज्य है। गुजरात ऊर्जा विकास एजन्सी (GEDA) ने छाणी (वडोदरा) के पास 10 टन की क्षमतावाला सौर शीतागार स्थापित किया है। वर्तमान समय में बिजली बिना के गांवों में रोडलाइट, खेतों में सिंचाई एवं टीवी के लिए सौर पेनल्स लगाई गयी है। गुजरात में भुज के पास माधापर में समुद्र के खारे पानी का डिसोलिनेशन (मीठा पानी बनाने की क्रिया) करने के लिए सौरऊर्जा प्लान्ट लगाया गया है। आज देश में सौर ऊर्जा से चलनेवाले उपकरणों का प्रचलन बढ़ा है।

पवन ऊर्जा (Wind Energy) : पृथ्वी की सतह पर सूर्य ऊर्जा बरसाता है। वातावरण में उत्पन्न होनेवाले भारी एवं कम दबाव के कारण पवन (हवाएं) उत्पन्न होते हैं। हमारे देश में समुद्रकिनारे एवं खुले प्रदेशों में पवनचक्कियों द्वारा पवन ऊर्जा प्राप्त की जाती है। विश्व में भारत पवन ऊर्जा प्राप्त करने वाला पाँचवाँ देश बना है।

भारत में पवन ऊर्जा प्राप्त करनेवाले राज्यों में से गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश एवं केरल का समावेश होता है।

गुजरात में जामनगर के लांबा गांव में एवं कच्छ में मांडवी के किनारे विन्डफार्म कार्यरत हैं। देवभूमि द्वारका, जामनगर, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर आदि जिलों में ऊँचाई पर पवनचक्कियां लगाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है।

बायोगैस (Bio-Gas) : बायोगैस के उत्पादन में काम बिना के कृषिपदार्थ, गन्ने का खोई, अन्य वनस्पति, गोबर एवं मनुष्य मलमूत्र का समावेश होता है। इन पदार्थों के सड़ने से मिथेन वायु मुक्त होती है। यह दहनशील वायु है। इसके उपयोग के बाद विषाणु बिना की कीमती खाद प्राप्त होती है। इस तरह ऊर्जा और खाद दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। यह ऊर्जा प्राप्ति का बिनपरंपरागत शक्तिसंसाधन है। सौर ऊर्जा एवं बायोगैस दोनों शक्तिसंसाधन भारतीय गाँवों की परंपरागत जीवन शैली को बदल सके, ऐसे हैं। ग्राम्यक्षेत्रों की स्वच्छता में वृद्धि होती है तथा इससे घरेलू ऊर्जा की कमी दूर होती है।

उत्तरप्रदेश एवं गुजरात बायोगैस के उत्पादन में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर है। गुजरात में सिद्धपुर के मेथाण में सबसे बड़ा आदर्श बायोगैस प्लान्ट बनाया गया है। यह सामुदायिक रूप से चलाया जाता है। अहमदाबाद में दसक्रोई तहसील के सदातल एवं बनासकांठा के दांतीवाडा में बायोगैस कार्यरत है। तदुपरांत व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वरूप में बायोगेस प्लान्ट की स्थापना कर उपयोग बढ़ाया जा रहा है।

भू-तापीय ऊर्जा (Geothermal Energy) : पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की भू-गर्भीय ऊर्जा, गरम फुहारें या गरम पानी के झरनों के स्वरूप में बाहर आती है। गरमी के कारण वह भाप में बदलती है। भाप पर दबाव के कारण मेग्मा के संपर्क में आने से भूमिगत जल में से ऊर्जा प्राप्त होता है। जिसका उपयोग कर भू-तापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है।

गुजरात में लसुन्द्रा, उनाई, टूवा एवं तुलसीश्याम में गरम पानी के झरने आए हुए हैं। इसमें से भू-तापीय उष्मा ऊर्जा मिलने की संभावना है।

ज्वारीय शक्ति (Tidal Energy) : सूर्य एवं चन्द्र के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर आए हुए अधिकांश समुद्रों में ज्वार-भाटे की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। पानी की इस शक्ति का उपयोग कर मनुष्य ने बिजली प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। ज्वार के पानी में शक्ति अधिक होती है। इसके साथ टर्बाइन लगाकर विद्युतशक्ति प्राप्त की जाती है। 1910 में फ्रान्स ने ज्वार-भाटा की सहायता से बिजली प्राप्त करने की योजना शुरू की। भारत में विशाल समुद्रीकिनारे होने से ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना बढ़ी है।

गुजरात के कच्छ एवं खंभात की खाड़ी में इस योजना का प्रारंभ किया गया है।

खनिज संरक्षण

मनुष्य जाति के अस्तित्व एवं विकास के लिए खनिज आवश्यक हैं। मनुष्य को खनिजसंरक्षण के सन्दर्भ में कुछ तथ्यों पर विचार करना जरूरी है। संरक्षण किसे कहते है? खनिजों का मितव्ययितापूर्ण एवं सुयोजित उपयोग अर्थात् खनिज संरक्षण। आज प्रत्येक राष्ट्र अपने विकास के लिए निर्यात बढ़ाने में प्रयत्नरत है। निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए खनिजों का अनियंत्रित उपयोग हो रहा है। इससे खनिज संरक्षण जरूरी बना है।

खनिज संरक्षण के उपाय

(1) योग्य तक्नीकि का उपयोग : खनिजें प्राप्त करने के लिए योग्य तक्नीकि का उपयोग किया जाए तो खनिजों का दुर्व्यय रुकेगा

(2) पुनःचक्र : लोहा, तांबा, एल्युमिनियम एवं कलई के अनुपयोगी भंगार को पुनः उपयोग में लेना चाहिए।

(3) खनिजों का वैकल्पिक उपयोग : अल्प प्रमाण में प्राप्त होनेवाले खनिजों का विकल्प खोजना चाहिए। बिजली के स्थान पर सौर ऊर्जा, तांबे के स्थान पर एल्युमिनियम का एवं पेट्रोल के बदले सी. एन. जी का उपयोग करना।

(4) बिनपरंपरागत साधनों का उपयोग : जल, सौर पवन, बायोगैस जैसे बिनपरंपरागत साधनों का उपयोग बढ़ाना चाहिए।

(5) टिकाऊ (पोषणक्षम) विकास : पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखकर भविष्य की पीढ़ियों को शुद्ध पर्यावरण की भेंट देना। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के प्रयत्न करना।

(6) खनिजों के अनुमानित भंडार निश्चित हों, उसके बाद उसका आयोजनपूर्ण उपयोग हो तो अधिक लम्बे समय तक उसका उपयोग हो सकता है।

खनिज संसाधनों की सुरक्षा एवं संवर्धन आवश्यक है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए :

(1) खनिज तेल के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दीजिए।

(2) खनिज संरक्षण के उपाय लिखिए।

(3) विद्युत शक्ति पर टिप्पणी लिखिए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्देवार उत्तर लिखिए।

(1) चूने के उपयोग बताइए।

(2) अभ्रक के बारे में बताइए।

(3) तांबा की उपयोगिता बताइए।

(4) खनिजों के वर्गीकरण के बारे में लिखिए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए :

(1) 'आधुनिक युग को खनिज युग कहते हैं।' क्यों ?

(2) वर्तमान में बिनपरंपरागत ऊर्जा शक्ति का उपयोग क्यों बढ़ा है?

(3) लोहे के मुख्य प्राप्ति स्थान बताइए।

(4) भारत में मैंगनीज किन-किन राज्यों में मिलती है?

4. निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए विकल्प में से योग्य विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) पालनपुर की एक स्कूल, कक्षा के विधार्थियों को बायोगैस प्लान्ट का निदर्शन करवाना चाहती है। तो उसके सबसे नजदीक का स्थान चुनिए।

(A) धुवारण (B) दांतीवाडा (C) मेथाण (D) उन्द्रेल

(2) भविष्य में भू-तापीय ऊर्जा शक्ति का उपयोग किया जा सके इसलिए भारत सरकार के कुछ अधिकारी गुजरात की मुलाकात लेना चाहते हैं।

- निम्नलिखित चार स्थानों में से तीन पर ही जाने जितना समय उनके पास है। तो किस स्थान की मुलाकात वह रद्द कर सकता है ?

(A) तुलसीश्याम (B) उनाई

(C) सापुतारा (D) लसुन्द्रा

(3) निम्नलिखित जोड़े सही बनाकर उत्तर खोजिए :

(a) चांदी, प्लेटिनम	(1) सामान्य उपयोग में ली जानेवाले खनिज
(b) मेग्नेश्यिम, टिटानियम	(2) मिश्रधातु के स्वरूप में उपयोग में ली जानेवाली खनिज
(c) सीसा, निकल	(3) कीमती धातुमय खनिज
(d) टंगस्टन, वेनेडियम	(4) हल्की धातुमय खनिज

(A) (a - 1), (b - 3), (c - 2), (d - 4) (B) (a - 3), (b - 4), (c - 1), (d - 2)

(C) (a - 2), (b - 2), (c - 4), (d - 3) (D) (a - 4), (b - 1), (c - 3), (d - 2)

(4) अभ्रक का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं है-यह खोजिए।

(A) रेडियो एवं टेलीफोन में उपयोग होता है।

(B) हिमालय में से निकलनेवाली नदियाँ मौसमी नदी कही जाती हैं।

(C) चमक देने के लिए कांच के पूरक पदार्थ के रूप में उपयोग होता है।

(D) हवाईजहाजों के ईंधन में उपयोग होता है।

प्रवृत्ति

- स्कूल के वार्षिक पर्यटन के समय किसी खनिज उत्खनन की जानकारी प्राप्त करने के लिए खान की मुलाकात लीजिए।
- खनिज उत्खनन की प्रवृति के चित्र एकत्र कर आल्बम बनाए।
- स्कूल या घर में उपयोग की जानेवाली धातुओं से बनी चीजवस्तुओं की सूची बनाइए।

13 उत्पादन उद्योग

मनुष्य के द्वारा अपनी बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षमता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को बदलकर उपयोग में लिया जा सके, ऐसी प्रक्रिया को उद्योग कहा जाता है। भारत में सिंधुघाटी की सभ्यता से ही उद्योगों की परंपरा चली आई है। उस समय में भारत में सूती कपड़ा, मिट्टी के बर्तन एवं कांसे की वस्तु तथा मनके बनाए जाते थे। अठारहवीं सदी तक भारत जहाज बनाने के उद्योग, हस्तकला एवं गृहउद्योग में आगे था। भारत के सूती कपड़े, मलमल के कपड़े, धातु के बर्तन तथा आभूषणों की विदेशों में खूब माँग रहती थी।

यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ अंग्रेज भारत में से कच्चा माल, खास कर कपास ले जाते थे। वहाँ के कारखानें में से तैयार माल भारत में ऊँची कीमत बेचा जाए एवं भारत का हस्तउद्योग टूट जाए ऐसी नीति अपनाते थे। इससे भारत के वस्त्र उद्योग को भारी नुकसान हुआ तथा भारत के कलाकार एवं कारीगर बेकार बने।

उद्योगों का महत्त्व

आज के युग में राष्ट्रों का अस्तित्व उद्योगों के विकास पर ही आधारित है। आर्थिक विकास औद्योगिक विकास के बिना असंभव है। जो देश औद्योगिक दृष्टि से जितने अधिक विकसित हुए उनकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत बनी है। यु.एस.ए., रूस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश औद्योगिक विकास के आधार पर ही समृद्ध एवं विकसित राष्ट्र बने हैं। जिन देशों में उद्योगों का विकास नहीं हुआ है अथवा कम हुआ है। वे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उद्योगों के कच्चे माल से बनी वस्तुएँ ऊँची कीमत चुकाकर विदेशों से खरीदते हैं। भारत में समग्र राष्ट्रीय उत्पादन में उत्पादन उद्योग का 29% योगदान है।

ब्रिटिश शासन काल की नीति ने भारत के औद्योगिक ढांचे की कमर तोड़ दी। पराधीनता के दरमियान भारत में आधुनिक पद्धति से उद्योगों की खास स्थापना न हो सकी। 1853 में चारकोल आधारित प्रथम लोहा गलाने की औद्योगिक इकाई स्थापित की गई, परन्तु वह निष्फल रही। सर्वप्रथम सफल प्रयत्न 1854 में सूती कपड़ा उद्योग का है। इसके बाद 1855 में कोलकाता के नजदीक रिशरा में पटसन का कारखाना लगाया गया। इसके पश्चात् 1874 में कुल्टी में कच्चा लोहा (लौह अयस्क) बनाने का कारखाना स्थापित किया गया, जो एक वर्ष पश्चात् बंद करना पड़ा। जो इसके बाद 1881 में पुनः शुरू हुआ। 1907 में जमशेदपुर में टाटा लोहा-फौलाद कम्पनी की स्थापना होने से औद्योगिक विकास को नई दिशा प्राप्त हुई।

उद्योगों का वर्गीकरण

उद्योगों को मानवश्रम, मालिकाना आधार तथा कच्चे माल के स्रोत के आधार पर इन्हें लघु उद्योग एवं भारी उद्योग इस तरह से बांटा गया। जिस उद्योग में अधिक रोजगारी मिले, उसे भारी (बड़े) उद्योग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सूती कपड़ा उद्योग। जो उद्योग किसी विशेष व्यक्ति के मालिकाना में संचालित हो एवं ऐसे उद्योगों में श्रमिकों की संख्था कम हो तो उसे लघु (छोटे) स्तर के उद्योग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप खांडसरी उद्योग। इसके उपरांत उद्योगों को निजी, सार्वजनिक, संयुक्त तथा सहकारी वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है तथा कच्चेमाल के स्रोत के आधार पर इसे कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग के वर्गों में बांटा जाता है।

कृषि आधारित उद्योग

सूती कपड़ा, पटसन, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चीनी, कागज आदि कृषि आधारित प्रवृत्तियों से प्राप्त होनेवाले कच्चेमाल पर आधारित उद्योग हैं।

सूती कपड़ा उद्योग

भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का प्रमुख स्थान है। यह उद्योग लगभग 3.5 करोड़ लोगों को

रोजगार देता है। देश में सबसे अधिक रोजगार का सर्जन कपड़ा उद्योग ही करता है। चीन के पश्चात् सूती कपड़े के निर्यात में भारत स्थान रखता है। उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से यह उद्योग देश का मुख्य उद्योग है।

मुंबई में सर्वप्रथम कपड़ा मिल की शुरुआत हुई। इसके बाद अहमदाबाद में शाहपुर मिल तथा केलिको मिल की स्थापना हुई। सूती कपड़े की मिलें प्रारंभ के वर्षों में मुंबई एवं अहमदाबाद में स्थापित हुई। सस्ता कपास, श्रमिकों की उपलब्धि, परिवहन सुविधा, निर्यात के लिए बन्दरगाह तथा बाजार क्षेत्र की अनुकूलता के कारण यहां सूती कपड़े के मिलों की स्थापना हुई। आज सूती कपड़े की मिलें देश के लगभग 100 नगरों में आई हुई हैं। वर्तमान समय में मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर एवं उज्जैन सूती कपड़े के उद्योग के मुख्य एवं परंपरागत उद्योग हैं।

महाराष्ट्र के मुंबई में सूती कपड़े की अधिक मिलें हैं। जिससे उसे सूती कपड़े का विश्वमहानगर (Cottonopolis of India) कहते हैं । तदुपरांत पूना, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव जैसे शहरों में भी यह उद्योग स्थापित हुआ है। गुजरात में अहमदाबाद को 'पूर्व का मांचेस्टर' तथा 'डेनिम सिटी ऑफ इन्डिया' भी कहा जाता है। इसके उपरांत वडोदरा, कलोल, भरुच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट आदि शहरों का भी समावेश होता है। तमिलनाडु में कोयम्बत्तूर मुख्य केन्द्र हैं। चेन्नई एवं मदुराई आदि केन्द्रों का भी समावेश होता है। उत्तरप्रदेश में कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ आदि मुख्य केन्द्र है। मध्यपदेश में इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन एवं देवास मुख्य केन्द्र हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद प्रमुख केन्द्र हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भी सूती कपड़ा उद्योग का विकास हुआ है। इस उद्योग के विकेन्द्रीकरण करनेवाले तत्त्वों में व्यापक बाजार क्षेत्र, परिवहन बैंक तथा बिजली की सुविधा है।

आज यह कपड़ा उद्योग उत्तम प्रकार की कपास की कमी पुराने यंत्रों का उपयोग, अनियमित बिजली आपूर्ति, कृत्रिम रेशेवाले कपड़ों से स्पर्धा तथा वैश्विक बाजार में तीव्र स्पर्धा की समस्याओं का सामना कर रहा है।

भारत, रूस, युनाइटेड किंग्डम संयुक्त राज्य अमेरिका, सुडान, नेपाल, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में सूती कपड़े का निर्यात करता है।

पटसन कपड़े का उद्योग

पटसन यह दूसरे क्रम पर आनेवाला भारत का मुख्य उद्योग है। पटसन एवं पटसन से बनी चीजवस्तुओं के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। पटसन के निर्यात में भारत का क्रम बांग्लादेश के पश्चात् दूसरा है। देश में पटसन के कुल उत्पादन में बंगाल लगभग 80%, आंध्रप्रदेश 10% एवं बाकी का उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा, असम, त्रिपुरा में पटसन का उत्पादन होता है।

पटसन को संशोधित करने के लिए भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है। इसकी अधिकांश मिलें हुगली नदी के किनारे आई हुई हैं। सस्ता मानवश्रम, बैंक एवं बीमा सुविधा, निर्यात के लिए बंदरगाह की सुविधा के कारण पश्चिम बंगाल में यह उद्योग केन्द्रित हुआ है।

आज विभिन्न वस्तुओं के पैकिंग में अन्य विकल्पों के कारण पटसन की मांग में कमी आई है। अधिक उत्पादन खर्च तथा बाजार में पटसन की घटती मांग जैसी समस्याओं का सामना पटसन उद्योग कर रहा है।

रेशमी कपड़े

भारत में रेशमी कपड़े के उत्पादन की सुदीर्घ परंपरा रही है। चीन के बाद भारत रेशम उत्पादन करनेवाला द्वितीय क्रमवाला देश है। भारत में चार प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है : शहतूती, इरी, टसर तथा मूंगा।

वर्तमान समय में भारत में 300 जितनी रेशमी कपड़ा बुनाई की मिलें हैं। कर्नाटक, मध्यप्रदेश, पश्चिमबंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मु-कश्मीर कच्चा रेशम तैयार करनेवाले मुख्य राज्य हैं। रेशमी वस्तुओं की निर्यात यूरोप, अफ्रीका, मध्यपूर्व के देशों में बड़े पैमाने पर की जाती है। तदुपरांत जर्मनी, सिंगापुर, यु.एस.ए, कुवैत, मलेशिया एवं रूस आदि देशों में भी निर्यात होता है। आंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रेशम को चीन की रेशम की तीव्र स्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

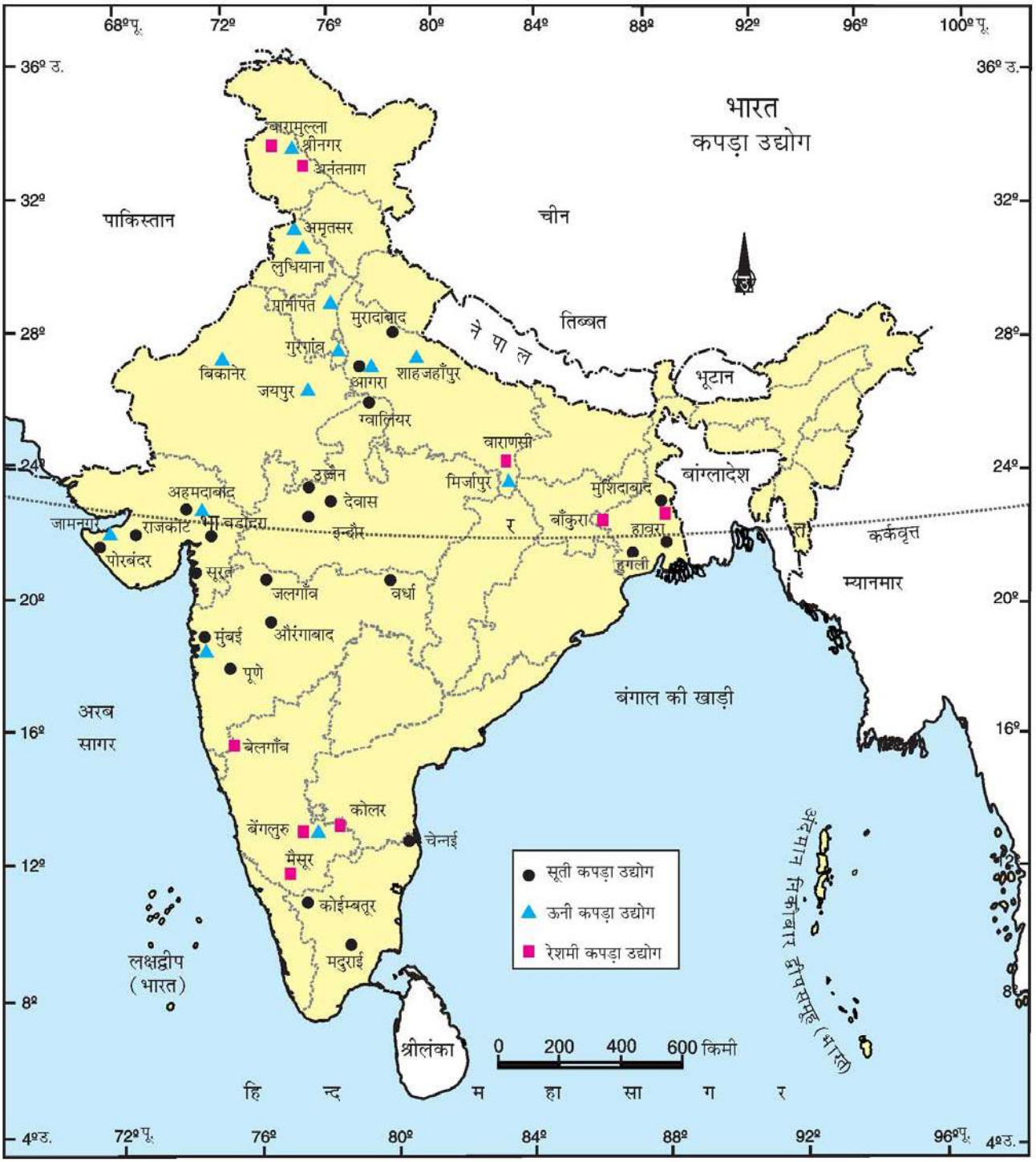

13.1 सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, रेशमी कपड़ा केन्द्र

ऊनी कपड़ा

भारत में कुटीर उद्योग के स्वरूप में ऊनी कपड़े का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे अधिक ऊनी कपड़े की मिलें पंजाब में आई हुई हैं। इसके बाद का क्रम महाराष्ट्र का आता है। उत्तरप्रदेश में भी ऊनी कपड़े की मिलें हैं। गुजरात में अहमदाबाद एवं जामनगर में ऊनी वस्त्रों के केन्द्र हैं। राजस्थान में बिकानेर, जयपुर तथा जम्मूकश्मीर में श्रीनगर, कर्नाटक में बेंग्लुरु मुख्य केन्द्र हैं। ऊन में से बने कालीन का निर्माण भी भारत में होता है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रान्स, रूस आदि देशों में ऊनी कपड़े का निर्यात होता है।

कृत्रिम कपड़ा

मानव निर्मित रेसे में से बने कपड़े मजबूत, टिकाऊ तथा सिलवट न पड़ने के कारण इस उद्योग का भी अच्छा विकास हुआ है। कपास के रेसे के साथ कृत्रिम रेसा मिलाकर मिश्रकपड़ा बनाया जाता है। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि इस उद्योग के मुख्य राज्य हैं। सूरत, वडोदरा, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मोदीनगर आदि शहर भी उल्लेखनीय केन्द्र हैं।

चीनी उद्योग

गन्ने के रस में से गुड़ बनाने का उद्योग अत्यंत प्राचीन है। कृषि पर आधारित उद्योग में कपड़े के बाद भारत में चीनी उद्योग का आता है। गन्ने में रही पानी की मात्रा कम न हो जाए, इसलिए गन्ना काटने के बाद चौबीस घंटे में उसकी पेराई करनी आवश्यक है। अन्यथा उसमें से चीनी की उत्पादकता घट जाती है। इससे चीनी तथा खांडसरी के कारखाने उसके उत्पादक क्षेत्रों के पास के स्थानों पर ही स्थापित किए जाते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में चीनी के कारखाने हैं। गुजरात में बारडोली, गणदेवी, सूरत, नवसारी, सायण, व्यारा, भरूच, कोडीनार तथा तलाला-गीर आदि स्थानों पर यह उद्योग स्थापित हुआ है।

कागज़ उद्योग

मुलायम लकड़ी, बांस, घास, गन्ने की खोह्या आदि में से कागज बनाया जाता है। आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश में यह उद्योग विकसित हुआ है।

खनिज पर आधारित उद्योग

बिन उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग होता है। उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। लोहा एवं फौलाद उद्योग, एल्युमिनियम, तांबा, रसायन उद्योग, खाद उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, परिवहन के साधन तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योग का समावेश होता है।

लोहा-फौलाद उद्योग

लोहा एवं फौलाद उद्योग आधुनिक औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की धुरी समान है। इसके उत्पादनों से ही उद्योगों के यंत्र एवं अन्य ढांचों का निर्माण होता है। इस उद्योग को चाभीरूप उद्योग माना जाता है।

भारत में लोहा बनाने की प्रक्रिया अत्यंत प्राचीन है। दमास्कस में तलवार बनाने के लिए लोहे की आयात भारत में से की जाती है। भारत में आधुनिक रूप से लोहा बनाने का प्रथम कारखाना तमिलनाडु के पोर्टोनोवा में स्थापित किया गया, परंतु कुछ कारणों से वह बंद हो गया। पश्चिम बंगाल में कुल्टी में कच्चे लोहे का सफल उत्पादन हुआ। 1907 में झारखंड राज्य के जमशेदपुर में कारखाने की स्थापना से लोहा-फौलाद का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। पश्चिम बंगाल में आए हुए बर्नपुर तथा कर्नाटक में भद्रावती में कारखाना स्थापित किया गया। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में लोहा-फौलाद के कारखाने स्थापित किए गए। बोकारो, विशाखापटनम एवं सेलम में भी आधुनिक एवं बड़े कारखाने

स्थापित किए गए। लोहा-फौलाद बनाने के लिए लौह अयस्क, कोयला, चूने का पत्थर, मैंगनीज का कच्चेमाल के रूप में उपयोग होता है। गुजरात में हजीरा के पास मिनी स्टील प्लान्ट स्थापित किया गया है। टाटा सिवाय के लोहा-फौलाद के कारखानों का प्रबंधन स्टील ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया-[SAIL] को सौंपा गया है। लोहा-फौलाद के उत्पादन में भारत का विश्व में पाँचवाँ स्थान है।

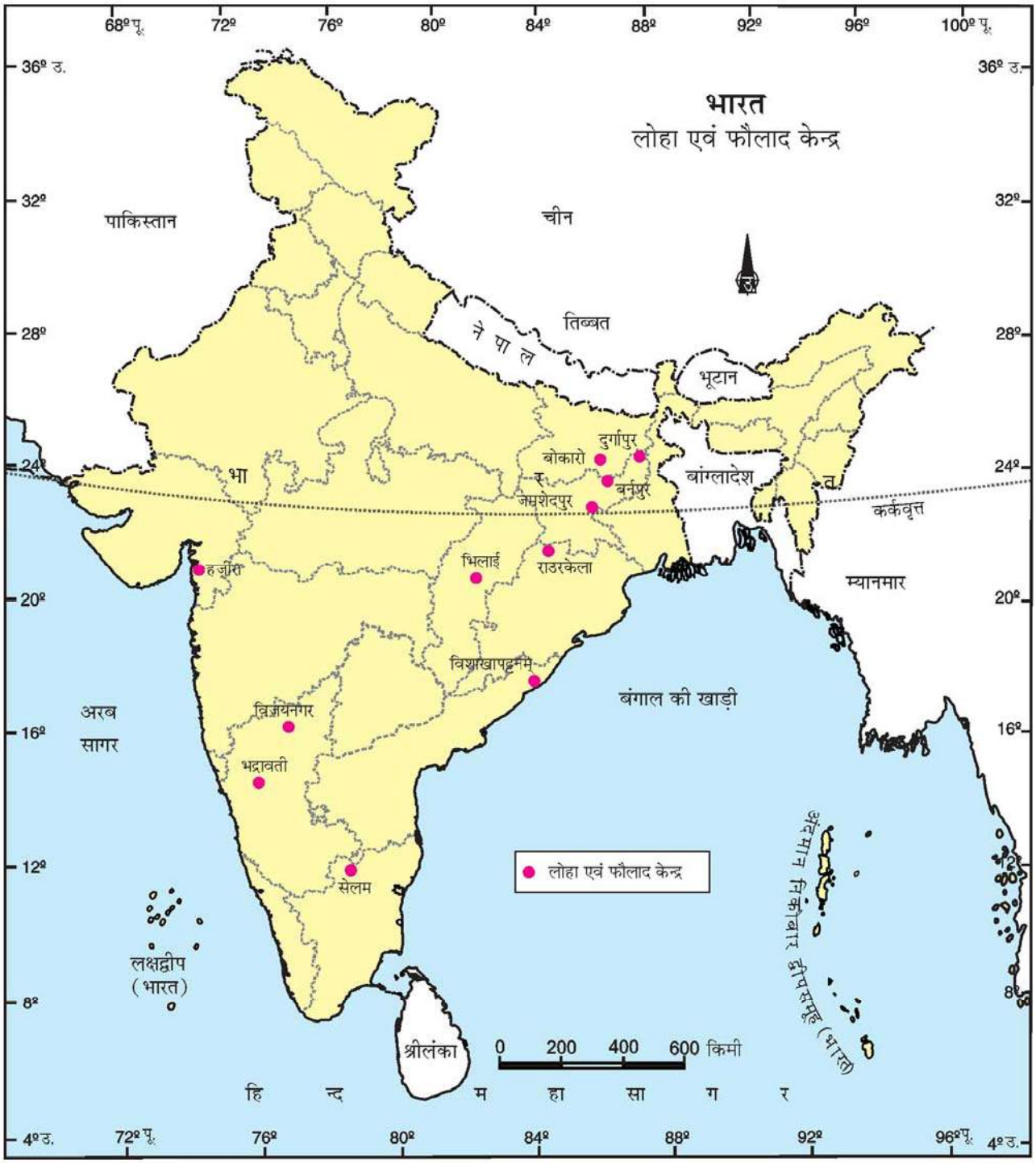

13.2 भारत में लोहा-फौलाद उद्योग के केन्द्र

एल्यूमिनियम गलाना

लोहा–फौलाद के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण उद्योग एल्यूमिनियम गलाने का है। यह धातु वजन में हल्की, मजबूत, टिकाऊ, बिजली की सुवाहक एवं जंग न लगे ऐसी विशिष्टता रखती है। बॉक्साइट यह एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। इसमें अन्य मिश्र धातुएं मिलाकर मोटर, रेल, हवाईजहाज एवं यांत्रिक साधन बनाने में उपयोगी हैं। एल्यूमिनियम के उत्पादन में 40-50 प्रतिशत खर्च बिजली में होता है। इससे जहाँ बॉक्साइट, जलविद्युत सरलता से प्राप्त हो वहाँ यह उद्योग स्थापित होता है।

ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में एल्यूमिनियम का उत्पादन करनेवाले कारखाने स्थापित किए गए हैं।

तांबा गलाना

विद्युत सुवाहकता तथा अन्य धातुओं के साथ सरलता से मिल जाने के गुणधर्म के कारण तांबे का उपयोग बढ़ा है। बिजली उद्योग, रेफ्रीजरेटर, एयरकंडीशनर, ऑटोमोबाइल, रेडियेटर, गृह उपयोग के बर्तन आदि साधनों में तांबा उपयोगी है । भारत में सर्वप्रथम तांबा गलाने की औद्योगिक इकाई भारतीय तांबा निगम [ICC] द्वारा झारखंड के घाटशिला में स्थापित किया गया था। 1972 में भारतीय तांबा निगम को हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड [HCL] के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया। आज हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड के उपरांत निजी क्षेत्र में भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। इसके बावजूद भारत में अपनी आवश्यकतानुसार उत्पादन न होने से विदेशों से आयात करना पड़ता है।

रसायन उद्योग

रसायन उद्योग के उत्पादनों में भारत का स्थान महत्त्वपूर्ण है। रसायन के दो प्रकार हैं : कार्बनिक रसायन एवं अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन उद्योगों के संदर्भ में पेट्रोरसायन (पेट्रोकेमिकल्स) मुख्य हैं। इसका उपयोग कृत्रिम रेसा, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक की चीजों, रंग, रसायन तथा दवाओं में होता है। कार्बनिक रसायन उद्योग खनिजतेल रिफाइनरियों तथा पेट्रोकेमिकल्स के नजदीक होते हैं। इस कार्बनिक रसायन उद्योगों के संदर्भ में गंधक का तेजाब, नाइट्रीक एसिड, क्षारीय सामग्री, सोडाएश, कॉस्टीक सोडा, क्लोरीन आदि में उपयोग होता है। जन्तुनाशक दवाओं के उत्पादन में विकासशील देशों में भारत का स्थान महत्त्वपूर्ण है। रसायन उद्योगों में गुजरात का स्थान देश में सर्वोपरि है। अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर, भरूच आदि रसायन उद्योग के मुख्य केन्द्र हैं।

रासायनिक खाद उद्योग

देश का पहला रासायनिक खाद का कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था। इस उद्योग का विकास फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इन्डिया द्वारा प्रस्थापित बिहार के सिंदरी नामक कारखाने में हुआ। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, पंजाब एवं केरल में खाद उद्योग केन्द्रित हुआ हैं। गुजरात में कलोल, कंडला, भरुच, वडोदरा आदि स्थानों पर रासायनिक खाद के कारखाने हैं।

प्लास्टिक उद्योग

प्लास्टिक उद्योग को Sunrise Industry भी कहते हैं। देश में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर प्लास्टिक के कच्चे माल की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। वाटर प्रूफिंग तथा सांचे में ढाले जा सकनेवाले गुणधर्म के कारण पैकिंग, रसायनों के संचयन, टेक्सटाइल, भवननिर्माण, वाहननिर्माण, इलेक्ट्रोनिक्स आदि में इसका उपयोग होता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, वडोदरा, वापी, कानपुर, कोयम्बतूर एवं चेन्नई प्लास्टिक उत्पादन के महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं।

सीमेन्ट उद्योग

भवन–निर्माण, सड़कें, बांध इत्यादि के निर्माण के लिए सीमेन्ट अनिवार्य है। भारत का स्थान सीमेन्ट उत्पादन में चीन के बाद दूसरा है। विश्व का लगभग 6% उत्पादन करनेवाला देश है। चूना पत्थर, कोयला, चिरोड़ी, बॉक्साइट

चिनाई मिट्टी आदि सीमेन्ट बनाने के कच्चे माल हैं। कच्चे माल एवं उत्पादन वजन में भारी होने से सीमेन्ट के कारखाने जहां कच्चा माल अधिक प्रमाण में उपलब्ध हो वही स्थापित हुए हैं। गुजरात में इस उद्योग का अच्छा विकास हुआ है।

परिवहन के साधनों का उद्योग

यात्रा के लिए अनेक वाहन आपने देखे होंगे। पहले पशुओं से खींचे जानेवाले वाहन थे जिनकी गति धीमी थी आज आधुनिक युग में मार्ग विकास के साथ तीव्र गतिवाले वाहनों का उपयोग क्रमशः बढ़ा है। इन वाहनों का निर्माण करनेवाले उद्योग परिवहन उद्योग कहलाते हैं।

रेलवे

भारत में यात्रा के लिए रेलसेवा का कार्य प्रशंसनीय है। रेलवे अपनी आवश्यकता के उपकरण जैसे कि रेल इंजन, यात्रा एवं मालगाड़ी के डिब्बे आदि स्वयं तैयार करती है। इनका निजी स्तर पर भी उत्पादन होता है। रेल इंजन तीन प्रकार के होते हैं : भाप, विद्युत एवं डीजल। वर्तमान समय में भाप से चलने वाले इंजन अब पर्यटन के उद्देश्य से चलाई जानेवाली हेरीटेज का (विरासत) रेलों में ही उपयोग किए जाते हैं। डीजल तथा विद्युत इंजनों का उत्पादन पश्चिम बंगाल के मिहीजाम में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स तथा जमशेदपुर टाटा लोकोमोटिव वर्क्स में होता है। यात्रा के लिए डिब्बे पेराम्बूर, बेंगलुरु, कपुरथला एवं कोलकाता में बनते हैं। तदुपरांत रेल की पटरियां, इन्जन के उपकरण, पहिये आदि के कारखानें भी हैं। हम रेल इंजनों तथा अन्य उत्पादनों का विदेशों में निर्यात भी करते हैं।

सड़क वाहन

स्वतंत्रतापूर्व हम विदेशों से आयात किए गए गाड़ियों के भागों को जोड़कर गाडियां बनाते थे। अब ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकल, स्कूटर तथा साइकल बनाने के कारखाने देश में ही स्थापित हुए हैं। सड़कवाहनों का उत्पादन अधिकांशतः निजी स्तर पर होता है। विश्व में व्यावसायिक वाहनों के उत्पादन में भारत का स्थान पाँचवाँ है। वर्तमान में भारत में तैयार होनेवाले वाहनों तथा उनके विभिन्न भागों का विदेश में निर्यात किया जाता है। ट्रेक्टर तथा साइकल का बड़े प्रमाण में उत्पादन होता है, जिसका हम निर्यात करते हैं।

जहाजनिर्माण

भारत में जहाजनिर्माण का उद्योग प्राचीन समय से ही है। परन्तु वर्तमान समय में आधुनिक स्तर के जहाज बनाने के मुख्य पांच केन्द्र हैं। विशाखापटनम्, कोलकाता, कोचीन, मुंबई एवं मार्मगोवा, जो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। कोची एवं विशाखापटनम् में बड़े आकार के जहाजों का निर्माण होता है। तदुपरांत निजी क्षेत्रोंवाली जहाजों की गोदियां भी स्थानीय आवश्यकता पूर्ण करती हैं।

हेलीकोप्टर का उत्पादन भी हमारे देश में होने लगा है। सैन्य आवश्यकता के लिए बेंगलुरु, कोरापुट, नासिक, हैदराबाद एवं लखनऊ में हवाई जहाज उद्योग की इकाइयां स्थापित की गई हैं। भारत में अभी तक यात्री परिवहन के लिए हवाई जहाज निर्माण का आरंभ नहीं हुआ है।

इलेक्ट्रोनिक उद्योग

रेडियो सेट तथा टेलिफोन उद्योग की स्थापना 1905 में भारत में हुई जिसे इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग का प्रारंभ कह सकते हैं। भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड [B.E.L.] में बेंगलुरु में स्थापित हुई। जिसका उद्देश्य सेना, आकाशवाणी, हवामान विभाग के उपकरण बनाना था। आज भारतीय स्पेश रिसर्च ओर्गेनाईजेशन [I.S.R.O] के साथ सहयोग कर कई इलेक्ट्रिक उपकरणों का निर्माण करती है।

इस उद्योग से सामान्य लोगों के जीवन देश के अर्थतंत्र तथा लोगों की जीवनशैली में बड़े परिवर्तन आए हैं। कम्प्यूटर में हार्डवेर तथा सोफ्टवेर के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। बेंगलुरु को उद्योग की राजधानी बनाया गया है। उसे भारत की सिलिकोन वेली कहा जाता है। इस उद्योग के विकास के लिए सोफ्टवेर पार्क, विज्ञान पार्क तथा प्रौद्योगिक पार्क बनाए गए हैं। भारत में इस उद्योग का भविष्य सुनहरा है।

औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरणीय अतिक्रमण

देश के आर्थिक विकास में औद्योगिक उत्पादनों का योगदान उल्लेखनीय है। उद्योगों ने प्रदूषण में भी वृद्धि की है एवं पर्यावरण का अतिक्रमण किया है। प्राकृतिक तथा मानवसर्जित कारणों से पर्यावरण की गुणवत्ता घटी है। इसे पर्यावरण का अतिक्रमण कहा जाता है। उद्योगों द्वारा मुख्य चार प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं : वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण।

वर्तमान स्पर्धात्मक समय में उद्योगों ने बड़े प्रमाण में हवा एवं जल प्रदूषित किया है। कार्बन मोनोक्साइड एवं सल्फर डायोक्साइड जैसे अति नुकसानकारक गैसों के कारण हवा प्रदूषित बनी है। औद्योगिक कचरे के कारण जल प्रदूषण बढ़ा है। आज कई कारखानें नियमों की अवगणना कर औद्योगिक रूप से प्रदूषित पानी को नदी में बहा देते हैं। आज पानी दूषित क्या अतिदूषित बना है।

ध्वनि प्रदूषण भी मानवजीवन के लिए बहेरेपन का एक कारण है। अतिशय आवाज के कारण मनुष्य मानसिक तनाव का भी अनुभव करता है।

पर्यावरणीय अतिक्रमण रोकने के उपाय

देश का विकास हो परन्तु साथ में पर्यावरण का विनाश न हो इस तरह विकास करना है। औद्योगिक विकास का योग्य आयोजन कर प्रदूषण की मात्रा घटायी जा सकती है। उपकरणों की गुणवत्ता तथा ईंधन के चयन के द्वारा भी प्रदूषण कम किया जा सकता है। वायु में उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण को फिल्टर स्क्रबर, यंत्र, प्रेसिपिटेटर्स द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। उद्योगों के प्रदूषित पानी को प्रक्रिया कर शुद्ध किया जा सकता है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए :

(1) चीनी तथा खांडसरी के कारखाने कहाँ स्थापित होते हैं? क्यों?

(2) भारत के लोहा-फौलाद उद्योग पर टिप्पणी लिखिए।

(3) उद्योगों के महत्त्व पर टिप्पणी लिखिए।

(4) सूती कपड़ा उद्योग की समक्ष समस्याएँ बताइए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मूद्देवार उत्तर लिखिए :

(1) गुजरात में रसायन उद्योगों के केन्द्र बताकर, चार रसायनों के नाम लिखिए।

(2) रेल इंजन के प्रकार बताकर उसके उत्पादन के स्थान बताइए।

(3) पर्यावरणीय अतिक्रमण रोकने के उपाय लिखिए।

(4) सूती कपड़ा उद्योग की समस्याएँ बताइए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए :

(1) भारत में जहाज निर्माण के मुख्य कितने केन्द्र हैं? कौन-कौन से?

(2) सीमेन्ट बनाने के लिए कौन से कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है?

(3) गुजरात में रासायनिक खादों के उद्योग कहां स्थापित हुए हैं?

(4) गुजरात में कागज उद्योग के चार केन्द्र बताइए।

4. निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) निम्नलिखित नगरों में से कौन-सा नगर सूती कपड़ा का विश्वमहानगर कहा जाता है ?

(A) इंदौर (B) मुंबई (C) अहमदाबाद (D) नागपुर

(2) पटसन के निर्यात में भारत का विश्व में कौन-सा क्रम है?

(A) द्वितीय (B) प्रथम (C) तृतीय (D) एक भी नहीं

(3) भारत का कौन-सा नगर सिलिकोन वेली के रूप में जाना जाता है?

(A) दिल्ली (B) बेंगलुरु (C) जयपुर (D) नागपुर

(4) गुजरात में मिनी स्टील प्लान्ट कहाँ स्थापित हुआ है?

(A) कंडला (B) ओखा (C) द्वारका (D) हज़ीरा

(5) निम्नलिखित में से कौन-सी जोड़ गलत है?

(A) बंगाल-कुल्टी (B) झारखंड-जमशेदपुर (C) कर्नाटक-भद्रावती (D) आंध्रप्रदेश-बर्नपुर

प्रवृत्ति

- अपने विस्तार के औद्योगिक स्थल की मुलाकात अपने शिक्षक के साथ कीजिए।
- भारत के मानचित्र में विविध उद्योगों की नक्शापोथी बनाइए।
- विविध वेबसाइटों की मुलाकात लेकर विभिन्न उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए।

14 परिवहन, संदेश-व्यवहार एवं व्यापार

एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य या मालसामान की हेरफेर को परिवहन कहते हैं। सामान्य भाषा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को परिवहन कहा जाता है। आर्थिक एवं भौतिक विकास में परिवहन का महत्त्वपूर्ण योगदान है। परिवहन से वस्तुओं एवं मनुष्य की आवागमन प्रवृत्ति संभवित बनती है। परिवहन से दूर के प्रदेश एक-दूसरे से जोड़े जा सकते हैं। राष्ट्रीय एकता तथा औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण जैसी प्रक्रियाएँ परिवहन से संभवित बनती हैं।

वर्तमान समय की तुलना में प्राचीन समय में लोगों के बीच सम्पर्क अत्यंत कम था। आज संदेशाव्यवहार के आदान-प्रदान के लिए लोग इसके साधनों का उपयोग कर रहे हैं। डाक-टेलीफोन, मोबाइलफोन तथा इन्टरनेट सेवा का उपयोग संदेश-व्यवहार में व्यापक रूप से होने लगा है। भारत ने अवकाशीय संशोधन के क्षेत्र में उपग्रहों को छोड़ा है। इससे दूर-संचार सेवाओं में सुधार संभव हुआ है।

व्यापार प्रवृत्ति तृतीय प्रकार की आर्थिक प्रवृत्ति है। व्यापार उत्पादन प्रवृत्ति को गतिमान बनाता है। कोई भी राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वावलंबी नहीं हो सकता है। इससे उसे अन्य देशों के साथ आदान-प्रदान का व्यवहार करना ही होता है। उदाहरण स्वरूप भारत की कृषि उपजो मध्य-पूर्व के देशों में जाती है। वहाँ से हम खजूर एवं खनिजतेल की आयात करते हैं।

परिवहन

प्रारंभ में मनुष्य भटकता जीवन गुजारता था, परन्तु कृषि की खोज के बाद वह स्थायी जीवन जीने लगा। शुरुआत में अपनी वस्तुओं का खुद ही वहन करता था, समय गुजरने पर कृषि के साथ पशुपालन प्रवृत्ति से पशुओं का उपयोग भारवाहक के रूप में भी होने लगा। वर्तमान समय में पशुओं से अधिक परिवहन प्रवृत्ति में यांत्रिक परिवहन का उपयोग होने लगा है।

परिवहन पद्धति को स्थान, जलवायु, भूपृष्ठ, मानव बस्तियों का प्रमाण इत्यादि बातें प्रभावित करती हैं। इसके उपरांत तक्नीकी विकास, आर्थिक विकास, बाजार एवं पूंजीनिवेश, राजनैतिक निर्णय जैसे सांस्कृतिक परिबल भी परिवहन को प्रभावित करते हैं।

मैदानी प्रदेशों में सड़क तथा रेलमार्ग परिवहन होता है। पर्वतीय विस्तारों में आज भी पशु हिमालय के दुर्गम स्थानों पर याक तथा मनुष्य का भारवाहक के रूप में उपयोग होता है। एवरेस्ट आरोहण के समय भोटिया जाति के लोग, जो अच्छे पर्वतारोहक भी हैं, सामान उठाने का काम करते हैं। तदुपरांत पहाड़ी प्रदेशों में जंगल के क्षेत्रों में हाथी, खच्चर तथा घोड़े का उपयोग होता है। रेगिस्तानी प्रदेश में ऊंट श्रेष्ठ भारवाहक है। मैदानी प्रदेशों में भी लकड़हारे को लकड़ी काट कर, सिर पर लेकर जाते हुए आपने देखा होगा। रेलवे स्टेशनों पर कुली भी सिर पर सामान उठाए हुए दिखाई देता है। समुद्री किनारे तथा नदी गहरी हो एवं बारहों महीने पानी रहता हो तो वहां जहाजों या नावों का उपयोग परिवहन में होता है।

14.1 पर्वतीय क्षेत्र में

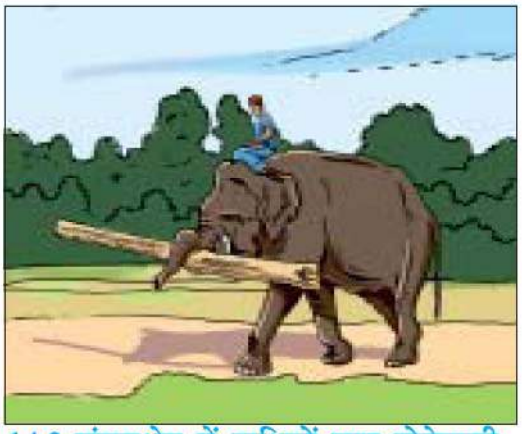

14.2 जंगलक्षेत्र में हाथियों द्वारा होनेवाली सामान की हेराफेरी

सड़कमार्ग अथवा भूमि परिवहन

प्राचीन समय से ही परिवहन मार्गों में सड़क मार्गो का महत्त्व बढ़ा है। भारत में सम्राट अशोक एवं चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में राजमार्गों की जाल बिछी थी। सड़कमार्ग, रेलमार्ग, समुद्रीमार्ग तथा हवाईमार्ग के पूरक बने हैं। सड़क परिवहन का सबसे महत्त्व का गुणधर्म उसके प्रकार एवं क्षमता सेवा का व्यापकक्षेत्र माल की सुरक्षा, समय की बचत एवं बहुमुखी एवं सस्ती सेवा होती है। माल-सामान, मनुष्य एवं क्षेत्रों को जोड़नेवाला एक मात्र सस्ता विकल्प अर्थात् सड़क मार्ग। भारत की सड़क प्रणाली यु.एस.ए. एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी बड़ी प्रणालियों में से एक है।

जानने योग्य

देश में कुल परिवहन सेवा में 83 % सड़कें, 9 % रेलवे, 6 % प्रतिशत हवाईमार्ग एवं 2 % प्रतिशत जलमार्ग है।

भारतीय सड़क मार्गों का वर्गीकरण

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग (2) राज्य राजमार्ग (3) जिला मार्ग (4) ग्रामीण सड़कें (5) सीमा मार्ग।

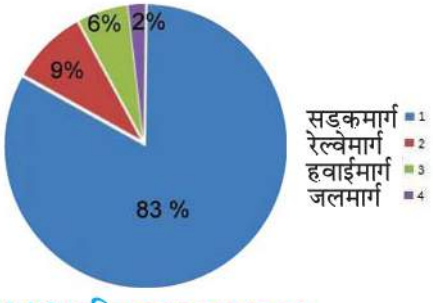

14.3 परिवहन का प्रमाण

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) : राष्ट्रीय राजमार्ग आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, परन्तु सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। इन मार्गों के निर्माण का दायित्व केन्द्र सरकार का है। इन मार्गों द्वारा राज्यों की राजधानियों, बड़े औद्योगिक तथा व्यापारी शहर एवं मुख्य बंदरगाहों को एक-दूसरे से जोड़ा गया है। भारत को म्यानमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ यह सड़कें जोड़ती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 देश का सर्वाधिक लम्बा राजमार्ग है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता इन चार महानगरों को जोड़ने की योजना है।

गुजरात में से 27, 41, 47, 48, 141, 147 आदि नंबरों के राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2011 में राष्ट्रीय राजमार्गों के क्रम में परिवर्तन किया है।

जनसंख्या के आधार पर देखने पर चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, गोवा जैसे राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या अधिक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्य इसके बाद के क्रम में आते हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात जैसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई प्रमाण में कम है।

(2) राज्य राजमार्ग (State Highway) : व्यापार एवं उद्योगों की दृष्टि से राज्य राजमार्गों का बड़ा महत्त्व है। ये सड़कें राजमार्गों तथा जिलामार्गों से जुड़ी रहती हैं। इन सड़कों के निर्माण तथा अच्छी स्थिति में रखरखाव की जवाबदारी राज्य सरकारों पर रहती हैं।

14.4 राष्ट्रीय राजमार्ग मील का पत्थर

14.5 राज्य राजमार्ग मील का पत्थर

14.6 ग्रामीण मार्ग मील का पत्थर

14.7 एप्रोच रोड

(3) जिला मार्ग (District Roads) : ये सड़कें गाँवों तथा शहरों के जिलाकेन्द्रों के साथ जोड़ी गई हैं। ये तहसील के केन्द्रों को जिला केन्द्रों से जोड़ती हैं। पहले ये सड़कें कच्ची थीं, अब लगभग सभी सड़कें पक्की सड़कों में परिवर्तित हो चुकी हैं। इसकी देखभाल जिला पंचायत करती है।

(4) ग्रामीण मार्ग (Village Roads) : इन सड़कों का निर्माण एवं देखभाल ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। गाँवों के पास से गुजरनेवाले रास्तों से जोड़नेवाली सड़कें कच्ची होने से वर्षाऋतु में ये उपयोगी नहीं रहती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण परिवहन सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अनुसार इन सड़कों को पक्की करने का काम बड़े पैमाने पर हुआ है।

(5) सरहदी मार्ग (Border Roads) : सीमा मार्ग संस्थान (Border Road Organization) की स्थापना 1960 में की गई थी। देश की सुरक्षा के लिए संरक्षणात्मक उद्देश्य से सीमान्तक्षेत्रों में रास्तों का निर्माण इस संस्था द्वारा होता है। दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, उसकी देखभाल, बर्फ हटाने जैसे कार्य भी यह करती है।

एक्सप्रेस राजमार्ग (Express Highway)

14.8 एक्सप्रेस मार्ग साइनबोर्ड

14.9 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

एक्सप्रेस हाइवे को द्रुतगति मार्ग भी कहते हैं। चार से छः लेन वाले इन रास्तों पर बिना रुकावट के वाहन चलाए जा सकते हैं। इन रास्तों पर रेलवे क्रोसिंग तथा क्रोस रोड आए वहाँ ओवरब्रिज बनाया हुआ होता है। गुजरात में अहमदाबाद से वडोदरा एक्सप्रेस हाइवे इसका उदाहरण है। इन रास्तों का उपयोग करने के लिए तय किया हुआ टोलटेक्स भरना पड़ता है। देश के बंदरगाहों को जोड़नेवाले रास्ते भी बनाए गए हैं।

ट्राफिक समस्या

बड़े शहरों में ट्राफिक समस्या न खड़ी हो इसलिए ओवरब्रिज, बाइपास रोड तथा शहर के चारों ओर रिंगरोड बनाए गए हैं। इसके बावजूद बढ़ती जा रही वाहनों की संख्या के कारण महानगरों में ट्राफिक की समस्या बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते वाहनों के प्रमाण में शहर के रास्ते चौड़े नहीं हो सकते हैं। तदुपरांत रास्तों पर अतिक्रमण बढ़ने से पीकअवर्स में शहरों में ट्राफिक जाम के दृश्य सामान्य हो गए हैं। बारातें, सामाजिक शोभायात्राएँ तथा जुलूसों के कारण भी शहर में ट्राफिक जाम होता है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो घंटों तक ट्राफिक कम नहीं होता है। जिससे महत्त्वपूर्ण काम पर जानेवाले लोग, परीक्षार्थी, हवाईजहाज या रेलवे स्टेशन जानेवाले यात्री एवं आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकतावाले रोगी अस्पताल तक समय से न पहुँच सकने के कारण मुश्किल में पड़ जाते हैं।

ट्राफिक समस्या दूर करने के कुछ सुझाव

कक्षा 9 में तुम ट्राफिक समस्या की सूचनाएँ पढ़ चुके हो, अब इनका गहराई से अभ्यास करें :

- यदि आप विद्यार्थी हैं एवं वाहन चलाने का लाइसन्स प्राप्तकर्ता नहीं हैं तो वाहन न चलाएँ। ट्राफिक समस्या के निवारण में आप इस तरह उल्लेखनीय योगदान दे सकते हैं।
- अनिवार्य जरूरत के बिना ओवरटेक न करें।
- साइकिल, स्कूटर आदि दुपहिये वाहन रास्ते पर बाईं तरफ चलाएँ।
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात न करें। अनिवार्य हो तो साइड बताकर, रास्ते के किनारे वाहन खड़ाकर मोबाइल पर बात करें।
- 108 तथा एम्बूलन्स, फायरब्रिगेड के वाहनों को पहले जाने दें।
- अनावश्यक होर्न बजाकर आवाज न करें।
- ट्राफिक सिग्नल के नियमों का पालन करें।
- नजदीक के स्थानों पर चल कर जाएँ या साइकिल का उपयोग करें।
- रात को आवश्यक हो तभी डीपर लाइट का उपयोग करें।
- वाहन चलाते समय दो वाहनों के बीच सुरक्षित अंतर रखें।
- निश्चित समय-मर्यादा में वाहन की देखभाल और मरंमत करवाएँ।
- अग्निशामक तथा प्राथमिक उपचार पेटी वाहन में रखें। वाहन चलाने से पूर्व पर्याप्त, ईंधन, टायर में हवा के आवश्यक दबाव तथा वाहन में कोई यांत्रिक गड़बड़ी है या नहीं, इसकी जाँच करा लें, वाहन में स्पेर व्हील की व्यवस्था भी रखें।
- गाड़ी में बैठे सभी व्यक्ति सीटबेल्ट का उपयोग अवश्य करें। वाहन के पीछे रेडियम पट्टी तथा रिफ्लेक्टर लगवाएँ।
- रेल्वे फाटक या अन्य सिग्नल पर खड़े होने पर वाहन बंद कर दें, जिससे ईंधन की बचत हो।
- वाहन चालक को ट्राफिक संबंधी नियमों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए।
- वाहन चालक के लिए पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है।
- एकमार्गीय रास्ते पर विरुद्ध दिशा में वाहन न चलाएँ।
- वाहन चालक को वाहन के दोनों तरफ के तथा बीच में रहे दर्पण का उपयोग करना चाहिए।
- वाहन का पार्किंग निश्चित किए गए स्थल और अड़चन रूप न हो, उस जगह पर करना चाहिए।
- सभी वाहनों की ब्रेकलाइट चालू होनी चाहिए। दाहिनी तरफ या बाईं तरफ रास्ते पर जाते समय इंडिकेटर लाइट का उपयोग करना चाहिए।
- स्टेट हाइवे तथा एक्सप्रेस हाइवे पर लाइन हो तो स्पीडवाली गाड़ी को नियत लेन में चलाना चाहिए। भारवाहक साधन बाईं साइड चलें, इसका ध्यान रखना चाहिए।
- मालवाहक वाहनो में यात्रियों को न बैठाएँ।
- वाहन चलाते समय गति मर्यादा का ध्यान रखें।
- दुर्घटना के समय अपना वाहन नियत लेन में रखकर ट्राफिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। रास्ते में कोई दुर्घटना देखें तो तुरंत 108 नंबर पर सूचित करके घायल यात्री की चिकित्सा-व्यवस्था में मदद करें।
- द्विचक्री वाहन चालक हेल्मेट पहनकर वाहन चलाएँ।
- रास्ते में मोड़ आने पर वाहन की गति धीमी करें।
- शाला, हॉस्पिटल जैसे 'नो होर्न' क्षेत्र से गुजरते समय होर्न न बजाएँ तथा गति मर्यादा बनाए रखें। बम्प आने पर भी गति धीमी करें।

रेलमार्ग (Railway)

भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संस्थान है। भारतीय रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा आदि क्षेत्रों के विकास में सहकार देनेवाला मुख्य परिवहन माध्यम है। राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति, व्यवस्था सांस्कृतिक एवं भौगोलिक एकता स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने में यह मुख्य योगदान देता है। रेलमार्गों में भारत का स्थान एशिया में प्रथम तथा विश्व में दूसरा है।

रेलवे का विकास : भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की शुरुआत 1853 में मुंबई से थाना के बीच हुई। भारत में तीन प्रकार के रेलमार्ग हैं – ब्रोडगेज, मीटरगेज एवं नेरोगेज। मीटर गेज तथा नेरोगेज लाइनों को वर्तमान समय में अधिकांशत: ब्रोडगेज में परिवर्तित कर दिया गया है। भारतीय रेल की यह एक बड़ी सिद्धि है। विभिन्न गेज के माप के रेलमार्गों के कारण यात्रा तथा माल की हेर-फेर में समय एवं धन का व्यय होता है।

भारत में जिन राज्यों में मैदानी प्रदेश, घनी जनसंख्या, औद्योगिक विकास, सघनकृषि, खनिज समृद्ध क्षेत्र हैं, वहाँ रेलमार्गों का जाल फैला है। गंगा के मैदानी प्रदेशों में कृषि उपजों तथा घनी आबादी होने के कारण रेलमार्ग बड़े प्रमाण में हैं। कोलकाता, दिल्ली तथा जयपुर जैसे बड़े शहरों में मेट्रोरेल सेवा भी है। अहमदाबाद से गांधीनगर मेट्रोरेल प्रोजक्ट के कार्य की शुरुआत हुई है। मुंबई को उसके उपनगरों से जोड़ने में मेट्रोरेल महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई है।

रेल यात्री तथा मालसामान की हेरफेर के उपरांत अकाल के समय अनाज तथा घासचारे की तेजी से हेरफेर के लिए भी उपयोगी है। संरक्षण की दृष्टि से भी सैनिकों तथा हथियारों के स्थानान्तरण में भी उपयोगी है। कोंकण रेलवे ने दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सुरंगों के माध्यम से मार्ग बनाकर श्रेष्ठ इंजीनियरिंग कौशल का दृष्टांत दिया है। समय, सुरक्षा तथा सुविधा के लिए भारतीय रेलसेवा उत्तम मानी जाती है। एवं उसका तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक रेलमार्ग भारत का सबसे लम्बा रेलमार्ग हैं जो 'विवेक एक्सप्रेस' के नाम से प्रसिद्ध है। गुजरात

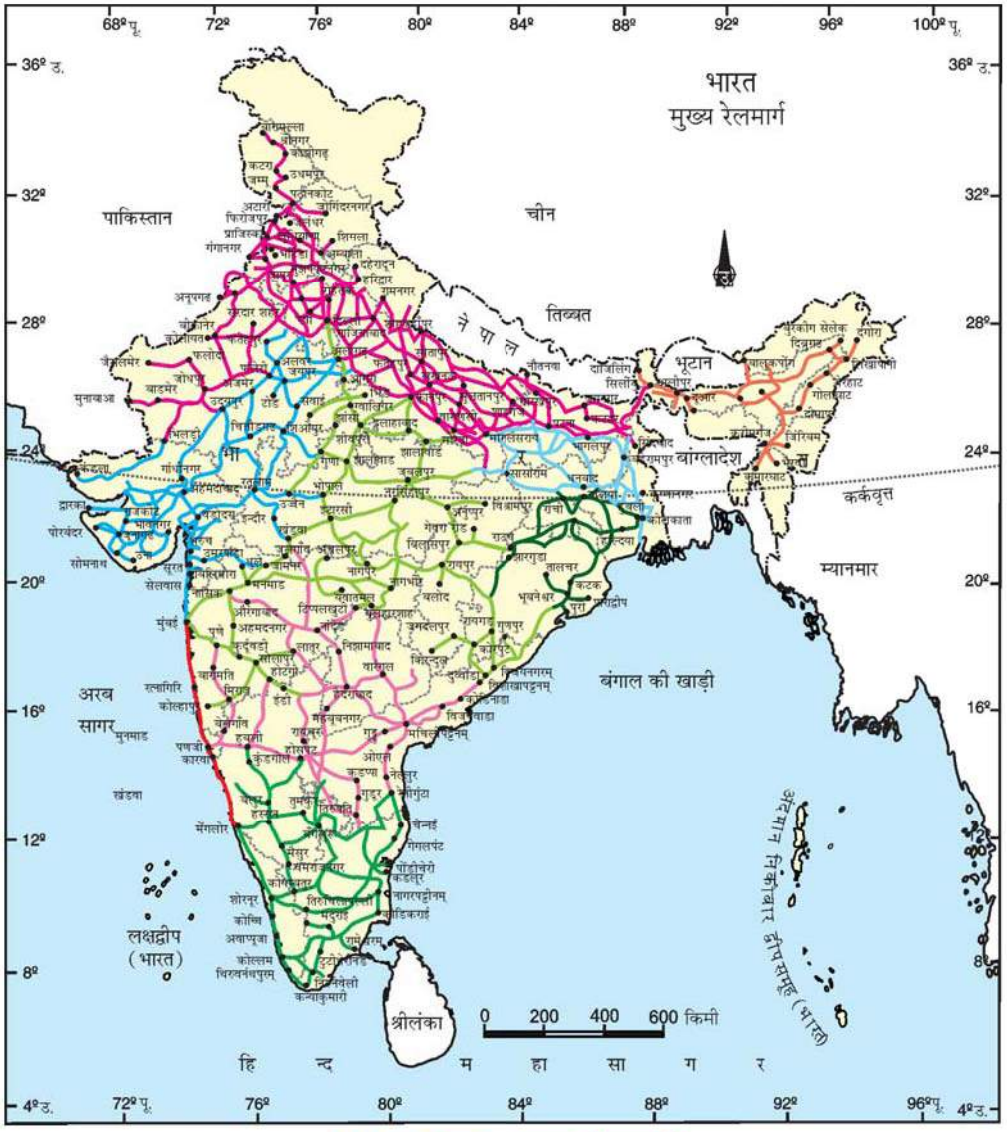

14.10 भारत : मुख्य रेलमार्ग

में अमदाबाद सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके उपरांत महेसाणा, विरमगाम, राजकोट, वडोदरा, सूरत, आणंद महत्त्वपूर्ण जंक्शन हैं।

जलमार्ग

प्राचीन समय से ही भारत में जलमार्गों द्वारा परिवहन होता रहा है। सड़क तथा रेलवे मार्ग नहीं थे, तब जलमार्ग से ही व्यवहार चलता था। सड़क तथा रेल की तुलना में ये सस्ते पड़ते हैं। कारण कि इनके निर्माण में या रखरखाव में खर्च नहीं होता है। भारत में दो तरह के जलमार्ग हैं : (1) आंतरिक जलमार्ग (2) समुद्री जलमार्ग।

आंतरिक जलमार्ग परिवहन सेवा उत्तर-पूर्व भारत के असम, पश्चिम बंगाल एवं बिहार जैसे राज्यों में अधिक है तथा दक्षिण भारत में भी आंतरिक जलमार्ग सेवाओं के लिए उपयोगी है।

नदी-नहर परिवहन : नदी जलमार्ग की दृष्टि से पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु तथा बिहार महत्त्वपूर्ण राज्य हैं। इन बारहमासी जलमार्गों में स्टीमर तथा बड़े-बड़े जहाज चलते हैं। आंतरिक जल परिवहन को बनाए रखने के लिए सरकार ने निम्नलिखित जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों का दर्जा दिया है।

- राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी - हल्दिया-इलाहाबाद 1620 किमी
- राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्रा नदी - धुब्री-सादिया 891 किमी

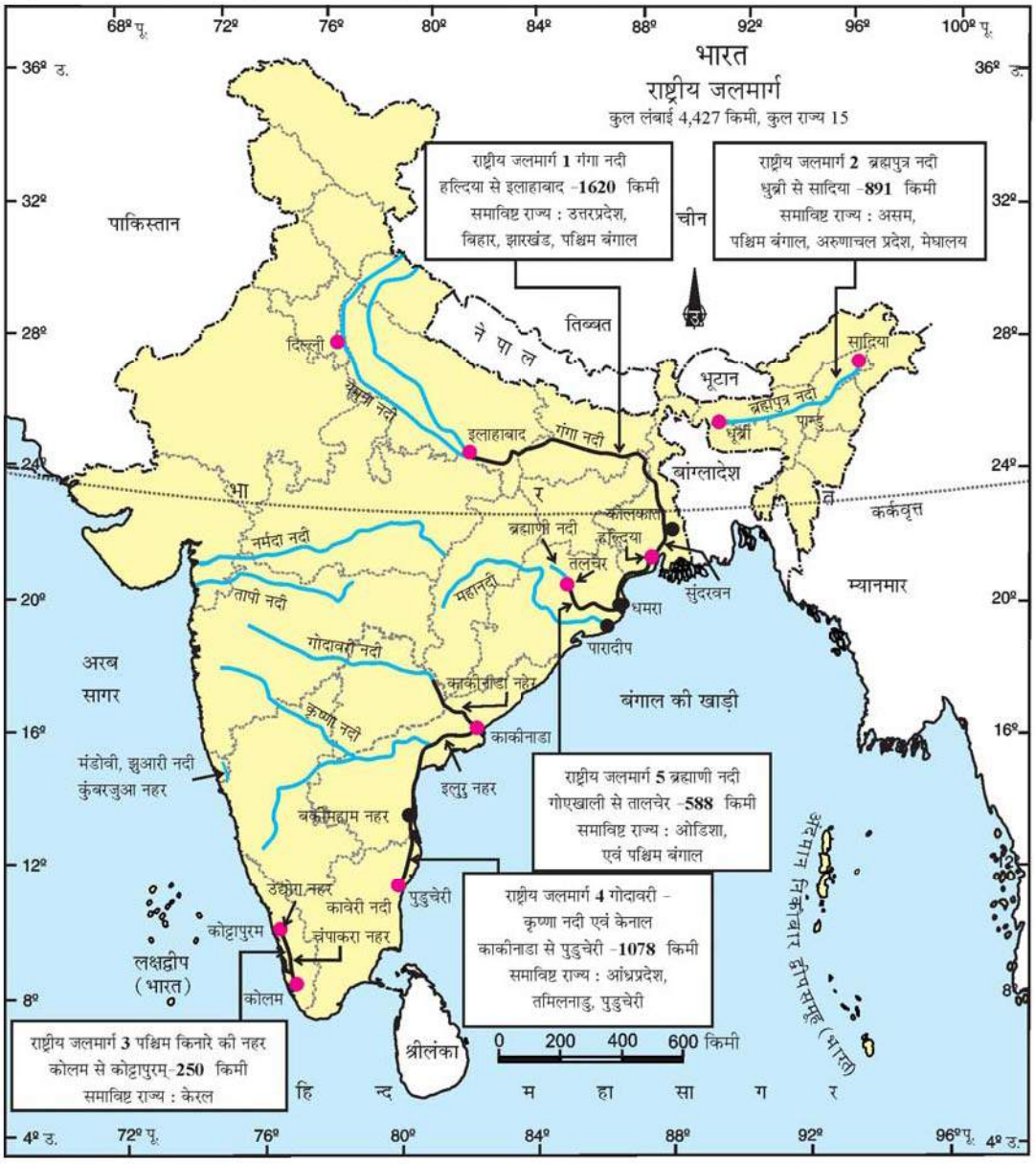

14.11 भारत : मुख्य जलमार्ग

- राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पश्चिम किनारे की नहर – कोल्लम से कोट्टापुरम् 250 किमी
- राष्ट्रीय जलमार्ग 4 गोदावरी-कृष्णा नदी - काकीनाडा-पुटुचेरी 1078 किमी
- राष्ट्रीय जलमार्ग 5 ब्रह्माणी नदी - गोएनखली-ताल्चेर 588 किमी

समुद्री जलमार्ग : भारत को लगभग 7516 किमी लम्बा समुद्री किनारा मिला हुआ है। इस लम्बे किनारे पर 13 मुख्य तथा 200 छोटे बंदरगाह आए हुए हैं। शिपिंग कोर्पोरेशन ऑफ इन्डिया की स्थापना के बाद राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्गों का खूब विकास हुआ है। कंडला, मुंबई, न्हावाशेवा, मार्मागोवा, न्यूमेंग्लोर तथा कोची बंदरगाह पश्चिम किनारे आए हुए हैं तथा कोलकाता, हल्दिया, पारदीप, विशाखापट्टनम्, चेन्नई, तूतीकोरन जैसे पूर्वी किनारे प्रमुख बन्दरगाह हैं।

गुजरात राज्य को लगभग 1600 किमी लम्बा समुद्री किनारा मिला है। गुजरात में कंडला सबसे बड़ा बन्दरगाह है। भावनगर ऑटोमेटिक लोक गेटवाला एकमात्र बन्दरगाह है। पोरबंदर बारहों महीने खुला रहनेवाला बन्दरगाह है। तदुपरांत वेरावल, सिक्का, पीपवाव, नवलखी, मुंद्रा, पोशित्रा, ओखा तथा हजीरा जैसे महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह भी हैं। पोशित्रा बन्दरगाह का विकास करने की योजना अमल में लाई गई है।

हवाई मार्ग

परिवहन मार्गों में हवाई परिवहन सबसे तीव्र परन्तु खर्चीला परिवहन है। दूर के स्थान, दुर्गम तथा सघन जंगल तथा पर्वतीय क्षेत्र जहाँ सड़क मार्गों से न पहुँचा जा सकता हो वहाँ हवाई मार्ग का उपयोग किया जाता है।

भारत में हवाई सेवा का प्रारंभ डाकसेवा के लिए इलाहाबाद से नैनी तक हुआ था। बाद में उसे निजी कंपनी चलाती थी, आज एयर इंडिया के नाम से जानी जाती कंपनी तथा अन्य निजी कंपनियाँ हवाई परिवहन सेवाएँ देती हैं।

देश में भारतीय वायुयान केन्द्र प्राधिकरण द्वारा 15 अंतरराष्ट्रीय, 87 घरेलू वायुयान केन्द्र, 25 नागरिक वायुयान टर्मिनल सहित 127 हवाई केन्द्रों का व्यवस्थापन हो रहा है। देश में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरू, हैदराबाद तथा अहमदाबाद जैसे 15 अंतरराष्ट्रीय हवाई केन्द्र हैं। पवनहंस नामक संस्था ONGC को तथा राज्य सरकारों को हेलीकोप्टर सेवा देती है।

पाइप लाइन

पानी, खनिजतेल, प्राकृतिक गैस तथा अन्य प्रवाही पदार्थों के लिए पाइपलाइन द्वारा परिवहन किया जाता है। असम के नाहर-कटिया से नूनमती-बरौनी तक खनिज तेल की पाइपलाइन है। गुजरात में कलोल से कोयली एवं सलाया से मथुरा आदि मुख्य पाइपलाइन मार्ग हैं। इसके उपरांत बॉम्बेहाई से मुंबई के किनारे तक खनिज तेल तथा गैस परिवहन के लिए समांतर पाइपलाइन डाली गई है। गुजरात में भी खंभात-धुवारण-कोयली, अहमदाबाद में गैस पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन होता है। सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, लीमड़ी, जामनगर, मोरबी, राजकोट, गांधीनगर जैसे शहरों में पाइपलाइन द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति की जाती है।

रज्जुमार्ग (Rope-way) : पर्वतीय क्षेत्रों में मालसामान या यात्रियों की हेरफेर के लिए पर्वत शिखरों को रज्जुमार्गों से जोड़ दिया जाता है। भारत में लगभग 100 रज्जु मार्ग हैं। उत्तर भारत में दार्जिलिंग, कुलुमनाली, चेरापूंजी, हरिद्वार, दक्षिण भारत में चेन्नई एवं पर्वतीय क्षेत्रों में रोप-वे आए हुए हैं। गुजरात में पावागढ़, सापुतारा, अंबाजी में रोप-वे सेवाएँ उपलब्ध हैं। जूनागढ़ में गिरनार में भी रोप-वे का काम चालू किया गया है।

संदेश-व्यवहार

एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानकारी या संदेश भेजने अथवा प्राप्त करने की विस्तृत व्यवस्था को संचारतंत्र कहा जाता है। देश में बाढ़, अकाल, भूकंप, चक्रवात, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव के लिए, रोज-ब-रोज के जीवन में संचारतंत्र अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है। देश के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडितता बनाए रखने में भी संचारतंत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

प्राचीन समय में ढोल बजाकर , धुआँ द्वारा, कबूतर द्वारा तथा अन्य पशुओं के द्वारा संदेश पहुँचाए जाते थे। आधुनिक संदेश-व्यवहार में डाकसेवा, टेलीफोन एवं मोबाइल फोन, स्मार्टफोन तथा उपग्रहों की खोज से संचार सेवा अत्यंत तीव्र एवं सरल भी है। विज्ञान एवं तक्नीकि ने संचारक्षेत्र में विकास लाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम सभी महत्त्वपूर्ण घटनाओं एवं क्रिकेट मैचों का जीवंत प्रसारण देख सकते हैं। संचार साधनों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं : (1) व्यक्तिगत संचारतंत्र (2) सामूहिक संचारतंत्र।

(1) व्यक्तिगत संचारतंत्र : व्यक्तिगत संचारतंत्र के साधनों में इन्टरनेट तथा स्मार्टफोन सबसे असरकारक एवं आधुनिक है। ई-मेल, ई-कॉमर्स, मुद्रा की लेनदेन आदि इंटरनेट के कारण तेज बना है। इसके उपरांत सोशयल मीडिया के विविध एप्लीकेशन के द्वारा संदेश-व्यवहार के क्षेत्र में क्रांति आई है। ग्राम्य विस्तार के लोग भी इनके माध्यम से देश-विदेश के लोगों के साथ जीवंत सम्पर्क में रहते हैं।

(2) सामूहिक संचारतंत्र : समूह संचार में भी दो माध्यम हैं : 1. मुद्रित माध्यम जिसमें समाचारपत्र, डाक, पत्रिकाएँ 2. इलेक्ट्रोनिक माध्यम जिसमें आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का समावेश होता है। प्रसारभारती देश का स्वायत्त प्रसारण निगम है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन इसके मुख्य विभाग हैं। देश में आज आकाशवाणी के 415 स्टेशन हैं। इसके द्वारा 23 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में इसका उपयोग सरलता से हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय यह महत्त्वपूर्ण सम्पर्क साधन बन जाता है। दूरदर्शन, उपग्रहों के उपयोग द्वारा समाचार, मौसम के तथ्यों की जानकारी तथा शैक्षणिक एवं मनोरंजन के कार्यक्रम करते हैं। आज देश में अनेक निजी चैनल्स भी दूरदर्शन की तरह कार्यक्रम प्रसारित करने लगे हैं।

उपग्रह संचार

कृत्रिम उपग्रहों में स्वयं ही संचार योग्यताएँ हैं। परन्तु साथ ही वे अन्य संचार माध्यमों का नियमन भी करते हैं। भारत के द्वारा छोड़े गए 'इंडियन नेशनल सेटेलाइट' (INSA) प्रणाली बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है, जो दूरसंचार, हवामान तथा चक्रवात, तूफान जैसी आपदाओं की चेतावनी, संशोधन तथा अन्य प्रसारण में सहायक होती है। तदुपरांत भारतीय दूरसंवेदन (IRS) पद्धति के उपग्रहों पर आत्मनिर्भर बनकर अपने प्रक्षेपण वाहन पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) का विकास किया है।

व्यापार

भारत विशाल देश है। इससे इसमें कहीं पर्वतीय क्षेत्र हैं तो कहीं उपजाऊ मैदानी प्रदेश, किनारे के मैदानी प्रदेश तथा रेगिस्तान जैसे विभिन्न भूपृष्ठ आए हुए हैं। ऐसी ही भिन्नता जलवायु, वनस्पति तथा खनिजसंसाधन एवं संचालन शक्ति के साधनों में दिखाई देती है। भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रदेश में कृषि की फसलों तथा औद्योगिक उत्पादनों में भी विविधता पाई जाती है। इसके परिणामस्वरूप देश में दो प्रकार की व्यापार प्रणाली है : (1) आंतरिक व्यापार (2) अंतरराष्ट्रीय व्यापार

(1) आंतरिक व्यापार : एक राज्य में विपुल प्रमाण में उपलब्ध वस्तुएँ दूसरे राज्य में निर्यात की जाती हैं तथा दूसरे राज्य में उत्पन्न वस्तुएँ अपने राज्य में आयात की जाती हैं। इसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। उदाहरणस्वरूप पंजाब में गेहूँ अधिक उत्पन्न होता है। इससे वह अन्य राज्यों में भेजता है। जबकि पंजाब को समुद्री किनारा प्राप्त न होने से वह नमक गुजरात में से आयात करता है। इस तरह प्रत्येक राज्य अपने राज्य में होनेवाली उपज का निर्यात करता है। परिणाम स्वरूप भारत में आन्तरिक व्यापार विकसित हुआ है।

(2) अंतरराष्ट्रीय व्यापार : विश्व के अलग-अलग देशों के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार बेचने अथवा आयात करने की पद्धति को अन्तरराष्ट्रीय व्यापार कहा जा सकता है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में समतुला बनाए रखना आवश्यक है अन्यथा देश की व्यापारतुला नकारात्मक बनती है। यदि देश उत्पादित वस्तु का निर्यात अधिक एवं आयात कम करे तो देश की व्यापारतुला सकारात्मक होती है, ऐसा कहा जा सकता है। इससे हमारे देश के विदेशीमुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। यदि देश में निर्यात की अपेक्षा आयात बढ़े तो व्यापारतुला नकारात्मक है, ऐसा माना जाता है। जो देश अधिक निर्यात करता है उसका चलनमूल्य अन्तरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ता है एवं जिस देश की आयात बढ़ता है उसका चलनमूल्य अन्तरराष्ट्रीय बाजार में घटता है। 1991 से उदारीकरण की प्रक्रिया के बाद भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बड़ा बदलाव आया है। विगत कुछ वर्षों का अभ्यास करें तो भारत की व्यापारतुला लगभग नकारात्मक रही है। यह व्यापारतुला सकारात्मक बने इसलिए सरकार ने अब **'मेक इन इंडिया'** प्रोजेक्ट आरंभ किया है। इससे कई विदेशी कम्पनियां भारत में माल का उत्पादन कर उसे विदेशों में निर्यात करेंगी। अब हम भारत के आयात निर्यात व्यापार का अध्ययन करेंगे।

भारत का आयात व्यापार

भारत में आवश्यकता के अनुसार लोहा-फौलाद का उत्पादन न होने से लोहा-फौलाद एवं तांबा का आयात करता है। पेट्रोलियम, खनिजतेल तथा लुब्रिकन्ट पदार्थ की मांग परिवहन एवं मशीनों को गतिशील रखने के लिए अधिक है इससे इसका भी आयात करते हैं। मशीनें, मोती एवं कीमती पत्थर, खाद्यतेल आदि की विदेशों में से आवश्यकता

अनुसार आयात करते हैं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, म्यानमार, ईरान आदि देशों से आयात करते हैं।

भारत का निर्यात व्यापार

भारत देश की कुछ वस्तुएँ देश में महंगी न हों इसलिए उत्पादन के कुछ भागों का ही निर्यात करने को छूट देता है। कुछ वस्तुओं के कच्चेमाल का आयात कर उसमें से उत्पादित वस्तुओं का हम पुन:निर्यात व्यापार करते हैं। भारत के मुख्य निर्यात में कच्चा लोहा एवं खनिज, इन्जीन्यरिंग सामान जैसे कि साइकल, पंखे, सिलाईमशीन, मोटर, रेल के डिब्बे तथा कम्प्यूटर साफ्टवेर का समावेश होता है।

रसायन एवं उससे संबधित वस्तुएँ, रत्नआभूषण, चमड़ा तथा चमड़े का सामान, सूती कपड़ा, मछलियाँ एवं उनके उत्पादन, हस्तकला की वस्तुएँ, चाय-कॉफी, पटसन की चीज-वस्तुएँ, तैयार किए कपड़े का भी निर्यात करते हैं।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग पर टिप्पणी लिखिए।

(2) ट्राफिक समस्या दूर करने के उपाय बताइए।

(3) भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग कौन-कौन से हैं ?

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दासर उत्तर लिखिए :

(1) समूहसंचार में किसका समावेश होता है ?

(2) भारत से निर्यात होनेवाली मुख्य चीजवस्तुएँ कौन-कौन सी हैं?

3. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए :

(1) गुजरात में रज्जुमार्ग किन स्थानों पर आए हैं ?

(2) व्यक्तिगत संचारतंत्र में प्रभावशाली साधन कौन-से हैं ?

(3) आंतरिक व्यापार सदृष्टांत किसे कहते हैं।

(4) प्राचीन समय में संदेश-व्यवहार कैसे होता था ?

4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए :

(1) एवरेस्ट आरोहण के समय सामान उठाने का काम कौन करता है ?

(A) नेपाली (B) भोटिया (C) भैयाजी (D) एक भी नहीं

(2) भारत का सबसे लम्बा राजमार्ग कौन-सा है ?

(A) 3 नम्बर (B) 8 नम्बर (C) 44 नम्बर (D) 15 नम्बर

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की जवाबदारी किसकी है ?

(A) राज्य सरकार (B) केन्द्र सरकार (C) मेम्बर जिला पंचायत (D) एक भी नहीं

प्रवृत्ति

- रेलवे की मोबाइल एप्लीकेशन से रेलवे की ऑनलाइन सुविधा की जानकारी प्राप्त कीजिए।
- यात्रा के दरम्यान दिखनेवाले माइलस्टॉन द्वारा मार्ग की जानकारी प्राप्त कीजिए।
- समाचारपत्रों में आयात-निर्यात व्यापार के समाचार शिक्षक से जानिए।
- ट्राफिक पार्क की मुलाकात करके ट्राफिक के नियमों का प्रत्यक्ष निदर्श देखें और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करें।
- ट्राफिक संबंधी जाग्रति के लिए आयोजित मोकड्रिल में भाग लें।

15 आर्थिक विकास

प्रत्येक व्यक्ति की हर सुबह अलग-अलग होती है। कुछ लोग भौतिक सुख-सुविधाओं से भरपूर जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु विश्व की अधिकांश जनसंख्या जीवन-अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करती नजर आती है। गरीब के रूप में पहचाने जानेवाले इन लोगों के लिए भौतिक सुख-सुविधाएँ या आराम कल्पना का विषय है। ऐसी परिस्थिति किस तरह उत्पन्न हुई? इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलें ? आदि ऐसे प्रश्नों के उत्तर हैं।

आर्थिक विकास

आज के आधुनिक युग में विश्व का प्रत्येक देश विकास के लिए प्रयत्न करता है, परंतु विकास मात्र आर्थिक ही नहीं, अनेक पक्षोंवाला सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है।

आर्थिक विकास यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में होनेवाली सतत वृद्धि दर्शाता है।

आर्थिक विकास अर्थात् :

- देश की राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि होना।
- देश की प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होना।
- लोगों के जीवन-स्तर में सुधार होना।

इस बात को आर्थिक विकास कहा जाता है। देश की कुल आय को 'राष्ट्रीय आय' कहा जाता है। देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। जबकि जीवनस्तर में लोगों को प्राप्त होनेवाली सुविधाएँ जैसे की अनाज, कपड़ा (वस्त्र), शिक्षा, स्वास्थ्य, वाहन-व्यवहार की सुविधा तथा आवास की सुविधा का समावेश होता है। भारत में आजादी के बाद राष्ट्रीय आय और प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होने से अनाज, कपड़ा, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि सेवाओं का उपयोग और सुविधाओं में वृद्धि हुई है। पहले की तुलना में उपर्युक्त आवश्यकताएँ अधिक अच्छी तरह संतुष्ट होती हैं। अत: कहा जा सकता है कि भारत में आर्थिक विकास हो रहा है।

भारत की राष्ट्रीय आय

भारत की राष्ट्रीय आय (GDP) 2011-12 में 2015-16 के भाव से 87,36,039 करोड़ ₹ थी, जो बढ़कर 2015-16 में 1,35,67,192 करोड़ ₹ हो गई थी।

आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर

सामान्य रूप से आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों शब्द वृद्धि दर्शाते हैं, परंतु दोनों के बीच कुछ अन्तर पाया जाता है, जो निम्नानुसार हैं :

(1) **विकास की प्रक्रिया के आधार पर :** आर्थिक विकास गुणात्मक और आर्थिक वृद्धि परिणात्मक है। आर्थिक विकास यह प्रथम अवस्था है, जबकि आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास के बाद की अवस्था है।

(2) **अर्थतंत्र में होनेवाले परिवर्तन के आधार पर :** अर्थतंत्र में होनेवाले नये संशोधनों के आधार पर उत्पादन में होनेवाली वृद्धि आर्थिक विकास है। उदाहरणतया - कृषि क्षेत्रों में गेहूं धान जैसी फसलों में नए बीजों की खोज होने पर उत्पादन में अनेक गुना वृद्धि हुई। यह बात आर्थिक विकास दर्शाती है। दूसरी तरफ जोत-जमीन में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि हो तो उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं।

(3) विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में : विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में दोनों के बीच अंतर पाया जाता है। विकसित देशों की राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है, जबकि, विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि, आर्थिक विकास कहलाती है।

विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण

विकसित अर्थतंत्र और विकासशील अर्थतंत्र प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर अलग किए जाते हैं। विश्व बैंक के 2004 के विश्व विकास लेख में 735 $ से कम प्रति व्यक्ति आयवाले देशों को विकासशील अर्थतंत्र के रूप में पहचाना जाता है। विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण निम्नानुसार तय किया जाता है :

(1) नीची प्रतिव्यक्ति आय : विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय नीची होती है, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने से प्रतिव्यक्ति आय नीची रहती है। नीची प्रतिव्यक्ति आय के कारण जीवन-स्तर नीचा रहता है।

(2) जनसंख्या वृद्धि : विकाशशील देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। ऐसे देशों में जनसंख्या वृद्धि दर 2 % अथवा उससे अधिक भी होती है।

(3) कृषि क्षेत्र पर अवलंबन : विकासशील देशों में कृषि मुख्य आर्थिक प्रवृति होती है और देश के 60% से भी अधिक लोग रोजगारी के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। देश की राष्ट्रीय आय में भी कृषि का योगदान लगभग 25% होता है।

(4) आय वितरण की असमानता : विकासशील देशों में आय तथा उत्पादन के साधनों का बंटवारा असमान होता है। यह असमानता ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में होता है। देश के शीर्ष 20% धनिक लोग राष्ट्रीय आय का 40% हिस्सा रखते हैं और निम्नस्तर के 20% गरीब लोग राष्ट्रीय आय का 10% हिस्सा रखते हैं। इस प्रकार विकाशशील देशों में आय और संपत्ति का केन्द्रीकरण धनिक लोगों में हुआ नजर आता है।

(5) बेरोजगारी : बेरोजगारी विकासशील देशों का महत्त्वपूर्ण लक्षण है। इन देशों में बेरोजगारी का प्रमाण कुल श्रमिकों की संख्या के 3% से भी अधिक होता है। इन देशों में बेरोजगारी भिन्न-भिन्न स्वरूपों जैसे कि मौसमी बेरोजगारी, छुपी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी आदि पाई जाती है; जो लम्बे समय की बेरोजगारी होती है।

(6) गरीबी : गरीबी विकासशील राष्ट्र का लक्षण है। जो लोग अपनी प्राथमिक आवश्यताएँ जैसे कि अनाज, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पूरा नहीं कर सकते, उन्हें गरीब माना जाता है। विकासशील देशों में ऐसे लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग तीसरा भाग होती है।

(7) द्विमुखी अर्थतंत्र : विकासशील देशों में अर्थतंत्र का स्वरूप द्विमुखी पाया जाता है। एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ी कृषि पद्धति, पुरानी यंत्र सामग्री, रूढ़िचुस्त सामाजिक ढाँचा, कम उत्पादन पाया जाता है। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में आधुनिक उद्योग, नई उत्पादन पद्धति, आधुनिक यंत्र तथा वैभवी जीवनशैली पाई जाती है।

(8) मूलभूत अपर्याप्त सेवाएँ : विकास के लिए अनिवार्य मूलभूत सेवाएँ जैसे कि शिक्षा, परिवहन, संचार, बिजली, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि का ऐसे अर्थतंत्र में कम विकास होता है। जो देश के विकास के लिए अवरोधक बनता है।

(9) अंतरराष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप : विकासशील देशों में विदेशी व्यापार का स्वरूप और ढाँचा अलग-अलग पाया जाता है। ये देश मुख्यत: कृषि उत्पादों और बगीचों की उपज तथा कच्ची धातुओं का निर्यात करते हैं। इस प्रकार के निर्यात की मांग कम होती है और भाव नीचा होता है। जिससे निर्यात से आय कम होती है, जबकि आयात औद्योगिक उपज और यंत्र सामग्री का होता है। इन वस्तुओं का भाव अधिक होने से आयात के पीछे खर्च अधिक होता है। इस प्रकार विकासशील देशों के लिए विदेशी व्यापार की शरतें प्रतिकूल होने से देश पर विदेशी कर्ज बढ़ता है।

इस प्रकार विकासशील देशों में मुख्यत: ऊपर दिए गए लक्षण पाए जाते हैं। भारत विकासशील राष्ट्र होने से ऊपर के लक्षण कम या अधिक मात्रा में भारत पर लागू पड़ते हैं।

आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्तियाँ

भारतीय अर्थतंत्र का परिचय प्राप्त करने से पहले हम आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्ति का अध्ययन करें।

आर्थिक प्रवृत्ति

आय प्राप्त करने या खर्च करने के उद्देश्य से की जानेवाली प्रवृत्ति को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। उदाहरण- किसान, कारीगर, व्यापारी, शिक्षक आदि की प्रवृत्ति आर्थिक प्रवृत्ति कहलाती है।

अनार्थिक प्रवृत्ति

जिस प्रवृत्ति का उद्देश्य आय प्राप्त करना या खर्च करना न हो तो उस प्रवृत्ति को अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। उदाहरण - माता अपने बालक की देखभाल करे, व्यक्ति समाजसेवा का कार्य करे आदि अनार्थिक प्रवृत्ति हैं।

भारतीय अर्थतंत्र का ढाँचा

अर्थतंत्र में होनेवाली विविध असंख्य आर्थिक प्रवृत्तियों या विविध व्यवसायों को तीन मुख्य विभागों में बाँटा जाता है : (1) प्राथमिक क्षेत्र (2) माध्यमिक क्षेत्र और (3) सेवा क्षेत्र। आर्थिक प्रवृत्तियों के इस वर्गीकरण को व्यवसायिक ढाँचे के रूप में पहचाना जाता है। इन तीन विभागों और उसमें समावेश होती प्रवृतियों की चर्चा निम्नानुसार करते हैं :

(1) प्राथमिक क्षेत्र : अर्थतंत्र के इस विभाग में कृषि तथा कृषि के साथ संलग्न प्रवृतियों जैसे कि पशुपालन, पशुसंवर्धन, मत्स्य उद्योग, मुर्गी-बतक पालन, जंगल, कच्ची धातुओं की खुदाई आदि प्रवृत्तियों का प्राथमिक विभाग में समावेश होता है।

(2) माध्यमिक क्षेत्र : इस विभाग में छोटे और बड़े आधारभूत उद्योगों, निर्माण कार्य आदि प्रवृत्तियों का समावेश होता है। यह विभाग उद्योग के रूप में भी पहचाना जाता है। जिसमें पिन से लेकर बड़े-बड़े यंत्रों तक के उत्पादन का समावेश होता है।

(3) सेवा क्षेत्र : इस विभाग में अनेकविध सेवाओं का समावेश होता है। ऐसी सेवाओं में व्यापार, संचार, वायु तथा समुद्री मार्गों, शिक्षण, स्वास्थ्य, बैंकिंग तथा बीमा कंपनियों, परिवहन और मनोरंजन आदि के कार्यों का समावेश इस क्षेत्र में होता है।

सामान्य रूप से विकासशील देशों में प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व होता है। रोजगारी तथा राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक होता है। परंतु जैसे-जैसे आर्थिक विकास होता जाता है वैसे-वैसे प्राथमिक क्षेत्र का महत्त्व माध्यमिक और सेवा क्षेत्र की सापेक्षता में घटता जाता है और उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की व्यापकता बढ़ती जाती है।

उत्पादन के साधन

प्राकृतिक संपत्ति और श्रम की सहायता से चीज वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यह उत्पादन करने के लिए अनेकविध साधनों का उपयोग होता है। इन्हें चार भागों में बाँटा गया है : (1) जमीन (2) पूँजी (3) श्रम और (4) नियोजन। इन सभी साधनों का परिचय निम्नानुसार है :

(1) जमीन : सामान्य अर्थ में जमीन को हम पृथ्वी की सपाटी की ऊपरी परत को कहते हैं। परंतु अर्थशास्त्र की परिभाषा में जमीन अर्थात् सभी प्रकार की प्राकृतिक संपत्ति जिसमें पृथ्वी के धरातल पर आए हुए खनिज, धातु आदि का समावेश जमीन में होता है। इस प्रकार जमीन उत्पादन का प्राकृतिक साधन है।

(2) पूँजी : उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग में लिए जानेवाले मानव सर्जित साधन जैसे-यंत्र, औजार, मकान आदि का समावेश पूँजी में होता है।

(3) श्रम : भौतिक बदले के उद्देश्य से किए जानेवाले किसी भी शारीरिक या मानसिक कार्य को श्रम कहते हैं। श्रम उत्पादन का सजीव साधन है। कृषि मजदूर, कामदार, शिक्षक, डॉक्टर, कारीगर आदि के कार्य को श्रम कहते हैं।

(4) नियोजन (नियोजक) : उत्पादन की प्रक्रिया में जमीन, पूँजी और श्रम जैसे तीनों साधनों को लाभ के उद्देश्य से कुशलतापूर्वक संयोजन करनेवाले व्यक्ति को नियोजक कहते हैं। इस तीनों साधनों को योजनापूर्वक उत्पादन में जोड़ने के कार्य को नियोजन कहा जाता है।

उत्पादन के साधनों का बँटवारा

मानव की आवश्यकताएँ असीमित हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन सीमित हैं। विश्व के किसी भी देश में साधन असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। उत्पादन साधनों की हमेशा कमी रहती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश अपने पास सीमित साधनों का उपयोग कैसे कहाँ और कितनी मात्रा में करें? आदि प्रश्न साधनों के बँटवारे में उद्‌भव होते हैं। जिसकी चर्चा निम्नानुसार कर सकते हैं :

(1) असीमित आवश्यकताएँ : मनुष्य की आवश्यकताएँ अमर्यादित और असीमित होती हैं। एक आवश्यकता में से अनेक अन्य आवश्यकताओं का उद्‌भव होता है। अनेक आवश्यकताएँ बारंबार संतुष्ट करनी पड़ती हैं तो कुछ आवश्यकताएँ विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण भी उद्‌भव होती हैं। इस प्रकार अनेक कारणों से आवश्यकताएँ असीमित होती हैं। इसलिए इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आवश्यकताओं की पसंदगी करनी पड़ती है।

(2) आवश्यकताओं में अग्रिमताक्रम : असीमित आवश्यकताओं के सामने सीमित उत्पादन के साधन होने से कौन-सी आवश्यकताएँ अधिक महत्त्वपूर्ण यह व्यक्ति को निश्चित करके और आवश्यकताओं को अग्रिमताक्रम के अनुसार संतुष्ट करना पड़ता है। जो आवश्यकता अधिक महत्त्व की हो उसे सर्वप्रथम संतुष्ट करना पड़े और उसके बाद अन्य आवश्यकताएँ। इस प्रकार उत्पादन के साधन सीमित होने से आवश्यकताओं में अग्रिमता क्रम निश्चित करना पड़ता है।

(3) मर्यादित साधन : उत्पादन के साधनों में मुख्यत: प्राकृतिक संपत्ति और मानव संपत्ति होती है। ये सभी साधन मर्यादित होते हैं। इसलिए इनका मितव्ययिता से उपयोग करना पड़ता है और पसंद की गई आवश्यकताओं को लक्ष्य में रख कर साधनों का बँटवारा करना पड़ता है।

(4) साधनों का वैकल्पिक उपयोग : आवश्यकताएँ संतुष्ट करने के साधन सीमित हैं। इतना ही नहीं, परन्तु वे वैकल्पिक उपयोगवाली होती हैं। उत्पादन का कोई भी साधन एक से अधिक उपयोग में आता हो तो वह साधन अनेक उपयोग रखता है। इस साधन का एक समय एक ही उपयोग हो सकता है। इस प्रकार यह उपयोग वैकल्पिक है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे जमीन में गेहूँ की फसल बोएँ तो बाजरी, मकई, मूँगफली या अन्य फसल नहीं बोई जा सकती। जमीन के अन्य उपयोग का त्याग करना पड़ता है।

इस प्रकार उपर्युक्त परिस्थिति में अधिक आवश्यकता संतुष्ट हो इस तरह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में साधनों का बँटवारा करना पड़ता है।

उत्पादन के साधनों के बँटवारे की पद्धतियाँ

उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठ बँटवारा करके और अधिक तीव्रता से आर्थिक विकास करने का प्रयत्न प्रत्येक देश करता है : (अ) बाजार पद्धति और (ब) समाजवादी पद्धति। ये दोनों पद्धतियाँ एक-दूसरे की एकदम विरोधी हैं। इन दोनों पद्धतियों का समन्वय करके अन्य कुछ पद्धतियाँ भी विकसित हुई हैं। प्रत्येक देश अपने अनुरूप हो ऐसी एक या दूसरी पद्धति स्वीकारता है। उत्पादन साधनों के बँटवारे की मुख्य पद्धतियों की जानकारी इस प्रकार है:

(अ) बाजार पद्धति : अमेरिका, जापान आदि देशों ने अपना आर्थिक विकास बाजार पद्धति से किया था। बाजार पद्धति को पूँजीवादी पद्धति के रूप में भी पहचाना जाता है। इस पद्धति में उत्पादन साधनों का बँटवारा लाभ के आधार पर होता है। इस पद्धति में उत्पादन और उसके साथ संलग्न आर्थिक निर्णयों के केन्द्र में लाभ होता है। लोगों ने जिन उद्योगों में पूँजी निवेश करना लाभदायक माना उसमें पूँजी निवेश किया। इस पद्धति में बाजारतंत्र संपूर्ण रूप से मुक्त होता है। सरकार की कोई भी निश्चित आर्थिक नीति या भूमिका नहीं होती है।

बाजारतंत्र में 'स्पर्धा'का तत्त्व अनोखी भूमिका निभाता है। स्पर्धायुक्त बाजार में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यक्षमता अधिक से अधिक ऊँची ले जानी पड़ती है। इस प्रक्रिया के कारण अनेक नए संशोधन होते हैं और उत्पादन की नई पद्धति खोजी जाती है। जिसके द्वारा उत्पादन अधिकतम होता है। इससे देशों का आर्थिक विकास तीव्र होता है।

इस प्रकार बाजार पद्धति में 'स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा'का तत्त्व 'अदृश्य हाथ' की तरह समग्र बाजार पर नियंत्रण रखता है। इस पद्धति में राज्यों का हस्तक्षेप न होने से यह पद्धति 'मुक्त अर्थतंत्र' के रूप में भी पहचानी जाती है।

बाजार पद्धति के लक्षण

(1) उत्पादन के साधनों की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है।

(2) बाजार पद्धति में आर्थिक प्रवृति के केन्द्र में लाभ होता है।

(3) ग्राहकों को पसंदगी करने के विशाल अवसर मिलते हैं।

(4) बाजार में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है।

(5) उत्पादन के साधनों का बँटवारा लाभ के आधार पर होता है।

(6) आर्थिक निर्णय मूल्यतंत्र के आधार पर लिए जाते हैं।

बाजार पद्धति के लाभ

(1) बाजार पद्धति में व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहती है।

(2) उत्पादन साधनों का अधिकतम और कार्यक्षम उपयोग होता है।

(3) अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

(4) अर्थतंत्र में सतत नये संशोधन होते रहते हैं, जिसके कारण आर्थिक विकास को गति मिलती है।

(5) स्पर्धा के कारण वस्तु की गुणवत्ता श्रेष्ठ बनती है।

बाजार पद्धति की मर्यादाएँ (कमियाँ) : बाजार पद्धति के अनेक लाभ होने पर भी वे संपूर्ण नहीं हैं। इसमें कुछ कमियाँ या उसकी सीमाएँ हैं, जो निम्नानुसार हैं :

(1) लाभ को ध्यान में रखकर उत्पादन होने से विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है और प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन घटता है।

(2) राज्य की कोई भी नीति विषयक भूमिका न होने से प्राकृतिक संपत्ति का अपव्यय होता है।

(3) ग्राहक को बाजार के विषय में अज्ञानता होने से उनका शोषण होता है।

(4) संपत्ति और आय का केन्द्रीकरण होने से आय की असमानता बढ़ती है।

(5) एकाधिकार, अर्थिक अस्थिरता, मजदूरों का शोषण आदि का भय रहता है।

(ब) समाजवादी पद्धति : बाजार पद्धति की अनेक कमियों और असफलताओं के कारण समाजवादी पद्धति का उद्‌भव हुआ। रूस और चीन जैसे देशों ने यह पद्धति अपनाकर तीव्रता से आर्थिक विकास किया था।

समाजवादी आर्थिक पद्धति बाजार पद्धति के एकदम विरोधी है। समाजवादी आर्थिक पद्धति में सभी निर्णय राज्यतंत्र द्वारा लिए जाते हैं। उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व राज्य का होता है। इस पद्धति में समग्र अर्थतंत्र का संचालन राज्य द्वारा होता है। उत्पादन, पूँजीनिवेश, साधनों का बँटवारा आदि समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर राज्य द्वारा लिया जाता है।

समाजवादी पद्धति के केन्द्र में लाभ नहीं, अपितु समग्र समाज का कल्याण रहता है। चीज-वस्तुओं का उत्पादन और भाव राज्य द्वारा निश्चित होता है। राज्यों द्वारा निश्चित किए गए उत्पादन के लक्ष्यांक को सिद्ध करने की जिम्मेदारी राज्य संचालित कारखानों की होती है। कृषि भी राज्य की मालिकी की होती है। श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाता है और उसके अनुसार काम लिया जाता है।

समाजवादी पद्धति के लक्षण

(1) उत्पादन के साधनों की मालिकी राज्य की होती है।

(2) अर्थतंत्र में सभी आर्थिक निर्णय राज्य द्वारा लिए जाते हैं।

(3) आर्थिक प्रवृति के केन्द्र में लाभ नहीं, अपितु समाज का हित होता है।

(4) श्रमिकों को काम के बदले में वेतन चुकाया जाता है।

समाजवादी पद्धति के लाभ

(1) समाज की आवश्यकता अनुसार उत्पादन होने से अनावश्यक या विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है।

(2) इस पद्धति में उत्पादन के निर्णय राज्य द्वारा लिए जाने से प्राकृतिक संपत्ति का अपव्यय नहीं होता है।

(3) आय और संपत्ति की असमानता दूर होती है।

(4) ग्राहकों का शोषण नहीं होता है।

समाजवादी पद्धति की मर्यादाएँ (सीमाएँ) : समान बँटवारा और सामाजिक कल्याण के उमदा उद्देश्य के साथ लागू की गई समाजवादी पद्धति में भी कुछ कमियाँ हैं, जो निम्नानुसार हैं :

(1) उत्पादन साधनों का स्वामित्व राज्य का होने से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है।

(2) स्पर्धा के अभाव के कारण अर्थतंत्र में संशोधन को वेग नहीं मिलता है।

(3) इस पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्र्य नहीं रहता।

(4) राज्य के संपूर्ण हस्तक्षेप के कारण नौकरशाही का भय उत्पन्न होता है।

मिश्र अर्थतंत्र : बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति की कुछ कमियों के कारण दोनों पद्धतियों की कुछ अच्छी बातों का सुमेल साधकर और मध्यम मार्ग के रूप में मिश्र अर्थतंत्र की पद्धति अस्तित्व में आई।

'मिश्र अर्थतंत्र' अर्थात् ऐसी आर्थिक पद्धति जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है और ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के स्पर्धी नहीं परंतु पूरक बनकर काम करते हैं।' इस पद्धति में निजी क्षेत्र में कृषि, व्यापार, विभिन्न उपयोगी माल के उद्योग आदि की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है। जबकि भारी उद्योग, संरक्षण सामग्री के कारखाने, रेलवे, बिजली, मार्ग, सिंचाई आदि आधारभूत चाबी रूपी क्षेत्रों की मालिकी राज्य की होती है।

इस पद्धति में बाजार संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता। सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न तरह से नियंत्रण रखे जाते हैं। जैसे कि समाज में अनिच्छनीय वस्तुओं का उत्पादन रोकने के लिए राज्य द्वारा ऊँचा कर लादा जाता है। तो इसी तरह पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा सबसीड़ी, कर में राहत आदि प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

इस प्रकार मिश्र अर्थतंत्र एक ऐसी पद्धति है कि जिसमें आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में आर्थिक आयोजन को मुख्य स्थान दिया जाता है, जिसके लिए सार्वजनिक और निजी साहस का सहअस्तित्व स्वीकार किया जाता है। इस पद्धति में अंकुश या नियंत्रण होने से 'नियन्त्रित आर्थिक पद्धति' के रूप में भी पहचाना जाता है। भारत, फ्रांस आदि देशों में मिश्र अर्थतंत्र पाया जाता है।

आर्थिक निर्णय और उत्पादन के साधनों के बँटवारे के लिए बाजार पद्धति, समाजवादी पद्धति मिश्र अर्थतंत्र का हमने अध्ययन किया परन्तु आज विश्व के किसी भी देश में संपूर्णत: बाजार पद्धति या सौ प्रतिशत समाजवादी पद्धति अमल में नहीं है। दोनों पद्धतियाँ अपना विशिष्ट स्वरूप खोकर मिश्र अर्थतंत्र में मिल गई है। बाजार पद्धति में आज आयोजन और राज्य का नियंत्रण देखा जाता है। जबकि समाजवादी पद्धति में भी आर्थिक छूट-छाट और आर्थिक उदारता के प्रभाव देखने को मिलते हैं।

परंतु मिश्र अर्थतंत्र में भी कमियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि आर्थिक अस्थिरता, संकलन का अभाव, आर्थिक नीतियों में असातत्य, आर्थिक विकास का नीची दर आदि मर्यादाएँ मिश्र अर्थतंत्र में भी पाई जाती हैं।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए :

(1) विकासशील अर्थतंत्र के किन्हीं पाँच लक्षणों का वर्णन कीजिए।

(2) आवश्यकताएँ अमर्यादित होती हैं, समझाइए।

(3) बाजारतंत्र की मर्यादाओं की चर्चा कीजिए।

(4) मिश्र अर्थतंत्र में साधनों के बँटवारे की चर्चा कीजिए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दासहित उत्तर लिखिए :

(1) उत्पादन के साधन के रूप में जमीन।

(2) समाजवादी पद्धति की कमियाँ।

(3) आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर की चर्चा कीजिए।

(4) प्राथमिक क्षेत्र के विषय में टिप्पणी लिखिए।

(5) अंतर स्पष्ट कीजिए : आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए :

(1) आर्थिक विकास अर्थात् क्या?

(2) उत्पादन के मुख्य साधन कौन से हैं? बताइए।

(3) आर्थिक प्रवृति का अर्थ समझाइए।

(4) भारत ने कौन-सी आर्थिक पद्धति अपनाई है?

(5) साधनों के वैकल्पिक उपयोग अर्थात् क्या?

4. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) आर्थिक रूप से भारत कैसा देश है?

(A) विकसित (B) पिछड़ा (C) विकासशील (D) गरीब

(2) विश्व बैंक के 2004 के लेख के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितने डॉलर से कम हो तो वह विकासशील देश है ?

(A) 480 $ (B) 520 $ (C) 735 $ (D) 250 $

(3) किस पद्धति को मुक्त अर्थतंत्र कहते हैं ?

(A) समाजवादी पद्धति (B) मिश्र अर्थतंत्र (C) बाजार पद्धति (D) एक भी नहीं

(4) पशुपालन व्यवसाय का समावेश किस विभाग में किया जाता है?

(A) माध्यमिक (B) प्राथमिक (C) सेवाक्षेत्र (D) दिए गए तीनों

प्रवृत्ति

- शिक्षक विद्यार्थियों से निरीक्षण द्वारा आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्ति की सूची तैयार करवाएँ।
- अपने देश की भिन्न-भिन्न वर्षों की राष्ट्रीय आय की जानकारी प्राप्त करके चार्ट बनाइए।
- विद्यार्थियों द्वारा देखे गए उत्पादन के साधनों का वर्गीकरण कराना और स्केचबुक बनवाना।

16 आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण

भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त करके तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए हमारी सरकार द्वारा आयोजन का मार्ग स्वीकार किया गया। एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं के अमल द्वारा तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करने का कार्य हाथ में लिया गया। इसके लिए वित्तीय नीति, राजकोषीय नीति और औद्योगिक नीतियों की समय-समय पर घोषणाएँ की गईं। परन्तु अनेक योजनाएँ पूरी हुईं, तब तक सच्चे अर्थों में आर्थिक विकास साधने में सफलता नहीं मिली। इसलिए सरकार ने असफलताओं के कारणों की जाँच की। भूतकाल में की गई भूलों को सुधारने के लिए भिन्न-भिन्न आर्थिक नीतियों को नया संचालक देने का निश्चय किया। इसके अधीन 1991 की औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास को पोषक बने ऐसे आर्थिक सुधार लागू किए, जिन्हें (1) उदारीकरण (2) निजीकरण और (3) वैश्वीकरण के रूप में पहचाना जाता है।

(1) आर्थिक उदारीकरण : सरकार औद्योगिक नीति द्वारा निजी क्षेत्र पर के अंकुशों और नियंत्रणों में क्रमशः कमी करे और विकास को प्रोत्साहित करे, उसे उदारीकरण की नीति के रूप में पहचाना जाता है।

शुरुआत के चरण में उदारीकरण के अधीन जो आर्थिक सुधार अपनाए गए थे वे मुख्यतः निम्नानुसार हैं :

(1) 18 उद्योग सार्वजनिक साहस के लिए आरक्षित थे, उनके अलावा अन्य उद्योगों के लिए परवाना पद्धति को समाप्त किया गया।

(2) रेलवे, अणुक्षेत्र और संरक्षण के सिवाय सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए।

(3) उद्योगों के लिए अनिवार्य पंजीकरण प्रथा रद्द कर दी गई।

(4) प्रदूषण न फैले और पर्यावरण के लिए खतरा न हो, ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की व्यवस्था को रद्द की गई।

उदारीकरण से लाभ :

(1) उदारीकरण के कारण निजी क्षेत्र को मुक्त विकास के अवसर प्राप्त हुए, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई।

(2) उदारीकरण की नीति को स्वीकार करने से विदेशी व्यापार को बल मिलना शुरू हुआ और विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई।

(3) विदेशी व्यापार में वृद्धि होने से विदेशी मुद्रा के आरक्षण में वृद्धि हुई।

(4) उदारीकरण के परिणाम स्वरूप देश में आंतरिक ढाँचागत सुविधाएँ बढ़ीं।

उदारीकरण से हानि :

(1) निजीक्षेत्र पर अंकुश घटने के उपरांत एकाधिकार की बुराई में कमी नहीं हो सकी।

(2) मात्र औद्योगिक क्षेत्र पर ही ध्यान देने से भारत कृषि क्षेत्र के विकास में पीछे रहा।

(3) आय की असमानता में वृद्धि हुई।

(4) आयात बढ़ने से और निर्यात घटने से विदेशी कर्ज में वृद्धि हुई।

(2) निजीकरण : निजीकरण अर्थात् ऐसी प्रक्रिया जिसमें राज्य के स्वामित्व के औद्योगिक साहसों की मालिकी अथवा संचालन निजीक्षेत्र को सौंप दिया जाता है। निजीकरण दो मार्गों से होता है :

(1) पहला जो क्षेत्र सार्वजनिक साहसों के लिए आरक्षित हो, वे क्षेत्र निजी विभाग के लिए खुले रखे जाते हैं।

(2) राज्य के स्वामित्व की कंपनियों की मालिकी राज्य अपने पास रखे और संचालन निजी कंपनी को सौंपे अथवा संचालन राज्य अपने पास रखे और मालिकी निजी कंपनी को सौंपे।

निजीकरण से लाभ :

(1) निजीकरण की नीति के कारण देश में उद्योग क्षेत्र की उत्पादकीय इकाइयों की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई है।

(2) निजीकरण के कारण पूँजीगत और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण होने से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की कार्यक्षमता में सुधार हुआ।

निजीकरण से हानि :

(1) निजीकरण के कारण आर्थिकसत्ता का केन्द्रीकरण हुआ है। जिससे एकाधिकार को वेग मिला है।

(2) निजीकरण से छोटे गृहउद्योगों का विकास उचित ढंग से नहीं हो सका, मात्र बड़े उद्योगों को ही लाभ मिला है।

(3) निजीकरण के कारण मूल्य नियन्त्रण में नहीं रहे, जिससे मूल्यवृद्धि की समस्या खड़ी हुई।

(3) वैश्वीकरण : 'वैश्वीकरण अर्थात् देश के अर्थतंत्र को विश्व के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने की प्रक्रिया। जिसके कारण वस्तुओं, सेवाओं, तक्नीकी और श्रम का प्रवाह विश्व में सरलता से प्राप्त हो।'

वैश्वीकरण में मुख्यत: निम्न सुधार हाथ में लिए गए :

(1) दो देशों के बीच व्यापार के अवरोध दूर करना।

(2) ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना कि जिससे दो देशों के बीच पूँजी की हेरफेर आसानी से हो सके।

(3) टेक्नोलॉजी के आयात-निर्यात के अवरोध दूर करना।

(4) विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का आयात-निर्यात मुक्त रूप से करना।

वैश्वीकरण के प्रभाव : वैश्वीकरण का भारतीय अर्थतंत्र पर मिश्र प्रभाव पड़ा है। कुछ लाभ तो कुछ हानि हुई है, जो निम्नानुसार हैं :

लाभ :

(1) वैश्वीकरण के कारण देश में विदेशी पूँजी निवेश को प्रोत्साहन मिला है।

(2) वैश्वीकरण द्वारा विकसित देशों में उत्पन्न होनेवाली वस्तुएँ आसानी से प्राप्त हो सकती हैं।

(3) वैश्वीकरण के कारण भारत जैसे विकासशील देश अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में टिके रहने की शक्ति प्राप्त करते हैं।

हानि :

(1) वैश्वीकरण से गरीबी और बेरोजगारी की समस्या हल करने में इच्छित सफलता नहीं मिली।

(2) विकासशील देशों को निर्यात वृद्धि द्वारा जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो सका।

(3) वैश्वीकरण का लाभ बड़े उद्योगों को अधिक मिला है जबकि छोटे उद्योगों को लाभ कम मिला है।

विश्वव्यापार संगठन (WTO) (World Trade Organization)

संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य देशों द्वारा 1 जनवरी, 1995 से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए संस्था (WTO) शुरू की गई। इस संस्था का मुख्यालय स्वीट्जरलैन्ड के जीनेवा शहर में रखा गया है। इस संस्था के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

उद्देश्य :

(1) विश्व के देशों के बीच व्यापार के अवरोध दूर करना।

(2) विदेशीव्यापार के लिए देश के उद्योगों को दिया जानेवाला संरक्षण दूर करना।

(3) विदेश व्यापार नीति और आर्थिक नीतियों के साथ संकलन साधना।

(4) विश्व में उत्पन्न होनेवाले व्यापारी झगड़ों का निवारण करना।

कार्य

(1) बहु राष्ट्रीय व्यापार और उससे जुड़े करारों के लिए आवश्यक ढाँचे का निर्माण करके करारों को लागू करवाना है।

(2) विश्व व्यापार संगठन बहुराष्ट्रीय व्यापार के लिए हुई चर्चा-विचारणा और वार्ता के लिए 'फोरम' (चर्चा के लिए स्थान) के रूप में कार्य करना है।

(3) WTO भेदभाव बिना अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है।

(4) भिन्न-भिन्न देश जो अपनी राष्ट्रीय नीति का अनुकरण करते हैं। उसका अवलोकन करता है और आवश्यक सुधार सूचित करता है।

भारतीय अर्थतंत्र पर प्रभाव

इस संस्था की स्थापना के समय से ही भारत इस संस्था का सदस्य है। इससे भारत पर इस संस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा अथवा भारत को किस प्रकार के लाभ मिलेंगे, उसकी चर्चा निम्नानुसार है :

(1) विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 0.5% था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होने से हमारे निर्यात में भारी वृद्धि हुई। जिसके परिणाम स्वरूप विश्वव्यापार में भारत का हिस्सा बढ़कर 1% से भी अधिक हो गया।

(2) WTO के सदस्य रहने से हमारे तैयार वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि होगी।

(3) WTO के सदस्य बनने से भारत अपनी कृषि उपजों के निर्यात में वृद्धि कर सकेगा।

(4) निर्यात में वृद्धि होने से आयात पर दबाव हल्का होगा और विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगी।

आज विश्व व्यापार संगठन के साथ जुड़ने से सदस्य देश के रूप में भारत को उपर्युक्त लाभ ही होंगे पर साथ-साथ कुछ शर्तों का पालन भी भारत को करना पड़ेगा। विशेषकर भारत अपनी आंतर ढाँचागत सुविधाएँ कितनी तेजी से बढ़ाता है और विकसित देश भारत के साथ कितना सहयोग करते हैं, यह बात उस पर आधारित है।

स्थायी विकास (संपोषित विकास)

स्थायी विकास की व्याख्या के अनुसार ''भावि पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता को नुकसान पहुँचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना।'' स्थायी विकास में पर्यावरणीय संसाधनों का अस्तित्व बनाए रखने पर बल दिया गया है।

मानव सृष्टि के आसपास प्राकृतिक और मानव सर्जित आवरण अर्थात् पर्यावरण पर पड़े गंभीर प्रभावों के कारण स्थायी विकास का विचार विकसित हुआ है। आज की पीढ़ी ने जो विकास साधा है और तेजी से विकास साध रहा है, उसे भविष्य में टिकाए रख सके ऐसा नहीं है। वर्तमान पीढ़ी जो सुविधाएँ भोग रही है, वही सुविधाएँ शायद भावि पीढी को प्राप्त हो ऐसा नहीं, यही भय उत्पन्न हो रहा है।

आर्थिक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों का प्रमाण घटता है और उसकी गुणवत्ता कम होती है। इस परिस्थिति में विकास के विचार में परिवर्तन जरूरी है। आज का विकास और उसके कारण पर्यावरण पर होनेवाले प्रभावों का अध्ययन स्थायी विकास के विचार के अधीन किया जाता है।

प्राकृतिक साधनों का संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निम्न व्यूहरचना अपनानी चाहिए

(1) पुन: उपयोग में लिए जा सकें ऐसे प्राकृतिक साधनों जैसे, कृषि लायक जमीन, वन, जल संपत्ति आदि का उपयोग, उनकी गुणवत्ता बनी रहे इस तरह करना और जो प्राकृतिक संसाधन एक ही बार उपयोग में लिया जा सके ऐसे हैं – जिनमें कोयला पेट्रोलियम, खनिज आदि का समझदारी पूर्ण उपयोग करना।

(2) परिवहन खर्च कम हो इस तरह उद्योगों का स्थान निश्चित करना और वाहनों में तथा उद्योगों में 'पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी' का उपयोग बढ़े, ऐसे प्रयास करना।

(3) जिन साधनों को एक से अधिक उपयोग में लिया जा सके, उनका अधिकतम उपयोग करना। जैसे विभिन्न सिंचाई योजनाओं का एक से अधिक उपयोग होता है। उदाहरण – बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, परिवहन आदि में करना।

(4) प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग न हो, औद्योगिक कचरे का बिन आयोजित निकाल, जहरी रसायन, बढ़ती गंदी बस्तियाँ रोकने आदि पर नियंत्रण का कार्य करना।

(5) उत्पादन के सभी क्षेत्रों में और पवन ऊर्जा जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने पर बल देना।

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय

पर्यावरण की सुरक्षा हेतु स्वीडन के स्टोकहोम शहर में 1972 में पहली बार 'पृथ्वी परिषद्' का आयोजन हुआ। उसके बाद समय-समय पर वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधित भिन्न-भिन्न अनेक सम्मेलन और शिविरों का आयोजन हुआ उसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय करने का निश्चय किया गया।

भारत भी इन वैश्विक उपायों में शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण जागृति के लिए सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है। जैसे कि (1) देश के मुख्य शहरों में प्रदूषण की जानकारी दी जाती है। (2) प्रदूषण पर नियन्त्रण रखने के लिए केन्द्र तथा राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है (3) विश्व भर में 5 जून को 'पर्यावरण' दिवस के रूप में घोषित किया गया है। (4) 1981 में भारत सरकार ने 'वायु प्रदूषण' नियन्त्रण धारा पास किया। (5) ओजोन स्तर में छिद्र, परमाणु कचरे का निकाल और जैविक विविधता बनाए रखने के लिए वैश्विक समझौते हुए हैं।

इस प्रकार पर्यावरण की जवाबदारी हम सभी की है। यदि हम प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वह समय दूर नहीं कि जब पृथ्वी पर समग्र जीवन नष्ट हो जाएगा !

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर लिखिए :

(1) उदारीकरण का अर्थ देकर उसके लाभ समझाइए।

(2) निजीकरण के लाभ और हानि लिखिए।

(3) पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय बताइए।

(4) स्थायी विकास की व्यूहरचना समझाइए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दासर लिखिए :

(1) वैश्वीकरण के लाभ समझाइए।

(2) विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य लिखिए।

(3) निजीकरण के लाभ बताइए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए :

(1) वैश्वीकरण की संकल्पना समझाइए।

(2) भारत में आर्थिक सुधारों का अमल कब हुआ?

(3) विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई?

(4) स्थायी विकास की संकल्पना समझाइए।

4. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?

(A) स्टॉकहोम (B) जिनेवा (C) लंदन (D) कोलकाता

(2) पर्यावरणीय जागृति के लिए 'पृथ्वी परिषद्' किस वर्ष में आयोजित की गई?

(A) 1972 (B) 1951 (C) 1992 (D) 2014

(3) विश्व में किस दिवस को 'विश्वपर्यावरण दिवस' के रूप में मनाया जाता है ?

(A) 8 मार्च (B) 11 जून (C) 5 जून (D) 12 मार्च

(4) देश के अर्थतंत्र को विश्व अर्थतंत्र के साथ जोड़ने की प्रक्रिया अर्थात्.....

(A) निजीकरण (B) वैश्वीकरण (C) उदारीकरण (D) एक भी नहीं

प्रवृत्ति

- विद्यार्थी समूह चर्चा द्वारा निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के लाभ और हानि की चर्चा कीजिए।
- पर्यावरण की जाग्रति के लिए रैली का आयोजन कीजिए।
- विद्यार्थियों द्वारा वृक्षारोपण और उसके जतन के कार्य करना।
- विद्यालय में विशेषज्ञ का व्याख्यान आयोजित करना।

17 आर्थिक समस्याएँ और चुनौतियाँ : गरीबी और बेरोजगारी

भारतीय अर्थतंत्र में कुछ गंभीर और जटिल, आर्थिक और सामाजिक समस्याएँ जैसे जनसंख्या वृद्धि, मूल्यवृद्धि, कालाधन, गरीबी, बेकारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि का समावेश होता है। जिनमें मुख्य आर्थिक समस्याएँ गरीबी, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, जनसंख्यावृद्धि है। जिनमें से गरीबी और बेरोजगारी का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

गरीबी

समाज का बड़ा वर्ग अपने जीवन की मूलभूत और आधारभूत आवश्यकताएँ जैसे अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षण और स्वास्थ्य की सेवाएँ न्यूनतम मात्रा में भी भोगने से वंचित रहकर जीवन गुजारता हो, तब समाज की ऐसी स्थिति को व्यापक या दयनीय गरीबी कहते हैं और ऐसी स्थिति में समाज में रहनेवाले व्यक्ति को 'गरीब' माना जाता है।

गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग (BPL - Below Poverty Line) : गरीबी गुणात्मक विचार है। भारत में गरीबी को व्यक्ति के जीवन के लघुतम स्तर के रूप में देखा जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीनेवाले लोगों के सामान्य लक्षण निम्नानुसार पाए जाते हैं :

17.1 गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते लोग

- जिस व्यक्ति को दो समय का पर्याप्त भोजन नहीं मिलता।
- रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुली जगह प्राप्त नहीं होती।
- न चाहते हुए भी गंदे आवास या स्लम क्षेत्रों में निवास करना पड़ता है।
- उनकी आय निर्धारित अपेक्षित आय से भी कम होती है।
- उनकी आयु राष्ट्रीय औसत आयु से भी कम होती है।
- जो अधिकांशत: निरक्षर होते हैं।
- जो सतत पौष्टिक आहार के अभाव से छोटे-बड़े रोगों से पीड़ित हों।
- जिनके बालकों को परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए पढ़ने की उम्र में मजदूरी या कामधंधे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- जिनके बालकों की कुपोषण के कारण बालमृत्यु की दर अधिक रहती है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीनेवाले लोगों का जीवनस्तर ऊँचा लाने के लिए सरकारी प्रयास :

- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीनेवाले परिवारों की आय बहुत कम होती है। ऐसे परिवारों को अंत्योदय परिवार या गरीबी रेखा के नीचे जीते परिवार (BPL) कहते हैं।
- सरकार ने ऐसे परिवारों को पहचानकर राशनकार्ड के आधार पर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शुरू की। इन दुकानों को उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं। ऐसे परिवारों को प्रतिमास आवश्यक चीज-वस्तुएँ जैसे अनाज, चीनी, तेल, नमक, केरोसीन आदि वितरण करती हैं। इसके द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊँचा लाने के प्रयास हुए हैं।

गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम WHO के नियामक ब्योर्ड ओरे ने प्रस्तुत किया था। गरीबी रेखा की गणना में अथवा मापन में अब अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का स्वच्छ पानी, बिजली, सेनिटेशन की सुविधा, वाहन-परिवहन आदि के पीछे होनेवाला उपभोग व्यय और आय को ध्यान में लेकर, कैलरी के आधार पर जीवन स्तर की निश्चित सतह को गरीबी रेखा के रूप में पहचाना जाता है। गरीबी रेखा का मापदंड समय, स्थल, संयोग या परिस्थिति में आनेवाले परिवर्तन के अनुसार बदलता है।

गरीबी का मापन : भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले व्यक्तियों की संख्या जानने की दो पद्धतियाँ हैं : (1) किसी एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के पीछे किए जानेवाले खर्च के आधार पर और (2) परिवार द्वारा प्राप्त कुल आय के आधार पर। (परिवार अर्थात् अधिक से अधिक 5 सदस्यसंख्या निर्धारित है।)

(अ) निरपेक्ष गरीबी

समाज के लोग अनाज, दलहन, दूध, सब्जियाँ, कपड़े जैसी प्राथमिक आवश्यकताएँ लघुतम बाजार मूल्य पर भी प्राप्त करने में समर्थ न हों, तो वे निरपेक्ष रूप से गरीब कहलाते हैं।

(ब) सापेक्ष गरीबी

समाज के भिन्न-भिन्न आयवाले वर्गों में से जो कोई वर्ग अन्य से कम आय प्राप्त करता हो तो वह सापेक्षरूप से गरीब कहा जाता है। ऐसी सोच विकसित देशों में है।

A. ₹ 10.000 B. ₹ 20.000 C. ₹ 30.000 यहाँ तीनों व्यक्तियों की आय अलग-अलग है। B व्यक्ति के सापेक्ष A व्यक्ति की आय कम होने से A व्यक्ति गरीब माना जाता है, इसी तरह C व्यक्ति के सापेक्ष A और B व्यक्ति की आय कम होने से वे गरीब माने जायेंगे।

भारत में गरीबी

भारत में योजना आयोग ने 2011-12 में गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए ग्रामीणक्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति मासिक खर्च ₹ 816 अर्थात् प्रति परिवार खर्च ₹ 4080 और शहरीक्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च ₹ 1000 अर्थात् प्रति परिवार खर्च ₹ 5000 का अनुपात निर्धारित किया था। अर्थात् आवश्यकताओं पर खर्च कर सके इतनी प्रति व्यक्ति मासिक आय कम से कम प्राप्त होनी चाहिए। इस नये मापदंड के आधार पर भारत में 2011-12 में गरीबों की संख्या घटकर 27 करोड़ हुई थी और गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या में से घटकर 21.9 % हो गई थी। भारत में 2009-10 में गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या के 29.8 % थी। इस प्रकार लगभग 35.47 करोड़ लोग गरीबी में जीवन जी रहे थे। विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तुलना की जा सके इसलिए 2012 में 2008 के भाव से प्रति व्यक्ति दैनिक आय US $ 1.90 (डोलर) निर्धारित की थी, जो गरीबी रेखा का मानक है। विश्वबैंक के एक लेख के अनुसार 2010 में भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 121 करोड़ में से 32.7 % लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते थे। जिनकी संख्या लगभग 45.6 करोड़ थी।

UNDP-2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी का अनुपात कुल जनसंख्या के 21.92% थी, भारत में कुल गरीब 26.93 करोड़ में से ग्रामीण क्षेत्रों में 21.65 करोड़ लोग 25.7% और शहरी क्षेत्रों में मात्र 5.28 करोड़ लोग 13.7% गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते थे। भारत में सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य छत्तीसगढ़ (36.93 %) है, जबकि कम गरीबी वाला राज्य गोवा (5.09 %) है। गुजरात में गरीबी का अनुपात 16.63 % रहा। भारत में औसत 30 % से अधिक गरीबी के अनुपातवाले राज्यों में छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा आदि हैं।

भारत विपुल मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों और अपार प्राकृतिक उपहारों से समृद्ध है; परन्तु इन विपुल संसाधनों का सुयोग्य लाभ उठाने की क्षमताओं का अभाव, शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल का अभाव, वर्षों के त्रुटिपूर्ण आयोजनों के कारण इन प्राकृतिक संपत्तियों का लोगों के कल्याण और सुख-समृद्धि के सन्दर्भ में कार्यक्षम उपयोग न हो पाने के कारण लोगों में गरीबी का अनुपात नहीं घटा है। इससे कहा जाता है कि 'अमीर भारत में गरीब रहते हैं।'

(अ) ग्रामीण गरीब : ग्रामीण क्षेत्रों में बसनेवाले गरीबों में अधिकांश, भूमिहीन कृषि मजदूर, गृहउद्योगों या कुटीर उद्योगों के कारीगर, सीमांत किसान, भिक्षुक, दैनिक मजदूर, जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में रहनेवाले लोग,जनजातियाँ, कामचलाऊ कारीगर हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं।

(ब) शहरी गरीब : शहरीक्षेत्रों में बसनेवाले गरीबों में कामचलाऊ मजदूर, बेरोजगार दैनिक मजदूर, घरों के नौकर, रिक्शाचालक, चाय-नास्ते के ठेले-गल्ले या होटल-ढाबा पर, ऑटो गेरेज में काम करनेवाले श्रमिक, भिक्षुक, जो अपनी न्यूनतम जीवन की आवश्यकताएँ भी संतुष्ट नहीं कर सकते और गरीबी में सड़ रहे हैं।

गरीबी के उद्‌भव के कारण

गरीबी की जडें शहरों की अपेक्षा ग्राम्य क्षेत्रों में खूब गहराई तक फैली हुई हैं, जिसके कारण निम्नानुसार हैं :

- कृषि क्षेत्र में अपूर्ण विकास और अपर्याप्त सिंचाई की सुविधाओं के कारण कृषि क्षेत्र से प्राप्त होनेवाली आय में कमी।
- कृषि समय के अलावा वैकल्पिक रोजगारी के अवसरों का अभाव।
- ग्रामीणक्षेत्रों में अन्य रोजगारी के आवश्यक ज्ञान, शिक्षा, कौशल या प्रशिक्षण के अभाव के कारण।
- जातिप्रथा तथा रूढ़ियों, परंपराओं के कारण रीतिरिवाजों के पीछे भयंकर दिखावटी खर्च के कारण कर्जदार बनता है। इस प्रकार गैर उत्पादकीय खर्च में वृद्धि होने से।
- निरक्षरता का अनुपात अधिक होने से शोषण और अन्याय के भोग बनते हैं तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव से लाभ नहीं ले सकते हैं।
- आर्थिक नीतियों के निर्माण के अंत में मनुष्य की आवश्यकताओं और उसके आर्थिक हितों की उपेक्षा होने से।
- नकदी फसलों को प्रोत्साहन मिला और खाद्य पदार्थों का उत्पादन घटा। अनाज, दलहन आदि की कमी उत्पन्न हुई और मूल्य बढ़े। जिससे दो समय का पर्याप्त भोजन प्राप्त न होने से।
- आर्थिक सुधारों के लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट गई, कुटीर और लघु उद्योग समाप्त हो गए, स्थलांन्तरण बढ़ा, कृषि की आय घटने से।
- गरीब कुपोषण और विविध रोगों के शिकार बने। स्वास्थ्य विषयक खर्चे बढ़े, आय स्थिर रही, उपचार – दवा पर खर्च में वृद्धि हुई।
- टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आए। परंपरागत व्यवस्था, कुटीर उद्योग नष्ट हो गए और स्थानीय बाजार बंद होने से बेकारी में वृद्धि हुई।
- जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी, बालमृत्युदर घटी, औसत आयुसीमा बढ़ी। श्रम की कुल माँग की अपेक्षा श्रम की पूर्ति बढ़ने सें बेकारी बढ़ी। दूसरी तरफ उनकी आवश्यकता की वस्तुओं की तुलना में उत्पादन घटने से भाव बढ़े। क्रयशक्ति कम हुई, जीवनस्तर गिरा। अंत में गरीबी में वृद्धि हुई।

गरीबी निवारण की व्यूहरचना

गरीबी का विषचक्र भारत में पकड़ मजबूत कर रहा है, जिसके कारणों की संक्षिप्त में जानकारी दी गई है। जिसके आधार पर गरीबी घटाने में किस प्रकार की व्यूहरचना अपनानी चाहिए, यह समझना सरल होगा।

अभी तक 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई है। तब तक भारतीय अर्थतंत्र में विकास की रणनीति में और कार्ययोजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा मुख्य जिम्मेदार है। भारतीय अर्थतंत्र का स्वर्णशिखर भले ही शहरों में हो; परन्तु उनकी जड़ें तो गाँवों में हैं। गाँव ही भारतीय अर्थतंत्र का हृदय है, इसलिए उसे जीवंत और समृद्ध रखने के लिए अंदाजपत्र में से बड़ा हिस्सा ग्रामोद्धार पर खर्च किया जाना चाहिए था। भारत का सच्चा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास गाँवों के विकास द्वारा ही संभव है। इसलिए अब वर्तमान सरकार ने ''ग्रामोदय से भारत उदय'' के कार्यक्रम द्वारा ग्रामोद्धार के स्थान पर देशोद्धार के मूल विचार को अमल में रखकर केन्द्र और राज्य सरकारों ने गरीबी निमूर्लन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ढाँचागत सुविधाएँ, कृषिक्षेत्र का विकास और गृहउद्योग, कुटीर उद्योग, लघुउद्योग के विकास पर विशेष बल देकर अनेक नई योजनाएँ और कार्यक्रम अमल में रखे। इसके द्वारा रोजगार के अवसर मिलेंगे, परिणामस्वरूप आय बढ़ने से गरीबी घटेगी।

(1) आजादी के बाद के वर्षों में आयोजन में 'गरीबी हटाओ' के सूत्र के साथ जिस किसी भी सरकार ने बड़े स्तर के और भारी तथा चाबीरूप उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उनके विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए जिसके कारण शहर विकसित हुए और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में 'हरियाली क्रांति' के लक्ष्य के साथ जमीन सुधार कानून धारा के कार्यक्रमों के अमल से कृषि क्षेत्र का विकास साधकर देश में उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार

के अवसर बढ़ेंगे, रोजगारी बढ़ेगी और उससे आय बढ़ने से गरीबों की स्थिति सुधरेगी। उद्योगों के विकास में से उद्योग मालिकों को मिलने वाले आर्थिक लाभ उद्योग मालिकों, धनिक किसानों, जमींदारों जैसे धनिक वर्गों को मिलती आय की वृद्धि का लाभ क्रमशः गरीबों तक पहुँचेगा और इससे गरीबों की संख्या घटेगी, परन्तु यह व्यूहात्मक आशावाद ठगी निकला। देश में आर्थिक विकास की गति धीमी रही। मंद आर्थिक विकास के साथ आय का अन्यायी और असमान वितरण की गति धीमी रही। मंद आर्थिक विकास के साथ आय का अन्यायी और असमान वितरण होने से आय और संपत्ति का केन्द्रीकरण समाज के शीर्ष के कुछ धनिकों के हाथ में ही रहा। इस प्रकार आर्थिक विकास के लाभों का विस्तरण न होने से गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, आय के असमान बँटवारे से धनिक अधिक धनिक बने, गरीब अधिक गरीब बने।

(2) सरकार ने आय की असमानता दूर करने के लिए कर की नीति में गरीबों को जीवन की अनिवार्य वस्तुएँ प्राप्त होती रहे, उसका उत्पादन बढ़े, इस उद्देश्य से अमीरों के उपयोग की चीज-वस्तुओं और सेवाएँ, मौजशौक तथा भोगविलास की चीज-वस्तुओं और सेवाओं पर तथा उनकी आय पर ऊंचे कर लगाए हैं। इसके साथ ही गरीबों की चीज-वस्तुओं पर उपभोग खर्च न बढ़े, आय का बड़ा हिस्सा जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ संतुष्ट करने पर खर्च न हो इसको ध्यान में रखकर ऐसी उपभोग की जीवन आवश्यकता की वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधीन 'उचित मूल्य की दुकानों' (FPSS) द्वारा निश्चित प्रमाण में राहतदर पर स्थानीय आपूर्ति के द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊँचा लाने का व्यूह अपनाया। इस तरह, धनिक वर्गों की वस्तुओं का उत्पादन घटे और उत्पादन के साधनों का बँटवारा गरीबों की चीज-वस्तुओं के उत्पादन की तरफ बढ़े ऐसे प्रयत्न सरकार ने किए। इस प्रकार गरीबों की रोजगारी बढ़े, कार्यक्षमता बढ़े, उत्पादन बढ़े और अंत में आय में वृद्धि हो तो जीवन स्तर भी सुधरे ऐसे प्रयत्न सरकार ने किए हैं।

(3) गरीबी समाप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष बल देने की आवश्यकता समझकर सरकार ने जमीन सुधार धारा के उपाय, जमीन सीमा मर्यादा धारा, गणोत धारा, कृषि मालिकी की सुरक्षा जैसे अनेक कानूनों से ग्रामीणक्षेत्र के धनिक किसानों तथा जमींदारों की आय में कमी करके भूमिहीन कृषिमजदूरों, गणोतियों की आय में वृद्धि हो, इस तरह गरीबों की स्थिति में सुधार लाने की व्यूहरचना अपनाई है।

(4) सरकार ने कृषि, कृषि पर आधारित अन्य उद्योग, अन्य प्रवृत्तियाँ विकसित हो, जैसे कि; पशुपालन, डेरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन सहायता दी। स्वावलंबन क्षेत्र में यंत्रों का कम उपयोग ऐसे धंधे-उद्योगों में रोजगारी बढ़े तथा परंपरागत व्यवसायों, हस्तकला और कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन नीतियाँ घोषित करके आर्थिक सहायता दी। कुछ गृहउद्योगों को कानून से आरक्षित रखे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के आर्थिक अवसर सर्जित हुए। ग्रामीण युवकों को वैकल्पिक रोजगार के लिए अवसर मिले इस उद्देश्य से शिक्षण-प्रशिक्षण और कौशल में वृद्धि हो ऐसे प्रबन्ध किए, जिससे उसमें रोजगारलक्षी क्षमताओं का विकास हो। रोजगार के नए क्षेत्र खुले, जिससे आय बढ़ी और परिणामस्वरूप उनकी स्थिति में सुधार लाने की व्यूहरचना के रूप में अनेक कल्याणकारी स्वरोजगारी के कार्यक्रम सरकार ने लागू किए हैं।

(5) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, परिवार-नियोजन, संचार, आंतर सुविधायुक्त ढाँचे में सुधार किया। सिंचाई, सड़क, फसल संरक्षण, कौशल और प्रशिक्षण क्षेत्र, कृषिक्षेत्र में सुधार किए, फसल की विविध प्रजातियाँ विकसित की, बीज, खाद, ट्रेक्टर की सुविधा के लिए सस्ते बैंक लोन उपलब्ध करवाकर ग्रामोद्धार के अन्तर्गत अनेक महत्त्वाकांक्षी कदम उठाए हैं, स्थानीय स्तर पर युवकों के लिए रोजगारी के क्षेत्र खोले, जिससे शहरों की तरफ स्थलांतर घटे और शहरों पर जनसंख्या का भार घटे। ग्रामीण या नगर-स्तर पर विद्यालयों और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नजदीक के अंतर पर कॉलेज शुरू करके टेक्निकल और व्यवसायलक्षी पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण केन्द्रों की सुविधाएँ खड़ी की। युवक-युवतियों को उच्च शिक्षण पूरा करने तक अधिक सहयोग के रूप में स्कोलरशिप, फीस-माफी की सुविधा, आश्रमशालाओं, कन्याशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता द्वारा प्रोत्साहन-जैसे अनेक कदम उठाये हैं। महिला सशक्तिकरण के प्रयास रूप में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करने के विविध सक्रिय प्रयास और कार्यक्रम लागू किए। इस प्रकार सरकार गरीबी के राक्षस को समाप्त करने में व्यूहात्मक रूप से और क्रमबद्ध रूप से कदम उठा रही है। इन उपायों के लागू होने पर भी अर्थतंत्र में गहराई तक घर कर गई गरीबी की समस्या को जड़मूल से उखाड़कर फेंक देने के स्वप्न को साकार

करने में और विश्व बैंक के 2030 तक विश्व से गरीबी को निर्मूल करने के विजन को मिशन के रूप में पूर्ण करने में भारत को अभी भी कई मंजिलों तक कड़े कदम उठाने पड़ेंगे।

गरीबी निवारण कार्यक्रम (पोवर्टी एलिवियेशन प्रोग्राम — PAP)

गरीबी को निर्मूल करने के उपायों को व्यूहात्मक रूप से सफल बनाने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीनेवाले शहरी और ग्राम्य क्षेत्र के लोगों का सीधा प्रभाव हो इस तरह विविध कल्याणकारी योजनाओं का सीधा आर्थिक लाभ उन्हें मिले इस उद्देश्य से तथा रोजगारी के अवसर उपलब्ध करवाकर आय वृद्धि द्वारा गरीबी निवारण के कार्यक्रम अमल में लाए गए हैं।

गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमों/योजनाओं को मुख्यत: पांच विभागों में बाँट सकते हैं : (1) वेतनयुक्त रोजगारी के कार्यक्रम (2) स्वरोजगारी के कार्यक्रम (3) अन्न सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम (4) सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम (5) शहरी गरीबी निवारण के कार्यक्रम।

वर्तमान में इन पाँच क्षेत्रों में अनेक क्रमबद्ध कार्यक्रम अमल में हैं, परन्तु उनमें से मुख्य कार्यक्रमों और योजनाओं की निम्नानुसार संकलित और सर्वग्राही चर्चा करेंगे :

1. कृषि विकास : सिंचाई, सड़क, फसलसंरक्षण सेन्द्रिय कृषि और खेत उत्पादों की बिक्री जैसे क्षेत्रों में नीचे की योजनाओं मे दर्शाए कार्यों में जुड़कर रोजगारी प्राप्त कर सकें, जिनमें से सीधी आय प्राप्त हो और गरीबों की स्थिति सुधरे यह मुख्य उद्देश्य है।

(i) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : राष्ट्रीय कृषि योजना के अधीन कृषि की वृद्धि दर बढ़े, कृषि से संलग्न विभाग विकसित करना, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करना, जमीन को सिंचाई के अन्तर्गत लाना, टपक पद्धति से सिंचाई करना, प्रत्येक खेत को पानी मिले जिससे जलसंकट को दूर करने के छोटे, बड़े, मध्यम कद के चेकडेम खड़े करना, ऐसे अनेक उपाय करके किसानों को कृषि के खतरे और कर्ज से बचाने तथा रोजगारी द्वारा आयपूर्ति से गरीबी से बाहर निकालने का प्रयत्न है।

(ii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : इस अन्तर्गत खेत सुरक्षा बीमा योजना को अधिक सुग्रथित करके प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होनेवाले नुकसान से अर्थिक सहारा देने की सहायता करना, समर्थन भाव से कपास की खरीदी में बोनस और फसल के नुकसान में हर्जाना देना शुरू किया है। भावों की स्थिरता के लिए 'क्षतिमुक्त कृषि मूल्य आयोग' की रचना की है।

(iii) राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम : इसके अधीन प्रत्येक खेत को पानी, उपयोगी नहरों का ढाँचा सुधारना, मिट्टी के कटाव को रोकना, अनुसूचित जनजाति के किसानों को नए ट्यूबेल, क्षार प्रवेश नियंत्रण – जैसे कार्यक्रम अमल में रखे तथा तालाबों की खुदाई, वॉटर शेड विकास, टांकी निर्माण, वर्षा के जल का संग्रह, वृक्षारोपण, नहर की लाइनिंग बनाना, पेड़-पौधे लगाना–जैसे नवीनीकरण और चेकडेम का पुनरोद्धार करना, रोजगारलक्षी कार्यक्रम अमल में रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित गरीब परीवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कुछ आर्थिक सहारारूपी सहायता की है।

(iv) राज्य सरकार ने भी कृषिक्षेत्र में लाभदायक योजनाओं में खरीफ की फसल के लिए काफी कम व्याज दर पर बैंक द्वारा कर्ज देना, पशुपालन के लिए, खाद के संग्रह के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करवाई हैं और केन्द्र सरकार के सिंचाई के कार्यक्रमों में भी राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाएँ हैं।

गुजरात सरकार ने गरीबी निवारण के उपाय हाथ में लिए हैं, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पिछले दशक से गरीब कल्याण मेले आयोजित कर गरीबों को स्वावलंबन के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है।

(v) 'ई-नाम् योजना' : इस योजना के अन्तर्गत किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार खड़ा किया गया है, जिसमें किसान ऑन लाइन अपने उत्पादनों को सूचीबद्ध करा सकते हैं। व्यापारी किसी भी जगह से उस उत्पादन की बोली लगा सकते हैं। बिचौलियों, दलालों से होते नुकसान से किसानों को बचाकर अधिक भावरूपी मूल्य मिले और स्पर्धा से अधिक लाभ प्राप्त करें–यह इस योजना का उद्देश्य है।

इस प्रकार कृषिविकास और अधिकतम लाभ मिले ऐसे कदम उठाए, जिससे किसान कृषि व्यवसाय में जुड़े रहें यह जरूरी है।

2. 'ग्रामोदय से भारत उदय' : जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किसानलक्षी योजनाओं में वन्यप्राणियों से होनेवाले नुकसान प्राप्त फसलों की रक्षा करने के लिए तार की बाड़ लगाने के लिए आर्थिक मदद, कमी या अकाल के समय पशुधन की सुरक्षा के लिए घास उत्पादन और पशु शेल्टर बाँधने के लिए मदद, अत्याधुनिक सेटेलाइट या ड्रोन टेक्निक से बरसात की आगाही और खनिजक्षेत्र संशोधन। जमीन का सर्वे करके रिकोर्ड रखकर कृषि में यंत्रीकरण के लिए ट्रेक्टर तथा मिनी ट्रेक्टर की खरीदी में कम व्याज दर पर लोन और सबसीडी के रूप में मदद, पानी की टंकियों के निर्माण में मदद, बागायती फसलों की गुणवत्ता सुधारना, कृषि ऋण मंडली में कंप्यूटराइज़ेशन, कपास, दलहन, मसालों के उत्पादन के लिए नई टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करना, उचित मूल्य मिलते रहें ऐसा प्रबंध, जलसंग्रह के लिए जलाशयों में से कांप निकालकर गहरा करना, बड़े करने, खेत-तलाबों का निर्माण, जलाशयों की नहरों और नालों की सफाई तथा लंबाई में वृद्धि करना, जलमंदिरों का पुनः स्थापन और चेकडेमों की रिपेरिंग और जल की संग्रहशक्ति में वृद्धि करने जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें कृषि के अलावा के समय में रोजगारी मिले और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति का निर्माण हो। इस तरह किसानों को कर्ज से उबारने के प्रयत्न के रूप में विविध प्रकार की मदद करने के प्रयत्न केन्द्र और राज्य सरकार ने इस योजना में किए हैं।

3. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना : ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवरोध के बिना 24 × 7 रात-दिन सतत बिजली की आपूर्ति करना, घरों में और खेतों में सस्ती दर पर बिजली देना, देशभर में बिजली की सुविधा बिना के 18000 गाँवों में बिजली पहुँचाने की नई लाइनें, नये पावर सबस्टेशन स्थापित करने तथा कृषिक्षेत्र के बिजली के साधनों की खरीदी में सबसीडी के रूप में मदद करके गरीब किसानों की आय में सहायता करने का प्रयास है। सौरऊर्जा द्वारा बिजली प्राप्त करने, सोलर टेक्निक साधनों के लिए भी सबसीडी दी गई है।

4. आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए वनबंधु कल्याण योजना के तहत सहायता : आदिवासी महिलाओं को पशुपालन के लिए संकलित डेरी विकास रोजगार योजना के अन्तर्गत कृषि विषयक और बागायती खेती के विकास के लिए फसलों के लिए मंडल बनाने में मदद, सजीव खेती ग्रेडिंग और पैकेजिंग का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है। समरस छात्रालय और स्मार्ट आश्रमशालाएँ स्थापित की जाती हैं।

5. सेन्द्रिय खेती को प्रोत्साहन : देने में, रजिस्ट्रेशन में, फीस में मदद, कृषि सामग्री की खरीदी में मदद, किसानों को शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था, कम दर पर कर्ज, उचित बाजार व्यवस्था करने जैसे कदम उठाकर पर्यावरण की देखभाल और कृषि खर्च में कमी हो, इस योजना का यह उद्देश्य है।

6. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना : इस योजना के अन्तर्गत मार्गों के कार्यों का आयोजन किया गया है। गाँव एक-दूसरे के साथ सड़क मार्गों से तथा हाईवे से जुड़े रहें, इसलिए ग्राम पंचायतों को मदद की जाती है, शौचालय निर्माण के कार्यों जैसे रोजगारलक्षी कार्यक्रम अमल में लाए गए हैं।

7. माँ अन्नपूर्णा योजना : इस योजना के अन्तर्गत गुजरात सरकार ने सभी अंत्योदय परिवारों को और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रति परिवार प्रतिमास 35 किग्रा अनाज मुफ्त में वितरण करना तथा गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दर प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 5 किग्रा अनाज जिसमें गेहूँ-2 रुपये प्रति किलो, चावल 3 रुपये प्रति किलों के भाव पर, उचित मूल्य की दुकानों द्वारा देकर राज्य की

17.2 'माँ अन्नपूर्णा योजना' अधीन FPS द्वारा अनाज वितरण

3.82 करोड़ की जनता को इस योजना के अधीन शामिल करके अन्न सुरक्षा प्रदान की है जिससे आय का बड़ा भाग अनाज पर खर्च करने से बचेगा। इस बचत के माध्यम से अन्य उपभोग की बस्तुएँ खरीद कर गरीब व्यक्ति के मुख पर मुस्कान लाकर जीवन स्तर में सुधार लाना योजना का उद्देश्य है।

8. सांसद आदर्श ग्राम योजना : इसके अन्तर्गत सांसद द्वारा संसदीयक्षेत्र में दत्तक लिए गए गाँव में शिक्षण, स्वास्थ्य रोजगारी की सुविधाएं बढ़ाकर आधुनिक सुविधायुक्त 'आदर्श गाँव' की रचना द्वारा स्थलांतरण को रोकना। सार्वजनिक स्थायी संपति तैयार करना, अच्छे जीवन स्तर का निर्माण करना, ग्रामोद्धार, सांस्कृतिक विरासत का जतन, सामाजिक समरसता के कार्यों द्वारा रोजगारी उत्पन्न करने के प्रयत्न करना, मानव विकास में वृद्धि करना – जैसे उच्च उद्देश्य शामिल किए गए हैं।

9. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना : (MGNREGA) मनरेगा रोजगार लक्षी कार्यक्रम 'हमारे गाँव में हमारा काम, साथ में मिलता हैं उचित दाम' के नारे के साथ खूब ही लोकप्रिय योजना, जिसमें राज्य के ग्राम्य क्षेत्रों में रहते परिवारों के जो वयस्क सदस्य हैं (18 वर्ष के ऊपर), शारीरिक श्रम कर सकें ऐसे बिनकुशल कार्य करने के इच्छुक ऐसे प्रत्येक परिवार के जीवन-निर्वाह के अवसर बढ़ाने के लिए प्रति परिवार एक सदस्य को वित्तीय वर्ष में 100 (सौ) दिन की (रोजाना सात घण्टे) वेतनयुक्त रोजगारी देने का उद्देश्य है। सरकार निर्धारित वेतन दर पर दैनिक वेतन चुकाती है। यदि काम मागने के बाद काम देने में सरकार असमर्थ हो तो नियमानुसार 'बेकारी भत्ता' चुकाया जाता है। यहाँ ग्राम विकास के कार्य, व्यक्तिगत शौचालय बनाना, व्यक्तिगत कुएँ, भूमि समतल करनें के कार्य, बागायती कार्य, इन्दिरा आवास योजना के मजदूरी के कार्य, पशुओं के छपरे, जैविक खाद बनाना, मुर्गा-बकरी के लिए शेड, मछली सुखाने के यार्ड, केनाल सफाई, जल संग्रह के कार्य, मार्गों पर वनीकरण जैसे अनेक कार्य कराकर प्रत्येक परिवार को निश्चित वेतन युक्त रोजगारी देने की गारण्टी देकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाकर उनके जीवन स्तर को सुधारने के कार्यक्रम शामिल हैं।

10. मिशन मंगलम् : इसके अन्तर्गत राज्य सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीनेवाले परिवारों की महिलाओं को सखीमण्डलों या स्वसहाय समूहों से जोड़कर कौशलवर्धक प्रशिक्षण देकर पापड़, अचार, अगरबत्ती जैसे गृहउद्योगों के विकास के माध्यम द्वारा रोजगारी (आजीविका) उपलब्ध करवा कर गरीबी रेखा के ऊपर लाती है।

11. दत्तोपंत ठेंगड़ी कारीगर व्याज सहायता योजना : इसके द्वारा सरकार हस्तकला और हस्तबुनाई के कुटीर उद्योगों के कारीगरों को कच्चे माल की खरीदी के लिए कम व्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाती है।

12. ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना : इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों मे आय और उद्योग की साहसिकता के लिए बेरोजगारों को ग्राम क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु प्लांट, यंत्रसामग्री, बिजली, जमीन आदि के लिए आर्थिक मदद, सबसीडी देकर स्वरोजगारी के अवसर खड़े करने का उद्देश्य है। 'स्टार्ट-अप-इण्डिया' में नये विचारों के साथ रोजगार युवा उद्योग साहसिकों को प्रशिक्षण, मुफ्त बिजली, जमीन और आर्थिक सहायता दी जाती है।

13. वाजपेयी बेंकेबल योजना : शहरी और ग्रामीण बेरोजगारों को जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष है और कक्षा-4 पास हों उन्हें प्रशिक्षण देकर उद्योगों के लिए या परम्परागत कारीगरों को धंधे के लिए नियत रकम कर्ज देकर स्वरोजगारी के कार्यक्रम को अमल में लाना है।

14. एग्रो बिजनेश पॉलीसी 2016 : राज्य सरकार ने प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के निर्यात में सहायता, एग्रो फूड प्रोसेसिंग युनिट स्थापित कर 10 लाख लोगों को रोजगारी देने की योजना लागू की है, जिसके द्वारा गरीबी में कमी की जा सके।

बेरोजगारी (Un-employment)

भारत की वर्तमान समस्याओं में से गंभीर आर्थिक समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण गरीबी उत्पन्न होती है। यह समस्या लंबे समय की और अर्थतंत्र में गहराई से घर कर चुकी समस्या है। विश्व के अधिकांश देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं।

बेरोजगारी का अर्थ : वह वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 15 से 60 वर्ष के बीच हो, जो बाजार में प्रवर्तमान दर पर कार्य करने की इच्छा और वृत्ति रखता हो, कार्य करने योग्य शक्ति और योग्यताएँ रखता हो, काम की खोज में होने पर भी वह काम प्राप्त करने में समर्थ न हो तो वह व्यक्ति बेरोजगार या बेकार कहलाता है। ऐसी सामूहिक परिस्थिति बेरोजगारी कहलाती है। वे ऐसी बेकारी अनिवार्य रूप से भोगते हैं। तो इसे इच्छा के विरुद्ध या अनैच्छिक बेकारी कहते हैं।

यदि कोई व्यक्ति प्रवर्तमान बाजार के वेतन दर से अधिक वेतन मांगे, 15 से 60 वर्ष के बीच के वयसमूह में जिनका समावेश नहीं होता हो, अपंग, अशक्त, रोगिष्ट या वृद्ध, आलसी, गृहिणी, जो शक्ति होने पर भी काम करने की वृति या तैयारी न रखते हों, ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं माना जाएगा।

बेरोजगारी के मुख्य स्वरूप : भारतीय अर्थतंत्र में बेरोजगारी के कुछ स्वरूप निम्नानुसार पाए जाते हैं :

(1) **ऋतुगत बेरोजगारी :** भारतीय कृषि क्षेत्र में सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएँ, वर्षा की अनियमितता और वैकल्पिक रोजगारी के अवसरों के अभाव में तीन से पांच मास बेरोजगार रहना पड़ता है, उसे ऋतुगत या मौसमी बेरोजगारी कहते हैं।

(2) **घर्षणजन्य बेरोजगारी :** पुरानी तक्नीक के स्थान पर नई तक्नीक आए तब कुछ समय के लिए श्रमिक बेरोजगार बनता है, उसे घर्षणजन्य बेरोजगारी कहते हैं।

(3) **ढाँचागत बेरोजगारी :** भारतीय अर्थतंत्र पिछड़ा और रूढ़िचुस्त है, सामाजिक पिछड़ापन, परंपरागत रूढ़ियाँ, रिवाज, निरक्षरता और ढाँचागत सुविधाओं का अभाव आदि कारणों से ढाँचागत बेरोजगारी पाई जाती है।

(4) **प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी :** किसी भी काम धन्धे या व्यवसायिक प्रवृति में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों, इन अतिरिक्त श्रमिकों को उत्पादन कार्य में लगा देने से कुल उत्पादन पर कोई भी प्रभाव न हो तो इन अतिरिक्त श्रमिकों को प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगार कहते हैं।

(5) **औद्योगिक बेरोजगारी :** औद्योगिक क्षेत्र में होनेवाले परिवर्तनों के कारण यदि व्यक्ति को लम्बे या कम समय के लिए काम के बिना रहना पड़े तो ऐसी स्थिति को औद्योगिक बेरोजगारी के रूप में पहचाना जाता है।

(6) **शिक्षित बेरोजगारी :** कम से कम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की हो और यदि व्यक्ति बेरोजगार हो तो उसे शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है।

भारत में बेरोजगारी का प्रमाण : भारत में राज्यों के अनुसार बेरोजगारी की मात्रा अलग-अलग है। रोजगार विनिमय केन्द्रों में रोजगार इच्छुकों के नाम दर्ज करवाने में उदासीनता के कारण संख्या में उनकी निश्चित मात्रा या अंदाजा निकालना मुश्किल है। फिर भी भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नेशनल सेम्पल सर्वे (NSS) के आधार पर भारत में बेरोजगारी की व्यापकता की जानकारी मिलती है।

सन् 2011 की जनगणनानुसार 116 मिलियन लोग रोजगारी की खोज में थे। 32 मिलियन लोग अशिक्षित बेरोजगार और 84 मिलियन शिक्षित बेरोजगार थे। जिनकी उम्र 15 से 24 वर्ष की है, ऐसे लगभग 4.70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं।

लेबर ब्यूरो सर्वे के अनुसार भारत में 2013-14 में बेरोजगारी की दर 5.4 प्रतिशत पाई गई थी और गुजरात में प्रति हजार 12 व्यक्ति (1.2 %) बेरोजगार थे। भारत में 2009-10 में प्रति हजार शहरी क्षेत्रों में 34 व्यक्ति (3.4 %) जबकि ग्राम्य क्षेत्रों में 16 व्यक्ति (1.6 %) बेरोजगार थे। शिक्षित बेरोजगारों का अनुपात शहरों में अधिक था। 2013में स्त्रियों की बेरोजगारी दर 7.7 प्रतिशत थी।

भारत में सिक्किम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा जैसे राज्यों में बेरोजगारी का अनुपात अधिक ऊँचा पाया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्णाटक, चंडीगढ़ और गुजरात में बेरोजगारी का अनुपात क्रमशः नीचा रहा है। गुजरात में रोजगारी के क्षेत्र में अच्छी तथा उल्लेखनीय परिस्थिति है।

भारत में एक अनुमान के अनुसार उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले 15 % प्रतिशत लोग युवा हैं। विश्व की जनसंख्या के 66 प्रतिशत लोग जो 35 वर्ष की उम्र तक के युवा हैं, वे भारत में हैं। यदि भारत को विश्व में युवाओं के देश के रूप मे महासत्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा तो भारत को बेरोजगारी के कड़वे स्वरूप को बदलना होगा।

भारत में बेरोजगारी की समस्या अधिक गहन बनने के पीछे मुख्य जवाबदार कारणों में जनसंख्या में वृद्धि मात्र सैद्धांतिक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान का अभाव, टेक्निकल ज्ञान का अभाव सम्पूर्ण रोजगारी उत्पन्न करने में असफलता, कृषि क्षेत्र में वर्षा की अनियमितता और जोखिम की अधिक मात्रा, कृषि व्यवसाय में रुचि घटना, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएँ, कृषि के अलावा के समय में वैकल्पिक रोजगारी के अभाव से बेकार बैठना पड़े; कुटीर उद्योग, गृहउद्योग और लघुउद्योगों की कमजोर स्थिति, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, परंपरागत व्यवसाय या पारिवारिक धंधे में ही लगे रहना पड़े, अन्य नये व्यवसाय या उद्योग शुरू करने में साहसों का अभाव, ज्ञान, कौशल, तालीम और अनुभव की कमी, श्रम की अगतिशीलता, मानवश्रम का दोषपूर्ण आयोजन, औद्योगिक विकास की धीमी दर, बचतवृत्ति की नीची दर, जिससे पूँजी सर्जन दर में कमी होना, परिणामस्वरूप नए धंधा–उद्योगों में निवेश के अभाव से शुरू न हो सकने जैसे अनेक कारण हैं।

बेरोजगारी कम करने के उपाय : बेरोजगारी की समस्या हमारे आयोजन की सबसे कमजोर कड़ी है। गरीबी और बेरोजगारी दोनों सगी बहन हैं। दोनों के बीच सहसंबंध है। गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है। इस चुनौती स्वरूप समस्या का प्रभाव युवा–शिक्षितवर्ग पर विशेष है। जैसे की उनकी शिक्षा में रुचि में कमी होना, सामाजिक और मानसिक परिस्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रोजगार न मिलने के कारण हताशा में धकेला जाना, यदि वे लम्बे समय तक बेकार रहें तो युवा असामाजिक, अनैतिक प्रवृतियों में जुड़ जाते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों की हेराफेरी, गैरकानूनी व्यवसायों, चोरी, लूटमार, धन वसूली जैसे अपराधिक कृत्य करने को प्रेरित होना, सामाजिक और आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है, वर्गभेद सर्जित होना, जीवन स्तर गिरना, बेकारी के साथ मूल्यवृद्धि जुड़ने से गरीबी की और बेकार परिवारों की स्थिति अधिक कमजोर और दयनीय बनना–वे नशीले पदार्थों या अन्य व्यसनों की तरफ जुड़ते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी के प्रभाव व्यक्ति–परिवार तथा अर्थतंत्र पर और सामाजिक दृष्टि से घातक सिद्ध हुए हैं।

बेरोजगारी घटाने की सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का हमने आगे गरीबी निवारण के कार्यक्रमों में अध्ययन किया है। उनका फिर से स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा लिए गए कुछ असरकारक उपाय निम्नानुसार हैं :

(1) भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि दर 10% जितना ऊँचा लक्ष्य रखकर सिद्ध करने का सर्वग्राही कदम उठाना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पूँजी निवेश की मात्रा बढ़ाना और रोजगारी के अवसरों में वृद्धि करना। अर्थतंत्र में कृषि सहित छोटे और गृहउद्योगों, कुटीर उद्योगों सहित सभी विभागों में और प्रदेशों में तीव्र और संतुलित विकास सिद्ध करने के लिए रोजगारी के नए क्षेत्र खोलने चाहिए। सरकार ने रोजगारी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं द्वारा आर्थिक सहायता, शिक्षण प्रशिक्षण के केन्द्र शुरू किए हैं।

(2) श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति पर आधारित उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करनेवाली इकाइयों, छोटे और लघुउद्योगों, ग्रामोद्योगों, हस्तबुनाई कारीगरों से संकलित हुन्नर उद्योग के विकास पर बल दिया है। इसके लिए योजनाओं में प्रोत्साहन नीतियाँ भी लागू की हैं।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा के समय में बेरोजगारी घटाने के लिए खेतों में एक से अधिक बार फसल ले सके ऐसी पद्धति विकसित करनी, नई जमीन जुताई के अधीन लानी, प्रत्येक खेत को पानी और बिजली की सुविधाएँ उपलब्ध करवाना, छोटी बड़ी सिंचाई योजनाएँ, डेम, चेकडेम, जलाशयों, नहरों, ट्यूबेलों, बांधों, सड़क निर्माण की प्रवृत्तियाँ, कृषि से संलग्न प्रवृत्तियाँ, मुर्गा – बतक, मत्स्य पालन, डेरी उद्योग, वनीकरण के कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण

क्षेत्रों में कम पूँजी निवेश से अधिक लोगों को रोजगारी उपलब्ध करवाई जा सकती है, इसके लिए रोजगारलक्षी आयोजन होना चाहिए।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए जिससे उन्हें वही पर्याप्त आय और रोजगारी प्राप्त होती रहे तो शहरों की तरफ स्थलांतरण घटा सकते हैं और रोजगारी की माँग पर दबाव घटाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में बागायती खेती, सेन्द्रिय खाद आधारित खेती, शुष्क कृषि और बहुलक्षी फसल पद्धति सब्जियों – फलों की खेती की तरफ अधिक बल देकर प्रोत्साहन देना। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवता और मात्रा बढ़े इस पर अधिक ध्यान देना।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में मानवविकास को टिकाए रखने के लिए उनके स्वास्थ्य शिक्षण, शुद्ध पीने का पानी, पौष्टिक आहार, बिजली, मार्ग, बैंकिंग, बीमा, इन्टरनेट, सूचनासंचार की मनोरंजन की सुविधाओं में वृद्धि करके, जलसंचयन की प्रवृत्तियाँ, सार्वजनिक स्थायी संपत्ति का निर्माण करके, स्थानीय उद्योगों का विकास और प्रोत्साहन देकर, रोजगारी मूलक कार्यक्रम अपनाकर, ग्रामीण लोगों के जीवन में गुणात्मक और परिमाणात्मक सुधार लाने का मुख्य उद्देश्य रहा है।

(6) शिक्षित बेरोजगारी और युवा बेरोजगारी में कमी करने के लिए उनमें कौशल का विकास करना और शिक्षण के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाना। कुशल कारीगर पैदा हों ऐसी व्यवसायलक्षी तथा तक्नीकी शिक्षा की नीति अपनानी। विद्यालयों – महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में वहाँ के स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें, ऐसे रखना। युवा बेरोजगारों को शिक्षण और प्रशिक्षण देकर उनमें विशिष्ट कौशलों की वृद्धि करके, उत्पादकता के साथ गुणवत्ता बढ़े, रोजगारी बढ़े, अधिक आय मिले और जीवनस्तर ऊँचा उठे ऐसे प्रयत्न होने चाहिए। उन्हें लगातार कार्य मिलता रहेगा ऐसा आश्वासन देना चाहिए। कार्य की नई परिस्थिति के अनुसार नई जानकारी प्राप्त करके उन्हें योग्य सक्षम बनाकर, रोजगारी प्राप्त कर सकें और वैश्विक देशों के श्रमशक्ति की तुलना में वैश्विक स्तर पर भारतीय युवा समकक्ष खड़े हो सकें ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के प्रयत्न करने चाहिए।

(7) भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और राज्य सरकार ने युवा बेरोजगारों को औद्योगिक विकास के साथ उनके ज्ञान, समझ, उत्साह और कार्यक्षमता में वृद्धि हो इसके लिए प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम 'मेक इन इन्डिया', 'स्कील इण्डिया' और 'डिजीटल इण्डिया' जैसी महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ अमल में रखी हैं। टेक्निकल संस्थाओं, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की स्थापनाएँ देशभर में करके उन्हें व्यवसायिक अभ्यासक्रमों और आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुरूप शिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर, विद्यालयों – कॉलेजों में आधुनिक अभ्यासक्रमों, व्यवसायिक और टेक्निकल शिक्षण द्वारा रोजगारी की माँग के अनुरूप सक्षम बनाने के प्रयत्न किए हैं। वर्तमान में प्रत्येक राज्य में एक IIT (आई. आई. टी.) और IIM (आई. आई. एम.) जैसी उच्च संस्थाएँ स्थापित की जा रही हैं।

(8) श्रम शक्ति के आयोजन द्वारा सरकार ने रोजगारी के क्षेत्र में नए क्षेत्र खोले हैं। कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, इन्फर्मेशन टेक्नॉलोजी, फार्माक्षेत्र, बिजनेस मैनेजमेन्ट, धंधाकीय व्यवस्थापन, पैकिंग और प्रोसेसिंग, आउट सोर्सिंग, मार्केटिंग, केटरिंग, इवेन्ट मैनेजमेन्ट, ऑफिस मैनेजमेन्ट, होटल मैनेजमेन्ट, शेयर–स्टॉक मार्केटिंग आदि नए क्षेत्रों में रोजगारी के विपुल अवसर हैं। इससे इन क्षेत्रों के अनुरूप स्थानीय आवश्यकताओं के पूरक नए पाठ्यक्रमों को यूनिवर्सिटियों में शामिल किया गया है। उनके अनुरूप प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों मे बदलाव किया गया है। जिनके माध्यमों से वे नौकरी के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। श्रमशक्ति की माँग के अनुरूप युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके, इसके लिए अल्प समय के डिप्लोमा या सर्टीफिकेट प्रकार के प्रत्यक्ष तालीमी पाठ्यक्रमों जैसे की स्पिनिंग, विविंग, टर्निंग, प्लम्बरिंग, रेडियो–टी.वी.–फ्रीज, मोबाइल – एसी रिपेयरिंग कोर्ष शुरू किए गए हैं। ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में आई क्रांति के अनुरूप इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर, साइन्स, जिनेटिक साइन्स, एरो–स्पेस–रोबोर्ट मेकिंग के क्षेत्रों में नए कोर्ष का प्रशिक्षण देकर कुशल कारीगरों, इनिजनियरों और टेक्निशियनों को तैयार किया जा रहा है तथा नए धंधा–उद्योग शुरू करने के लिए उद्योग साहसियों को 'स्टार्टअप इण्डिया' के अन्तर्गत सस्ते ऋण की सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास भी किए हैं। स्थानीय उद्योगों के साथ रहकर प्रशिक्षण संस्थाओं

का सहयोग परस्पर संकलन द्वारा संभव बना है। जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की माँग के अनुसार श्रम की आपूर्ति द्वारा रोजगार के नए अवसरों का सर्जन करके व्हाइट कॉलर जोब के स्थान पर सरकारी आर्थिक सहायता द्वारा स्वरोजगारी उत्पन्न हो ऐसे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में और शैक्षणिक खर्च कम तथा प्रवेश सरल बने, ऐसा वातावरण सर्जित करना चाहिए और योग्य सुदृढ़ ढाँचा तैयार करना चाहिए।

(9) उद्योगों संबंधी विकास सिद्ध हो, नए रोजगारी के अवसर सर्जित हों इसके लिए नए उद्योग-व्यापार की शुरुआत हो यह आवश्यक है। युवाओं में उद्योग साहसिकता बढ़े, कुशलता, संगठन शक्ति के साथ पूंजीनिवेश जरूरी है। सरकार द्वारा कम पूँजीनिवेश से, प्रारंभिक कम मार्जिन के साथ यंत्र, कच्चामाल या ऑफिस फर्नीचर खरीदने के लिए कम व्याज दर पर कर्ज (ऋण) की सुविधाएँ, ब्रिक्री के लिए सहायता जैसी अनेक योजनाएँ स्वरोजगारी के अवसरों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। धंधा शुरू करने और चलाने के लिए टेक्निकल और व्यवसायिक ज्ञान, प्रशासन की कुशलता, कौशल और सहायता देने का कार्य सरकारी प्रयत्नों के अधीन हुआ है। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता, सस्ती सरल लोन की सुविधाएँ और स्थानीय व्यापारी संगठनों, सेवाभावी संस्थाओं के प्रयासों से महिलाओं के लिए गृहउद्योग स्थापित कर उन्हें स्वरोजगारी प्रदान की जा रही है। इस प्रकार परंपरागत व्यवसायों में से बाहर निकल कर परिवार के सदस्यों की एक नई पीढ़ी तैयार हुई है, जिन्होंने नए-नए व्यापार, धंधे और औद्योगिक क्षेत्र की क्षितिजों का विस्तार किया है।

(10) रोजगार विनिमय केन्द्र रोजगार खोजनेवाले व्यक्तियों, श्रमिकों, मजदूरों या शिक्षित कुशल-अर्धकुशल युवाओं को काम देनेवाले मालिकों को जोड़ने की कड़ीरूप कार्य करता है। यह संस्था शिक्षित बेरोजगारों को नामांकित करके काम के स्थान-प्रकार की विश्वसनीय जानकारी देता है। कार्यक्षेत्र पसंद करने का मार्गदर्शन देता है। ये केन्द्र 'रोजगार', 'कारकिर्दी' जैसे मैगज़िन और सामयिकों द्वारा रोजगार की पर्याप्त जानकारी देता है। 'मॉडल कैरियर सेन्टर' द्वारा तथा हेल्पलाइन नंबर 1800-425-1514 द्वारा लोगों को आवश्यक जानकारी, स्कील प्रोग्राम, रोजगार मेला आयोजित करने की मुफ्त सेवा देता है। दिसम्बर 2015 तक देश में 947 'रोजगार विनिमय केन्द्र' थे। जिसमें दिसम्बर 2013 में 468.23 लाख बेरोजगार देश में और गुजरात में 8.30 लाख बेरोजगार दर्ज किए गए।

विश्व श्रम बाजार

विश्व के देश अपने श्रमिकों का आदान-प्रदान करते हैं उसे विश्व श्रम बाजार कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का एक से दूसरे देश में स्थलांतरण रोजगारी के लिए, व्यापार धंधा, प्रशिक्षण या उच्च अध्ययन के लिए होता है, इसे श्रम की अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता कहते हैं। शैक्षणिक ज्ञान, उच्च तकनिकी ज्ञान और कौशल प्राप्ति हेतु, विदेशों में अधिक आय, अधिक सुविधा और अधिक अच्छी नौकरी की खोज में बुद्धिधन का बर्हिगमन 'ब्रेइन ड्रेइन' (Brain Drain) अंतरराष्ट्रीय स्थलांतरण है। सामाजिक स्थिति बढ़ानेवाला यह विदेशगमन अब अधिक ध्यानाकर्षक रूप से प्रचलित हुआ है। बुद्धिशाली और प्रतिभाशाली व्यक्तियों, प्रशिक्षण प्राप्त कुशल और दक्ष कारीगरों का अन्य देशों में स्थलांतरण होने या वहीं स्थायी रूप से बसने की संभावना के कारण हमारे देश में प्रतिभावान, टेक्निकल ज्ञान संपन्न और वैज्ञानिक विचारधारावाले तेजस्वी प्रतिभाओं की कमी पाई जाती है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में एक नई स्थिति का सर्जन होने लगा है। अत्याधुनिक कुशल और सूचना तक्नीक (IT), संचार टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर या चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान और कौशल प्राप्त करनेवालों की माँग बढ़ी है। अनेक देश ऐसे विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता और कुशलता प्राप्त लोगों की, प्रशिक्षण प्राप्त कुशल श्रमिकों की, विशेषज्ञों की भरती करते हैं। उन्हें आकर्षित करने के लिए लुभावनी युक्ति-प्रयुक्ति और तरीके अपनाते हैं। औद्योगिक इकाइयों प्रतिस्पर्धा

में टिके रहने के लिए स्वयं को आवश्यक हो, ऐसी अनिवार्य योग्यताएँ, ज्ञान, कौशल प्राप्त कर्मचारियों को उच्च प्रशिक्षण देने के लिए विदेशों में प्रशिक्षणार्थी के रूप में भेजते हैं, जो अन्तरराष्ट्रीय स्थलांतरण का एक भाग है। इस प्रकार विदेशों में नौकरी-धंधे के लिए जाने से देश में विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है। इस तरह विदेशी धन देश में आने से विदेशी कमाई से देश में विदेशी चलन या मुद्रा की समस्या कुछ अंशों में कम होती है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार दीजिए :

(1) गरीबी निवारण के विविध उपायों का वर्णन कीजिए।

(2) गरीबी निवारण के कार्यक्रम के माध्यम से 'कृषिक्षेत्र' तथा 'ग्रामोदय से भारत उदय' के कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तार से चर्चा कीजिए।

(3) गरीबी निवारण के मुख्य सरकारी उपायों की जानकारी दीजिए।

(4) बेरोजगारी घटाने के प्रयास के रूप में सरकारी योजना और कार्यक्रमों (मुख्य चार) को सविस्तार से समझाइए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दासर लिखिए :

(1) गरीबी अर्थात् क्या ? गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीनेवाले लोगों के लक्षण लिखिए।

(2) भारत में गरीबी का वर्णन कीजिए।

(3) गरीबी उत्पन्न होने का कारण समझाइए।

(4) सामाजिक सुरक्षा और अन्न सुरक्षा के सरकारी कार्यक्रम समझाइए।

(5) 'धनिक भारत में गरीब बसते हैं।' समझाइए।

(6) बेरोजगारी के कारण बताइए।

(7) बेरोजगारी के असर समझाइए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए :

(1) सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी क्या है ?

(2) 'एग्रो बिजनेस पॉलिसी' तथा 'ई-नाम' के विषय में लिखिए।

(3) 'मनरेगा' कार्यक्रम की स्पष्टता कीजिए।

(4) औद्योगिक बेरोजगारी अर्थात् क्या?

(5) विश्व श्रम बाजार की संकल्पना समझाइए।

4. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए :

(1) भारत में गरीबी की सबसे अधिक प्रमाण किस राज्य में है?

(A) उत्तरप्रदेश (B) ओडिशा (C) छत्तीसगढ़ (D) बिहार

(2) भारत में 2011-12 में गरीबी का प्रमाण कितना था (करोड़ में) ?

(A) 21.65 (B) 26.93 (C) 36.93 (D) 21.92

(3) महिला सशक्तिकरण, कौशलवर्धन प्रशिक्षण, स्वरोजगारी और बाजार के साथ जोड़ने का उद्देश्य किस सरकारी योजना में रखा गया है ?

(A) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (B) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

(C) मिशन मंगलम् योजना (D) एग्रो बिजनेस पॉलिसी - 2016

(4) भारत के किस राज्य में बेरोजगारी का प्रमाण ऊँचा है ?

(A) बिहार (B) झारखंड (C) केरला (D) छत्तीसगढ़

(5) अन्न सुरक्षा धारा के अन्तर्गत कौन-सी योजना गुजरात में लागू की गई ?

(A) माँ अन्नपूर्णा योजना (B) मनरेगा (C) अंत्योदय योजना (D) सुकन्या समृद्धि योजना

(6) युवा बेरोजगारों को नए विचारों के साथ उद्योग साहसिक बनकर स्वरोजगार की तरफ कौन-सी योजना प्रेरित करती है ?

(A) मेकइन इण्डिया (B) स्टार्ट अप इण्डिया (C) डिजिटल इण्डिया (D) स्वच्छ भारत अभियान

(7) बेरोजगारी निवारण के लिए शिक्षित बेरोजगारों का पंजीकरण करनेवाली संस्था...

(A) रोजगार विनिमय केन्द्र (B) श्रम मंत्रालय

(C) मॉडेल कैरियर योजना (D) ग्राम पंचायत

प्रवृत्ति

- 'भारत में गरीबी' के संदर्भ में समाचारपत्रों, मैगजीन अथवा सामयिकों में छपे समाचारों की कटिंग्स करके चित्रात्मक स्क्रेपबुक बनाइए।
- पिछले दस वर्षों के गरीबी के आंकड़े प्रदेश अनुसार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों सहित प्राप्त करके इनसे एक तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार कीजिए। आवश्यकता पड़े तो कोष्ठक, नक्शे या ग्राफ का उपयोग कीजिए।
- रोजगार विनिमय केन्द्र या इन्टरनेट और गूगल से सर्च करके भारत और विविध राज्यों के बेरोजगारी का अनुपात और पुरुष-स्त्री सहित संख्या की जानकारी एकत्रित कीजिए।
- रोजगार विनिमय केन्द्र अथवा पोलिटेक्निक या आई.टी.आई. कॉलेज के विशेषज्ञ को विद्यालय में आमंत्रित करके भविष्य के कार्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन और कक्षा 10 के बाद के व्यवसायलक्षी पाठ्यक्रमों के विषय में दक्षता प्रवचन और प्रदर्शन आयोजित कीजिए।
- भारत में गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं पर दो हस्तलिखित अंक अलग-अलग बनवाइए।

18 मूल्यवृद्धि और ग्राहक जागृति

भारत की अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में एक समस्या मूल्यवृद्धि की है। अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में मूल्य में लगातार और नियमित ऊँची दर से होती वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं, जो एक समस्यारूप है। परंतु स्थिरता के साथ होनेवाली मूल्यवृद्धि अर्थतंत्र के लिए पोषणरूप है। सामान्यरूप से मूल्य बढ़ने से नियोजकों, उत्पादकों का लाभ बढ़ता है। नफा रूपी अप्रत्याशित लाभ से उन्हें नये उत्पादकीय साहस शुरू करने का अवसर प्रदान करता है। उत्पादन खर्च में होनेवाली वृद्धि मूल्यवृद्धि से कम होने से नफा का समयान्तर बढ़ता है, जिससे उन्हें नया पूँजी निवेश करने को प्रोत्साहन मिलता है। परिणाम स्वरूप उत्पादकीय प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं। उत्पादन बढ़ते हैं, रोजगार बढ़ते हैं। उत्पादक, आयोजक या व्यापारी अपनी आय बढ़ने से, इस बढ़ोतरी में से अपने मजदूरों को वेतन अतिरिक्त वेतन के रूप में देता है। इस प्रकार सबकी आय बढ़ने से खरीदशक्ति में वृद्धि होती है। अधिक चीज-वस्तुओं के उपयोग करने के पीछे वित्त खर्च करने से उनका जीवन स्तर भी ऊँचा होता है। आर्थिक विकास की प्रवृत्ति वेगवान बनती है। इससे कह सकते हैं कि स्थिरता के साथ मूल्यवृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है।

जब अर्थतंत्र में सभी चीज वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यस्तर लगातार ऊँची दर से, उल्लेखनीय रूप से बढ़ता रहता है तब तात्कालिक चीज वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन नहीं बढ़ता; परंतु मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है। इस प्रकार अधिक मुद्रा की पूर्ति व मर्यादित वस्तुएँ मुद्रा स्फीति की स्थिति का निर्माण करती हैं। ऐसी मूल्यवृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति की परिस्थिति कहते हैं। मूल्यों में होनेवाली बड़ी उथल-पुथल, खर्च, आय और उत्पादन के साधनों की कीमत की गणना को तथा उसके बटवारे को, मुद्रा की आपूर्ति को अस्तव्यस्त करके अर्थतंत्र में गंभीर असंतुलन पैदा करती है, तब मूल्यवृद्धि अर्थतंत्र के आर्थिक विकास में समस्या बनती है।

हमेशा मूल्यवृद्धि मुद्रास्फीति नहीं होती है। कई बार अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति दर घटने के उपरांत बाजार में सामान्य प्रजा की आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। जब अन्य क्षेत्रों में मूल्य स्थिर या घटने की वृत्ति पाई जाती है।

मूल्यवृद्धि के कारण

मूल्य वृद्धि के मुख्य दो परिबलों में (अ) अर्थतंत्र में चीज-वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन और आपूर्ति में तात्कालिक वृद्धि नहीं हो सकने के कारण और (ब) उसके सामने देश की कुल मांग में तीव्र वृद्धि होने के कारण मूल्यों में सतत वृद्धि दिखाई देती है। इसके लिए निम्न कारण जवाबदार हैं :

(1) वित्तीय आपूर्ति में वृद्धि : अर्थतंत्र में वित्त आपूर्ति में तीन तरह से वृद्धि होती है : (i) कमी पूरक द्वारा अर्थात् नई मुद्रा के सर्जन द्वारा (ii) मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि अर्थात् बाजार में मुद्रा की लेन-देन बढ़े (iii) साख विस्तरण की नीति द्वारा ऋण की ब्याजदर घटाकर।

अर्थतंत्र में मुद्रा की आपूर्ति बढ़े, लोगों की आय बढ़े, क्रयशक्ति बढ़े, चीज-वस्तुओं और सेवाओं की प्रभावकारी माँग बढ़े, परंतु उसके सामने कुल आपूर्ति में वृद्धि नहीं होती, जिससे मूल्यवृद्धि होती है।

सरकार योजनाकीय और बिन-योजनाकीय खर्च पूरा करने के लिए खाद्यपूरक नीति द्वारा नई मुद्रा का सर्जन करके मुद्रा की पूर्ति बढ़ाती है। सरकार के प्रशासनिक खर्च, बिनयोजनाकीय खर्चों में, संरक्षण खर्चों में हुई वृद्धि विविध कल्याणकारी योजनाओं और मेलों, उत्सवों के खर्चों से, सार्वजनिक खर्च या निजीखर्च में वृद्धि करके, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति एकदम बढ़ती है, जो क्रय-शक्ति बढ़ाती है, जो मूल्य वृद्धि को ऊँचा ले जाती है। इस प्रकार क्रय-शक्ति में वृद्धि मूल्यवृद्धि का कारण बनती है।

सरकार के बिनयोजनाकीय खर्च से चीज-वस्तुओं या सेवाओं के कुल उत्पादन में या पूर्ति में वृद्धि नहीं होती; परंतु वेतनवृद्धि या बोनस भत्तों में होनेवाली वृद्धि से प्रजा के हाथ में मुद्रा की पूर्ति बढ़े तथा उत्पादन के साधनों को भी बदले के रूप में आय में वृद्धि होते ही आपूर्ति में समान वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप क्रय-शक्ति बढ़े, कुल माँग बढ़े और सामने कुल-आपूर्ति में वृद्धि न होने से भाव वृद्धि का जन्म होता है।

इस प्रकार मूल्य वृद्धि वित्त की पूर्ति में हुई वृद्धि का परिणाम भी और कारण भी है।

बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज दर घटाकर और बैंको की नकद आरक्षित मुद्रा में वृद्धि करके बैंक सरल शर्तों पर कम ब्याज की दर पर सस्ते कर्ज या लोन के स्वरूप में प्रजा के हाथ में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करती है। जो चीजवस्तुओं की माँग पर दबाव लाकर मूल्यों में वृद्धि करती है।

(2) जनसंख्या वृद्धि : भारत मे औसतन 1.9% की दर से जनसंख्या बढ़ती है। भारत की सन् 2011 में कुल जनसंख्या 121 करोड़ दर्ज हुई थी। देश की कुल जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि चीज-वस्तुओं और सेवाओं की माँग में वृद्धि करके माँग-आपूर्ति की स्थिति में असंतुलन बढ़ाती है। वस्तु की कमी उत्पन्न होते ही मूल्यवृद्धि होती है।

(3) निर्यात में वृद्धि : विदेशी बाजार में देश की वस्तुओं की माँग में वृद्धि होने से, सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहक कदमों के कारण निर्यात की चीज-वस्तुओं की स्थानीय, आंतरिक बाजार में उपलब्धता घटती है, कमी उत्पन्न होती है, माँग के सामने आपूर्ति कम होने से मूल्यवृद्धि होती है।

(4) कच्चे माल की ऊँची कीमत पर प्राप्ति : कच्चे माल की कमी हो और उसका मूल्य बढ़े तो उससे वस्तु का उत्पादन खर्च बढ़ता है। अंत में वस्तु की कीमत बढ़ती है। दूसरी तरफ उत्पादित वस्तुओं के ग्राहक मजदूर या प्रजा है। वे क्रयशक्ति घटने पर वेतन वृद्धि की माँग करते हैं, जिसे संतुष्ट करने पर फिर से चीज-वस्तुओं का उत्पादन खर्च बढ़ने से फिर से मूल्य वृद्धि होती है। इस प्रकार मूल्यवृद्धि का विषचक्र चलता रहता है।

(5) गैरदर्ज मुद्रा का चलन (काला धन) : सरकार को चुकाने पात्र कर में से बचने के लिए कुछ आर्थिक व्यवहार को हिसाबी खाते में दर्ज नहीं किया जाता। कुछ लोग अपनी उच्च आय या अतिरिक्त आय को छुपाते हैं। इस तरह हिसाबी खाते में दर्ज नहीं हुआ और जिस पर कर नहीं चुकाया हो ऐसी गैर हिसाबी आय को काला धन कहते हैं। यह काला धन रखनेवाले लोग आयकर या सर्विस टैक्स के अधीन पकड़े जाने के डर से वित्त का संग्रह करने के बदले जल्दी से जल्दी खर्च कर देने की भावना रखते हैं और अनावश्यक वस्तुएँ खरीदते हैं। ये सभी प्रकार का काला धन मूल्यवृद्धि का पोषक रहा है।

(6) सरकार द्वारा मूल्यवृद्धि : सरकार समय-समय पर प्रशासनिक आदेश देकर पेट्रोलियम उत्पादों, रसायनिक खाद, चीज वस्तुओं, कृषि फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाकर और पूरक कमी द्वारा मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, जिसके कारण मूल्यवृद्धि होती है। इस प्रकार सरकार ही मूल्यवृद्धि को जन्म देती है !

(7) प्राकृतिक कारण : अतिवृष्टि, भूकंप, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण तथा युद्ध, तूफान, आंदोलन, हड़ताल, औद्योगिक अशांति के कारण, तालाबंदी जैसे मानवीय परिबलों के कारण उत्पादन घटता है और उसकी आपूर्ति पर विपरित प्रभाव पड़ता है। आपूर्ति घटने के साथ मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने से चीज वस्तुओं की माँग पर दबाव से मूल्य स्तर में वृद्धि होती है।

(8) कर चोरी, संग्रहखोरी और कालाबाजारी : कई बार आयात कर की ऊँची दर के कारण तथा कुछ वस्तुओं के आयात प्रतिबन्ध या निर्यात प्रतिबन्ध के कारण चोरी के विचार, चोरी-छिपकर, कर नहीं भरकर विदेशी सामान देश में लाया जाता है, उसे दान-चोरी कहते हैं।

भविष्य में मूल्य बढ़ेगा ऐसी अटकलें या अफवाएँ या आगाही के कारण भविष्य में मूल्य वृद्धि का लाभ उठा सकें तथा उसके सामने रक्षण प्राप्त कर सकें, जिससे समाज के सभी वर्ग, व्यापारी, उत्पादक, ग्राहक, वस्तुओं का जत्था कम-अधिक मात्रा में संग्रहखोरी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु की आपूर्ति पर दबाव बढ़ता है। कृत्रिम कमी उत्पन्न होती है और बाजार में बहुत ही ऊँचे मूल्य वसूल करके लाभ की मात्रा बढ़ाकर प्रजा का अनुचित लाभ उठाते हैं, उसे नफाखोरी कहते हैं।

इस प्रकार संग्रहखोरी, कालाबाजारी और नफाखोरी जैसी असामाजिक प्रवृतियाँ बाजार में चीज-वस्तुओं की कमी उत्पन्न करती हैं। जो मूल्यवृद्धि के लिए एक जवाबदार कारण है।

मूल्य नियंत्रण किसलिए : सतत मूल्यवृद्धि का अर्थतंत्र पर तथा समाज के लोगों के जनजीवन पर व्यापक, दूरगामी और विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों से बचने के लिए मूल्यनियन्त्रण की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। मूल्य वृद्धि से होनेवाले प्रभाव निम्नानुसार समझेंगे :

(1) मूल्यवृद्धि से लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, क्रयशक्ति में वृद्धि, चीज-वस्तुओं सेवाओं की माँग में वृद्धि, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का विषचक्र चलता रहता है। गरीब और मध्यम वर्ग का जीना दुष्कर बन जाता है।

(2) मूल्यवृद्धि से बचत और पूँजी सर्जन की दर में कमी होती है। आवश्यक चीजवस्तुओं के उत्पादन घटते हैं। नये उद्योग-धंधे, रोजगार अवरुद्ध होते हैं।

(3) विदेशी पूँजी निवेश घटता है। आयातित वस्तुओं में वृद्धि होने से आन्तरिक बचत खर्च होती है, जो नई समस्या सर्जित करती है।

(4) आवश्यक चीज वस्तुओं का उत्पादन घटता है, कमी उत्पन्न होती है, लोगों का जीवनस्तर गिरता है, गरीब अधिक गरीब बनते हैं।

(5) देश में आवश्यक चीज-वस्तुओं के उत्पादन खर्च बढ़ने से वे महंगी हो जाती हैं, जिससे देश की निर्यात वस्तुओं का मूल्य बढ़ने और अनुपात में आयातित वस्तु बाजार में सस्ती होने से देश के निर्यात में कमी होने से और आयात बढ़ने से मुद्रा का संतुलन बिगड़ जाता है। आयात-निर्यात में असंतुलन उत्पन्न होता है।

(6) मूल्य बढ़ने से गरीब तथा मध्यम वर्ग के जीवन-स्तर में गिरावट आती है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चोरी, लूटमार, हत्या, अपराधी प्रवृत्ति, सट्टाखोरी, संग्रहखोरी, कालाबाजारी, भष्टाचार, आत्महत्या जैसी अनैतिक प्रवृत्तियाँ समाज में बढ़ती हैं। समाज का नैतिक पतन होता है।

इस प्रकार मुद्रास्फीति रूपी मूल्यवृद्धि अर्थतंत्र में बाधक होती है। इसलिए मूल्यवृद्धि को नियन्त्रण में लाना एकदम आवश्यक है।

मूल्यवृद्धि को नियन्त्रित करने के उपाय : अर्थतंत्र में कुल खर्च लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन चीजवस्तुओं-सेवाओं का उत्पादन उसी अनुपात में नहीं बढ़ता, जिससे मूल्यवृद्धि होती है। मूल्यवृद्धि नियंत्रण के लिए सरकार कदम उठाती है :

(1) वित्तीय कदम : (i) भारत की मध्यस्थ बैंक अर्थव्यवस्था में से वित्त की आपूर्ति कम कर देती है, जिससे लोगों की उपयोगी वस्तुओं पर वित्तीय खर्च की वृत्ति पर अंकुश लगता है। इससे वस्तुओं की माँग घटने से क्रमशः मूल्य घटते हैं। (ii) मध्यस्थ बैंक द्वारा ऋणनीति में ब्याज दर ऊँची की जाती है। जिससे लोन या ऋण महंगा होने से अनावश्यक पूँजी निवेश या सट्टाकीय निवेश बंद हो जाता है। दूसरी तरफ ब्याज की दर बढ़ाने से लोगों की बचतवृत्ति में वृद्धि होती है और डिपोजिटों में, विविध बचतों में निवेश बढ़ता है। इस प्रकार फंड प्राप्ति के अभाव से संग्रहखोरी, सट्टाखोरी बंद होती है और नफाखोरी पर अंकुश लगता है। (iii) बैंक दर में वृद्धि होने पर बैंकों को ऋण दर बढ़ानी पड़ती है जिससे ऋण की मात्रा घटती है। ब्याजदर बढ़ने पर सट्टाखोरी में से अतिरिक्त वित्त खींचकर अर्थव्यवस्था में बचत के रूप में वापस आता है जिससे पूँजी सर्जन की दर बढ़ती है। नये धंधे-रोजगार के क्षेत्र खुलते हैं। (iv) बैंकों की नगद आरक्षित मात्रा में वृद्धि होने से व्यापारी बैंकों की शाखा पर नियंत्रण लगता है। कर्ज कम हो जाता है। (v) खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करके व्यापारी बैंकों की और लोगो के नकद आरक्षण में कमी आती है। लोगों के पास वित्त की आपूर्ति घटने से, उपयोग खर्च घटने से मूल्य अंकुश में रहते हैं।

(2) राजकोषीय कदम : ''राजकोषीय नीति अर्थात् सरकार की सार्वजनिक आय-व्यय की नीति, कर और सार्वजनिक ऋण की नीति।'' (i) सरकार जितना संभव हो वहाँ तक अपने खर्च में कमी करके देश के कुल खर्च में कमी करके वित्त की आपूर्ति घटाती है। जिन योजनाओं पर अधिक मात्रा में खर्च होता हो और तात्कालिक वह लाभदायक न हो तो ऐसी योजना को स्थगित करती है। प्रशासनिक खर्च में मितव्ययिता और अनावश्यक खर्चों में कमी करती है। (ii) कर की नीति के अधीन सरकार मूल्य बढ़ने पर लोगों के पास व्यय करने योग्य रकम की आपूर्ति घटे इस उद्देश्य से चालू करों में वृद्धि करती है। आयकर, कंपनी कर, संपत्ति कर आदि बढ़ाए जाते हैं। निर्यात पर नियंत्रण लगाया जाता है और आयातों पर अधिक मात्रा में कस्टम्स ड्यूटी लगाकर आयातित वस्तुएँ महंगी होने से आयात घटती है। (iii) सार्वजनिक ऋण की नीति के अनुसार सरकार लोन देकर अथवा 'अनिवार्य बचत योजना' जैसी स्कीम लाकर समाज में होनेवाले कुल खर्च को सीमित करने का प्रयास करती है, बचतों को प्रोत्साहन देने के विविध प्रोत्साहकीय कदम उठाती है, सार्वजनिक करों की मात्रा घटाती है। सरकारी सबसीडी रूपी मदद में कमी करके, प्रत्यक्ष करों की मात्रा और क्षेत्र बढ़ाकर, धनिक वर्ग की उपभोग की वस्तुओं (विलासिता की) पर ऊँची दर से कर लगाकर उनका उत्पादन घटाती है और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाती है। इस प्रकार इन कदमों के माध्यम से आय की मात्रा घटेगी, जिससे वस्तुओं की माँग घटेगी और अंत में मूल्यों में कमी होगी।

(3) पूँजी निवेश पर अंकुश : अनावश्यक और मौज-शौक की वस्तुओं के पीछे पूँजी निवेश घटे इसके लिए लायसन्स या परवाना (अनुमति) पद्धति लागू करती है और उत्पादकीय स्वरूप के कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन बढ़े ऐसे पूँजीनिवेश को प्रोत्साहन देती है। सट्टाकीय पूँजी निवेश घटे, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़े, उत्पादन शक्ति बढ़े, ऐसे प्रोत्साहक कदम उठाने चाहिए, ब्याज की दर बढ़ाकर बचत प्रवृति को उत्तेजित करके पूँजीसर्जन बढ़े ऐसे प्रयत्न करने पड़ेंगे।

(4) मूल्य नियंत्रण और मात्रा नियंत्रण : (सार्वजनिक वितरण व्यवस्था द्वारा) मूल्यवृद्धि पर अंकुश रखने की व्यूहरचना का एक कदम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) है, जो भारत में 1977 से लागू की गई। जिसका उद्देश्य समाज के निम्न आय समूहों को (अंत्योदय) और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीनेवाले (BPL) और गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर कम आयवाले लोगों को आवश्यक चीज वस्तुएँ उचित मूल्य पर, उचित मूल्य की दुकानों (FPSS) द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में देश में लगभग 4.92 लाख उचित मूल्य की दुकानें (FPSS) हैं। इन दुकानों में बिकनेवाली वस्तुओं का भाव खुले बाजार की अपेक्षा कम होता है। वास्तविक भाव और सार्वजनिक वितरण के बाजार के भाव का अंतर सरकार चुकाती है। इस रकम को सबसीडी कहते हैं। कृत्रिम कमी, संग्रहखोरी और कालाबाजारी में मनचाहे मूल्य बढ़ाने की परिस्थिति में गरीबी रेखा के नीचे जीनेवाले लोगों के जीवन स्तर को टिकाए रखने में यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आशीर्वाद स्वरूप बनी है। जो मूल्यवृद्धि को अंकुश में रखती है। इस व्यवस्था की सफलता का आधार अनाज वितरण और वितरण की व्यवस्था के लिए कुशल और कार्यक्षम प्रशासनिक तंत्र, पारदर्शी प्रशासन और प्रमाणिक दुकानदारों पर होता है।

(5) मूल्य निर्धारण तंत्र : संग्रहखोरी, सट्टाखोरी को नियंत्रण में लाने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को उचित स्तर पर टिकाए रखने के लिए तथा वह बाजार में आसानी से मिलती रहे इसके लिए सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का कार्य करती है। व्यापारियों से उसी निर्धारित मूल्य पर बाजार में वस्तु बेचने का आग्रह करती है। सरकार, मूल्यस्तर को स्थिर रखने के लिए 'आवश्यक चीज-वस्तु धारा –1955' अमल में लाई है, जो व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर अपना माल-सामान नहीं बेचते, उनके विरुद्ध इस धारा के आधार पर कार्यवाही करके दण्ड दिया जाता है। संग्रहखोरों, काला बाजारियों, सट्टाखोरों के विरुद्ध अभियान स्वरूप 'प्रिवेन्शन ऑफ एन्टिसोशियल एक्टिविटीज-एक्ट (PASA)' के अधीन आवश्यकता पड़े तो कानूनी रूप से गिरफ्तारी की जाती है। मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए व्यापारियों के गोदामों में रखी चीजवस्तुओं के जथ्थे का नियमन, चेकिंग, स्टॉकपत्रक, भावपत्रकों को पेश करने संबंधी कानूनी व्यवस्था और उसका उल्लंघन करने पर सख्त दण्डात्मक कार्यवाही द्वारा मूल्यवृद्धि को रोकने के प्रयास किए गए हैं। सरकार ने अब तक प्याज, कपास, सीमेन्ट, खाद्यतेल, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसीन, चीनी, एल्युमिनियम, लोहा-फौलाद, रेलवे किराया आदि के मूल्य मूल्यनिर्धारण तंत्र के आधार पर निश्चित किए हैं। कुछ जीवन-रक्षक दवाओं के मूल्य भी इसके अन्तर्गत निश्चित किए गए हैं और मूल्यवृद्धि को रोका गया है।

इस प्रकार मूल्यवृद्धि को रोकने के उपाय एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं, अलग नहीं, परंतु परस्पर आधारित हैं, जिससे छिट-पुट एक-दो कदम उठाने के बदले सर्वग्राही कदम उठाएँ जायेंगे तो ही निर्धारित परिणामप्राप्त किया जा सकेगा।

ग्राहक जागृति (जागो ग्राहक जागो)

आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह से ग्राहक है। बाजार में समान लक्षणोंवाली और अनेक ब्रान्ड की असंख्य वस्तुएँ मिलती हैं। वस्तु की विविधता और विकल्पोंवाली अनेक उपयोगवाली वस्तुओं के संबंध में निरक्षर और अनजान ग्राहकों को संपूर्ण ज्ञान या जानकारी नहीं होती। उत्पादक और ग्राहक के बीच अनेक बिचौलिए होने से ग्राहकों का विविध रूप से शोषण होने लगा है।

18.1 ग्राहक जागृति संदेश

ग्राहक जो वस्तु, सेवा, माल वित्त या उसके बदले में खरीदे वह निश्चत गुणवत्ता, वजन और उचित मूल्य पर प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था को ग्राहक सुरक्षा कहते हैं। ग्राहक सुरक्षा यह ग्राहक जागृति का अभियान है। ग्राहक जागृति के संबंध में अमरीका में राल्फना डरे ने ग्राहकवाद को आंदोलन शुरू किया, इसलिए वे ग्राहक आंदोलन के जन्मदाता कहलाए।

ग्राहक का विविध प्रकार से होनेवाला शोषण

उत्पादकों या व्यापारियों द्वारा ग्राहकों का विविध प्रकार से शोषण होता है जो निम्नानुसार है। ग्राहक को पैकिंग पर लिखे से कम वजन देकर, हल्की-कमीयुक्त या नकली वस्तु-माल या सेवा देकर, छपी हुई कीमत से अधिक कीमत वसूलकर ग्राहक के स्वास्थ्य को हानि हो ऐसी मिलावटी वस्तुओं की बिक्री करके, बिक्री के बाद असंतोष जनक सेवाएँ, निर्धारित शर्तों या मानदंड के अनुसार निर्माणकार्य, चीज वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति न करके, बैंक, बीमा, टेलीफोन, डॉक्टरी सेवा या सेवा में लापरवाही युक्त व्यवहार, ग्राहक के साथ दुव्यवहार या मानहानि हो ऐसा विक्रेता या व्यापारी द्वारा व्यवहार हो, लुभावने भ्रामक विज्ञापनों द्वारा वस्तुओं की सही पसंदगी में ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होने के कारण, भ्रष्ट विक्रयकला द्वारा वस्तु का विक्रय जिससे ग्राहकों को शारीरिक और मानसिक नुकसान भोगना पड़े, इस प्रकार के नकली माल-सामान बेचकर तथा कृत्रिम कमी उत्पन्न करके, अपूर्ण जानकारी देकर ग्राहक का शोषण होता है।

ग्राहक शोषण के कारण

ग्राहक का शोषण निम्नानुसार विविध कारणों से होता है :

(1) ग्राहक स्वयं जवाबदार : अज्ञानता, जागृति का अभाव, निरक्षरता, संगठित होकर विरोध प्रदर्शित करने की वृत्ति का अभाव, नुकसान या शोषण के विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी और वृत्ति का अभाव और उससे संबंधी उचित जानकारी के अभाव के कारण व्यापारी, उत्पादक, नियोजकों द्वारा ग्राहकों का विविध प्रकार से शोषण करके उनका अनुचित लाभ उठाया जाता है।

(2) मर्यादित जानकारी : पूँजीवादी अर्थतंत्र में उपभोक्तावादी सोच रखनेवाले निर्माता और विक्रेता किसी भी चीजवस्तु या सेवा की जितनी चाहें उतने प्रमाण में उत्पादन और बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके उत्पादन के मापदंडों, मूल्यों और गुणवत्ता नियमन के संबंध में कोई विशेष नियम नहीं है और जहाँ है वहाँ सख्त नियमों का पालन नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में ग्राहक को चीज-वस्तुओं के उपयोग संबंधी सही जानकारी, सूचना या ज्ञान का अभाव, वस्तु के उपभोग संबंधी सही प्रशिक्षण न मिलने के कारण, गुणवता की रखरखाव और उपयोग के तरीके और बिक्री के बाद की सेवाएँ, वॉरंटी और गेरंटी जैसी जानकारी के अर्थघटन के संबंध में खरीदी के समय ग्राहक को पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है। इस प्रकार मर्यादित जानकारी मिलने के कारण ग्राहक सही खरीदी में समझदारी के अभाव से भूल कर बैठता है।

(3) मर्यादित आपूर्ति : जब वस्तु या सेवा की माँग के सामने पर्याप्त मात्रा में उसकी आपूर्ति नहीं होती तब कृत्रिम कमी सर्जित होती है। इस प्रकार व्यापारी, उत्पादकों द्वारा संग्रहखोरी, सट्टाबाजी, धोखा या प्राकृतिक आपदाओं जैसे कारणों से कमी उत्पन्न होती है। ग्राहक से ऐसी परिस्थितियों में अधिक मूल्य वसूल करके अनुचित लाभ उठाया जाता है। इस प्रकार बाजार में वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति भी ग्राहक शोषण का कारण बनती है।

(4) मर्यादित स्पर्धा : जब कोई एक ही उत्पादक या उत्पादक समूह किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में और वितरण में एकाधिकार रखता हो तब उत्पादक ऐसी मर्यादित या एकाधिकार वाले बाजार में अन्य विकल्पों के अभाव से ग्राहकों का विविध प्रकार से शोषण करता है। कमीयुक्त सेवा और हल्का मालसामान का विक्रय करता है।

ग्राहक सुरक्षा क्षेत्र : ग्राहक जागृति

ग्राहकों के विविध प्रकार से होनेवाले शोषण को रोकने और ग्राहकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने तथा उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। सर्वप्रथम भारत में ग्राहकों के रक्षण के संबंध मे कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे उद्योगों और व्यापार द्वारा ग्राहकों के साथ किए जाने वाले

दुर्व्यवहार और शोषण का उल्लेख है, जिसमें माप-तौल और मिलावट या बनावटी जैसी अपराधिक व्यापार की पद्धतियों के बदले दण्ड देने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन फ्रेन्कलीन केनेडी ने अमेरिका की संसद मे 15 मार्च, 1962 के दिन ग्राहकों को चार अधिकार दिए और ग्राहकों के मंतव्यों को सुना नहीं जाता, इसके लिए व्यथा प्रकट की थी।

18.2 विश्वग्राहक दिवस उत्सव

'कन्जुमर्स इन्टरनेशनल' अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ता. 15 मार्च, 1983 के दिन ग्राहकों के चार अधिकारों को दर्शाती हुई घोषणा की थी। जिसके कारण विश्व में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को 'विश्व ग्राहक अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ (युनो) ने अपनी ता. 16 अप्रैल, 1985 की सभा में 'युनाइटेड नेशन्स गाइडलाइन्स फॉर कन्जयूमर्स प्रोटेक्शन' के कानून में ग्राहकों के मूलभूत आठ अधिकार घोषित किए और उसके अनुसार विश्व के देशों से अपने देश के ग्राहकों के लिए अधिकारों और उनके हितों के संरक्षण के लिए प्रभावी कानूनी ढाँचा बनाने की सिफारिशें की थीं। उसके अनुसार भारतीय संसद ने 'राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम - 1986' बनाया, जिसे राष्ट्रपति ने ता. 24 दिसम्बर, 1986 के दिन हस्ताक्षर करके मंजूरी प्रदान की। जिसके कारण भारत में प्रत्येक वर्ष ता. 24 दिसम्बर, को 'राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

गुजरात सरकार ने दिनांक 18 फरवरी 1988 के दिन 'गुजरात ग्राहक सुरक्षा नियम -1988' लागू किया जिसके अनुसार ग्राहक सुरक्षा की कानूनी कार्यवाही राज्य में लागू की गई है।

भारत में ग्राहक सुरक्षा धारा में 1993 और 2002 में कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं और वर्षों पुराने कानूनों में समयानुसार परिवर्तन करने की भावना लोगों में उत्पन्न हुई है।

ग्राहक सुरक्षा अधिनियम - 1986 की अनेक व्यवस्थाओं में से मुख्य और महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं के विषय में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे।

18.3 ग्राहक सुरक्षा अधिनियम-1986

ग्राहक अधिकार का कानून

भारत में सामाजिक-आर्थिक कानून के इतिहास में 'ग्राहक सुरक्षा अधिनियम-1986' एक सीमाचिह्न के रूप में और लोकोपयोगी कानून है। यह ग्राहकों के अधिकारों तथा ग्राहकों के हितों की रक्षा के सन्दर्भ में बनाया गया सबसे अधिक प्रगतिशील और सर्वग्राही कानून है, जो निम्नानुसार अनेक व्यवस्थाएँ करता है, जिनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे।

1 ग्राहक सेवा संबंधी : इस कानून के तहत व्यापारी, माल या सेवा के संदर्भ में ग्राहक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है :

माल के संदर्भ में ग्राहक अर्थात् जिसे कानून का रक्षण है इसके लिए नीचे दर्शाया कोई भी व्यक्ति,

(i) यदि कोई भी व्यक्ति चीज-वस्तु, माल या सेवा को पैसे देकर अथवा एवज के बदले में खरीदी करे अथवा वस्तु या सेवा देने के बदले में कीमत चुकाने की व्यक्ति गारंटी देकर अथवा कुछ कीमत चुका दे और बाकी रकम चुकाने का वचन देकर वह वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, वह व्यक्ति (ii) हप्तों में चुकाकर अथवा किराये पर खरीदने की पद्धति द्वारा कोई माल-सामान कीमत चुकाकर खरीदे अथवा सेवा किराये पर रखे अथवा सेवा प्राप्त करे और उस माल-सामान को व्यक्ति या उसको कोई भी व्यक्ति उपयोग करे या सेवा का लाभ प्राप्त करता है, वह व्यक्ति ग्राहक है।

परंतु यदि कोई भी व्यक्ति खरीदे गए माल की फिर से बिक्री अर्थात् धंधाकीय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसा माल सामान प्राप्त करता हो तो या किसी व्यक्तिगत करार के अधीन सेवा प्राप्त की गई हो तो ऐसी सेवाओं का समावेश कानून में नहीं होता है। वे रक्षण के पात्र नहीं है।

इस प्रकार इस कानून का उद्देश्य ग्राहकों को उच्च गुणवत्तायुक्त विविध वस्तुएँ या सेवाएँ प्राप्त हों तथा ग्राहकों के हितों का रक्षण हो यह देखना है। इस कानून की व्यवस्था के अनुसार माल या सेवा की गुणवत्ता, प्रकार तथा करार के अनुसार प्रचलित कानून के अनुसार सेवा देने की पद्धति के विरुद्ध सेवा में कमी पाई जाए या हल्की लगे या माल कम गुणवत्तावाला कमीयुक्त हो तो ग्राहक कानून के अधीन शिकायत कर सकता है।

2 ग्राहकों के अधिकार (हक) : बाजार में मिलनेवाली वैविध्यपूर्ण अनेक वस्तुओं की जानकारी के अभाव में ग्राहक सही वस्तु की पसंदगी में भूल करता है और अपने द्वारा खर्च किए गए धन का पर्याप्त बदला प्राप्त नहीं कर सकता, जिसका धन व्यर्थ जाता है और स्वयं ठगे जाने का अफसोस करता है। हल्की गुणवत्तावाली, बनावटी, मिलावटी, नीची गुणवत्ता की खाद्य वस्तुएँ खरीद कर अनेक रोगों को आमंत्रण देता है, जिससे स्वास्थ्य को नुकसान होता है। कम तोलमाप, मिलावट और बनावटी, ठगी, कीमतों में लूटपाट और भ्रष्टाचार जैसी अनीतियों से समाज का नैतिक स्तर गिरता है।

उत्पादक, व्यापारी दोनों अपनी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य, संग्रह प्रवृत्ति में एकरूपता और पारदर्शिता रखें इसके लिए कानून में व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं से ग्राहक जागृत बनता है और वह धोखाधड़ी के विविध तरीकों, गलत पद्धतियों के विरुद्ध लड़ाई किस तरह से लड़ सके उससे सम्बन्धित शिक्षण और विविध उपयोगी जानकारी देने के कई अधिकारों की इस कानून में व्यवस्था की गई है। इन अधिकारों का रक्षण करना ग्राहक जागृति का मुख्य उद्देश्य है। कानून के अन्तर्गत ग्राहकों को छः अधिकार दिए गए हैं :

(1) सलामती का अधिकार : यदि उत्पादन प्रक्रिया के अंत में चीज वस्तुओं या सेवाओं से ग्राहक की जान का खतरा हो या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो उसके विरुद्ध रक्षण या सुरक्षा प्राप्त करना ग्राहक का अधिकार है। इस अधिकार द्वारा भौतिक पर्यावरण की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की सलामती प्राप्त करना है।

(2) जानकारी प्राप्त करने का अधिकार : ग्राहक को चीज वस्तुओं की गुणवत्ता, जत्था, क्षमता, शुद्धता, स्तर, उपभोग, कीमत आदि बातों की जानकारी होनी चाहिए जिससे वह बाजार में व्यापारी की अयोग्य रीतियों या भ्रष्ट तरीकों से बच सके। इस जानकारी प्राप्त करने के अधिकार द्वारा ग्राहक अधिकारयुक्त और जिम्मेदारीपूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। ग्राहक को जानकारी लेबल से, पैकिंग से, सार्वजनिक खबर, मूल्यपत्रों, सरकारी सार्वजनिक खबरों और लेखों से मिलती है।

(3) पसंदगी करने का अधिकार : वैविध्यपूर्ण और असंख्य वस्तुएँ, प्रतिस्पर्धा, गुणवत्तावाली वस्तुओं में से अधिकतम लाभ मिले इस तरह अपनी पसंद की वस्तुएँ या सेवा की खरीदी करने का अधिकार है। पसंदगी का अधिकार अर्थात् ग्राहक को वस्तु उचित कीमत पर, संतोषप्रद सेवा और गुणवत्ता का विश्वास दिलाता है। विविध प्रकार की अनेक वस्तुओं में से ग्राहक को अपने अधिक अनुकूल होनेवाली वस्तुएँ पसंद करने की स्वतंत्रता यह अधिकार देता है।

(4) प्रस्तुतीकरण का अधिकार : ग्राहकों के अधिकारों और हितों के रक्षण करने तथा ग्राहकों की शिकायतों या अधिकारों संबंधी मामले सही स्तर पर प्रस्तुत करने तथा अंत में उस पर उचित विचार किया जाये ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने और ग्राहकों के कल्याण संबंधी चर्चा करने के लिए ग्राहकों का गैर राजनैतिक, बिनधंधाकीय स्तर पर ग्राहक मंडलों की रचना हो और उनके प्रतिनिधियों को स्थान मिले, उनकी प्रस्तुति सुनने की व्यवस्था करने का प्रावधान कानून के अन्तर्गत किया गया है।

(5) शिकायत निवारण का अधिकार : इस अधिकार के अधीन ग्राहक को अप्रमाणिक व्यापारी रीति से या लापरवाही से हुए नुकसान या अनैतिक शोषण हुआ हो उसके विरुद्ध शिकायत करके, उसका निवारण करके ग्राहक के नुकसान के बदले मुआवजा मांगने का अधिकार है। इस मुआवजे में माल बदल कर देने, वापस लेने, पैसे वापस देने, चार्ज वसूल किए बिना मरम्मत करके देना आदि। ऐसी एक या एक से अधिक प्रतिपूरक राहत माँग सकता है। ग्राहक प्रतिपूरक माँगे या न माँगे तो भी राहत प्राप्त करना कानूनन हकदार है।

(6) ग्राहक शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार : यह अधिकार ग्राहक को जीवनभर जानकार ग्राहक बनाने की सभी जानकारी या ज्ञान, चतुराई, धैर्य और कौशल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ग्राहक की अज्ञानता, ग्राम्य क्षेत्रों के ग्राहकों में उनके अधिकारों के प्रति जागृति का अभाव आदि ग्राहक शोषण के जिम्मेदार कारण हैं। विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में स्थान देकर, विविध संस्थाओं की मीटिंगों में ग्राहक शिक्षण संबंधी चर्चासभा, वार्तालाप, कार्यशालाओं द्वारा ग्राहक शिक्षण का प्रशिक्षण देकर ग्राहकों की कुशलता बढ़े ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं, जिससे बाजार में वह जागृत ग्राहक के रूप में अच्छी तरह कर्तव्य निभा सके, इसमें ग्राहकशिक्षण सहायक बनता है।

3 ग्राहक के कर्तव्य : ग्राहक जिस तरह अपने अधिकारों के प्रति सावधान रहता है उसी तरह उसकी जिम्मेदारियों या कर्तव्यों के प्रति उतनी ही जागृति रखनी चाहिए :

(1) ग्राहक को खरीदी करते समय चीज वस्तुओं या सेवा की सही पसंदगी करनी चाहिए। वस्तु की खरीदी में गुणवत्ता, उचित मूल्य, गारंटी या वारेन्टी, बिक्री के बाद की सेवा और BIS, ISI और 'एगमार्क' जैसे गुणवत्ता मानक चिह्नोंवाली ही वस्तुएँ खरीदनी चाहिए। बिजली या इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों की खरीदी के समय स्टान्डर्ड अथवा ब्रान्ड नाम वाली वस्तु की खरीदी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए।

(2) खरीदी के समय विविध वस्तुओं में से वस्तु की पसंदगी के संबंध में निर्णय लेते समय वस्तु की सभी जानकारी, लेबल और घोषणा संबंधी जाँच करके आस्वस्थ होकर समझदार और जागृत ग्राहक बनकर जवाबदारीपूर्वक निर्णय करके खरीदनी चाहिए। ग्राहक के रूप में उसके निर्णय में, व्यवहार में बुद्धिमत्ता, चातुर्य, विवेकपूर्वक व्यवहार होना चाहिए, जिससे वह शोषण और धोखेबाजी से बच सके।

(3) ग्राहक का कर्तव्य है कि उसे अपने व्यवहार द्वारा बिक्रेताओं या उत्पादकों के साथ एक सज्जन और प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में पुष्टि करनी होती है, ऐसी अपेक्षा भी कानून में रखी गई है।

(4) ग्राहकों को खरीदे गए माल या सेवा का पक्का बिल या पैसा चुका कर पक्की रसीद लेनी चाहिए तथा वॉरंटीकार्ड भी विक्रेता से भरवाकर दुकानदार की सील के साथ व्यापारी के हस्ताक्षर लेने का निवेदन रखना चाहिए।

(5) ग्राहकों को गैरराजनैतिक और बिनधंधाकीय स्तर पर स्वैच्छिक रूप से इकट्ठा होकर ''स्वैच्छिक ग्राहक-मंडलों'' और संगठनों की रचना करनी चाहिए और उन मंडलों द्वारा ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी लड़ाई करने की तैयारी रखनी चाहिए। सरकार की ग्राहक संबंधी विविध समितियों में प्रतिनिधित्व माँगना चाहिए और इस माध्यम से शोषण के सामने लड़ाई लड़ना भी ग्राहक का कर्तव्य है।

(6) ग्राहकों को उनकी सही शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारी को मौखिक अथवा लिखित स्वरूप में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। व्यापक हितों को स्पर्श करती शिकायतों के निवारण हेतु ग्राहक मंडलों को और विविध स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए।

(7) ग्राहकों को वस्तु की खरीदी में माल की गुणवत्ता के संदर्भ में या माल की सुरक्षा के स्तर में किसी भी प्रकार का रोकटोक या समझौता नहीं करना चाहिए। खरीदी में पैंकिंग, कीमत, उत्पादन का दिनांक, बैच नंबर, सही वजन, अंतिम तिथि, उत्पादक का नाम, पता आदि देखकर जाँचकर हमेशा खरीदी करनी चाहिए।

(8) खरीदी के समय माल खराब हो, बनावटी या नकली हो, वजन कम-ज्यादा हो, तो तुरंत ग्राहक को व्यापारी को ध्यान दिलाना चाहिए और व्यापारी से शिकायत निवारण में विलम्ब हो तो प्राधिकारी या ग्राहक अदालत के समक्ष अपनी मांग रखनी चाहिए। इस प्रकार ग्राहकों को जवाबदार नागरिक के रूप में भूमिका अदा करनी चाहिए।

(9) ग्राहक को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में या संख्या में वस्तुएँ खरीदनी चाहिए। आकर्षक विज्ञापनों से प्रेरित होकर, देखा-देखी या 'सेल' से अनावश्यक और अधिक खरीदी से बचना चाहिए तथा पैसे बचाने चाहिए।

(10) खरीदी के समय वजन कांटे, मापतौल के साधन, इलेक्ट्रोनिक्स यंत्र सही है या नहीं उसकी पुष्टि करनी चाहिए। तौलमाप के साधनों की नियमित जाँच और सत्यता समय-समय पर जाँच अधिकारी द्वारा हुई है या नहीं उसकी पुष्टि करनी चाहिए। यदि साधन प्रति वर्ष प्रमाणित किए हुए न हों तो तौलमाप अधिकारी, कानूनी माप विज्ञान और नियामक ग्राहक मामलों के स्थानीय कार्यालय में संपर्क स्थापित कर ध्यान दिलाना चाहिए और आवश्यक हो तो शिकायत करना जागृत और जिम्मेदार ग्राहक का कर्तव्य होता है।

(11) ग्राहक के घर पर गैस सिलेन्डर आए तो उसकी सील की जाँच करनी चाहिए कि वह सीलबन्द है या नहीं। वजन जाँचना चाहिए। रिक्षा और टैक्सी में मीटर शून्य करवाकर ही मीटर के भाव के अनुसार बैठना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, सी. एन. जी. गैस भरते समय इन्डिकेटर पर '0000' शून्य मीटर की रीडिंग देखकर भरवाना चाहिए। केरोसीन खरीदते समय मापिए में झाग बैठ जाए उसके बाद ही पूरा मापिया भरवाकर ही खरीदना चाहिए। तराजू स्टैण्ड पर सही-सही लगा हुआ हो ऐसे तराजू से ही वजन करवाना। हाथ में उठाए गए तराजू से वजन में कमी होने या ठगी की संभावना रहती है।

(12) रेलवे, बैंक, बीमा, टेलीफोन सुविधा तथा हॉस्पिटल आदि की सेवाओं में होनेवाली लापरवाही से सेवा में उत्पन्न होनेवाला शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान के सामने बदला (भुगतान) प्राप्त करने हेतु 'ग्राहक फोरम' में स्वयं या ग्राहक मंडलों द्वारा शिकायत दर्ज करवानी चाहिए और मामले की पूरी जानकारी और प्राप्त मुआवजे का समाचार स्थानीय टी.वी. चेनलों, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर अन्य ग्राहकों को उनके साथ हुए अन्याय की और प्राप्त न्याय की जानकारी देकर उन्हें भी अन्याय का भोग बनने से रोका जा सकता है। इस प्रकार ग्राहक जागृति और ग्राहक शिक्षण कार्य करना भी उसका कर्तव्य होता है।

(13) ग्राहक शिक्षण द्वारा ग्राहक जागृति के सभी कार्यक्रमों में, अभियानों में, ग्राहक मंडलों द्वारा आयोजित किए जानेवाले कार्यशिविर, परिसंवाद या सेमिनार में उत्साहपूर्वक जुड़कर समाज में ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में जागृति लाने के अभियान को वेग प्रदान करने में यथाशक्ति मदद करनी चाहिए।

18.4 ग्राहक सुरक्षा के उपाय, त्रिस्तरीय अदालतें

ग्राहक सुरक्षा के उपाय : ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में चार प्रकार के उपाय अमल में लाए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं :

(अ) त्रिस्तरीय अर्धन्यायी अदालतें : राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम - 1986 के तहत 'केन्द्रीय ग्राहक सुरक्षा काउन्सिल' (राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग) की रचना की गई है। इसी तरह राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थापना की गई है। इन कमीशनों के द्वारा ग्राहक सुरक्षा कानून के अधीन नियम बनाए हैं। ''राष्ट्रीय ग्राहक समाधान आयोग'' त्रिस्तरीय अदालतों का ढाँचा तैयार किया है और ग्राहक फोरम तथा कमीशनों की कार्यवाही के लिए कानून कायदे बनाए गए हैं।''

(1) जिला फोरम (जिलामंच) : प्रत्येक जिले के लिए एक अदालत है जो सबसे महत्त्वपूर्ण अदालत है। जो ग्राहकों की शिकायतों का अध्ययन करके न्यायिक समाधान करती है। इस न्यायालय में अब ₹ 20 लाख तक के दावों के लिए उसकी निर्धारित फीस भरकर अरजी स्वीकारी जाती है। जिला फोरम के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष निर्णय की जानकारी होने के 30 दिन के अंदर राज्य कमिशन में अपील दाखिल कर सकता है। उससे पहले मुआवजे के दावे की रकम का 50 % अथवा ₹ 25000 जो कम हो वह, निश्चित शर्तों के अनुसार डिपोजिट जमा करनी होती है।

(2) राज्य कमीशन (राज्य फोरम)

- देश में वर्तमान में लगभग 35 राज्य फोरम कार्यरत हैं।
- 20 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के मुआवजे की रकम के दावे की शिकायत निर्धारित फीस भर कर दाखल कर सकते हैं।
- जिला फोरम से असंतुष्ट हुआ कोई भी पक्षकार आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर निश्चित नमूने और दावे की रकम 50 % अथवा ₹ 35000 डिपोजिट भरकर राष्ट्रीय कमीशन में अपील कर सकता है।

(3) राष्ट्रीय कमीशन (राष्ट्रीय फोरम)

- 1 करोड़ से अधिक मुआवजे के दावा संबंधी शिकायत निर्धारित कोर्ट फीस भरकर कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकती है।
- पाँच सदस्यों की बेंच इस कमीशन के सदस्य होते हैं।
- राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन को संभव हो उतना जल्दी अर्थात् शिकायत दर्ज करने की तारीख के 90 दिन में शिकायत का निवारण करना होता है।
- राष्ट्रीय कमीशन से नाराज व्यक्ति या पक्षकार इस कमीशन के आदेश के 30 (तीस) दिन के अन्दर सुप्रिम कोर्ट (सर्वोच्च अदालत) में निर्धारित शर्तों के आधार पर शिकायत दर्ज कर सकता है। यद्यपि अपील से पूर्व पक्षकार को मुआवजे के दावे की रकम का 50% अथवा ₹ 50,000 दोनों में से जो कम हो वह डिपोजिट के रूप में कोर्ट मे जमा करवाना अनिवार्य है।

यदि कोई व्यक्ति इन तीनों अदालतों में से किसी भी अदालत के द्वारा दिए गए आदेश का पालन न करे तो सजा अथवा दंड या दोनों सजा का पात्र होता है।

बी. पी. एल. के अन्तर्गत व्यक्तियों को, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को कुछ शरतों के अधीन फीस भरने से मुक्ति दी जाती है और 'जिला मुफ्त कानूनी सेवा' मागदर्शन कानूनी सहायता, मार्गदर्शन और वकील की मुफ्त सेवा उपलब्ध करवाई जाती है।

(ब) ग्राहक मंडल (ग्राहक सुरक्षा परिषदें) : इस अधिनियम के तहत तालुका, जिला और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ग्राहक मंडलों की स्थापना की गई है। ये ग्राहकमंडल और परिषद गैरराजनैतिक और गैर व्यवसायिक स्तर पर ग्राहकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से रचित ग्राहक मंडल हैं। इन ग्राहक मंडलों का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को अपने अधिकार के प्रति जागृत बनाना और प्रोत्साहन देना तथा उनके हितों की सुरक्षा के लिए नीतियों के निर्माण में सरकारों को मदद करना है। वे ग्राहकों के अधिकार तथा कानून की व्यवस्थाओं की समय-समय पर समीक्षा करते हैं और कानूनी व्यवस्थाओं में सुरक्षा संबंधी सरकार को सुझाव देते हैं। ये ग्राहक जागृति के लिए अभियान स्वरूप ग्राहक शिक्षण देते हैं। इसमें ग्राहकों के अधिकारों, कर्तव्यों, विविध प्रकार के शोषण और उससे किस तरह बच सकें इसकी कानूनी व्यवस्थाओं जैसे मुख्य विषयों पर परामर्श देते हैं। इन ग्राहक मंडलों और संगठनों द्वारा ग्राहक सुरक्षा 'इनसाइट', 'दी कन्ज्यूमर', 'ग्राहक मंच' जैसे मासिक, द्विमासिक पत्रिकाओं और समसामयिकी प्रकाशित करके ग्राहक जागृति फैलाने का कार्य किया जाता है और ग्राहक की शिकायतों का निवारण लाने में सहायता दी जाती है।

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) : सार्वजनिक वितरण प्राणाली के द्वारा 'उचित मूल्य की दुकानों' द्वारा नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाला माल, निश्चित मात्रा में राहत दर पर अनाज और अन्य वस्तुएँ उपलब्ध करवाया जाता है, इस माध्यम से ग्राहकों को खुले बाजार में अधिक भाव लेने, हल्की गुणवत्तावाले माल सामान और कम मात्रा में मिलने वाली चीजवस्तुओं द्वारा होनेवाले शोषण से बचाया जाता है। व्यापारी के गलत तौर-तरिकों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंकुश लगा रहता है।

(ड) तौलमाप और चीज-वस्तुओं की शुद्धता को प्रमाणित करता तंत्र : ग्राहकों के स्वास्थ्य और सलामती के रक्षण के लिए सरकार ने कुछ कानूनी संस्थाओं की रचना की है, जो उत्पादकों द्वारा तैयार किए हुए मालसामान, वस्तुओं की गुणवत्ता और शुद्धता की जाँच-पड़ताल करके उसे प्रमाणित करने का कार्य करते हैं।

भारत सरकार ने गुणवत्ता का नियमन करने के लिए ई.स. 1947 में 'इन्डियन स्टान्डर्ड इन्टिट्यूट' (ISI) नामक संस्था की स्थापना की थी। इसके बाद ई.स. 1986 में 'ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टान्डर्ज' नाम से पहचाना जाता है। यह योग्य गुणवत्तावाले विविध उत्पादकों को 'ISI' मार्क उत्पादकीय उपकरणों पर उपयोग करने की छूट देता है।

18.5.1 ISI संस्था का चिह्न

18.5.2 BIS संस्था का चिह्न

18.6 एगमार्क का चिह्न

कृषि पर आधारित चीज-वस्तुओं, वन उपजों, बागायती और पशु उत्पाद की गुणवत्ता का मानक चिह्न 'एगमार्क' लगाने का कानून खेती-बाड़ी उत्पन्न बाजार कानून - 1937 था। भारत सरकार के 'डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग इन्टेलिजेन्स संस्था' (DMI) द्वारा एगमार्क उपयोग करने का आदेश दिया गया है। यदि ग्राहक को मार्का संबंधी शंका उत्पन्न हो तो BIS के नजदीकी प्रादेशिक कार्यालय में शिकायत कर सकता है।

इसके उपरांत सोने के आभूषण की खरीदी के समय भी 'BIS' मार्क के साथ सोने की शुद्धता के नंबर उदाहरण स्वरूप 916 अर्थात् 22 केरेट सोने की शुद्धता दर्शाता मार्का के साथ 'होलमार्क' 'केन्द्र का लोगो', 'J' जिस वर्ष में होलमार्किंग हुआ हो उस वर्ष का चिह्न उदाहरण स्वरूप 2008 उपरांत ज्वेलरी बनानेवाले और बिक्रेता का चिह्न शुद्धता और गुणवत्ता की गॉरंटी देता है।

18.7 सोने के आभूषण खरीदते समय ध्यान देने योग्य चिह्न

एफ. पी. ओ. (FPO - Food Product Order) का मार्का जाम, फ्रूट, ज्यूस, केन या टीन में पैक किए गए फल और सब्जी के उत्पादक वस्तु पर लगाया जाता है।

18.8 FPO का चिह्न

18.9 वुलमार्क का चिह्न

18.10 एम. पी. ओ.

18.11 एच. ए. सी. सी. पी. का चिह्न

आई. एस. आई. (ISI) टेक्सटाइल, केमिकल, जंतुनाशकों, रबड़-प्लास्टिक की बनावटों, सीमेन्ट की धातुओं, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों पर यह मार्क BIS लगाने दिया जाता है।

वुलमार्क मार्का - ऊन की बनावटों और पोशाक को दिया जाता है।

एम. पी. ओ. (MPO - Meat Processing Optimiser) मार्क मांस, मटन की उत्पादों और उससे बनी बनावटों को दिया जाता है।

एच. ए. सी. सी. पी. (HACCP - हेजार्ड एनालिसीस एन्ड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइन्ट) - मार्क प्रक्रिया द्वारा तैयार की गई खाद्य उत्पादनों को BIS दिया जाता है।

ई. सी. ओ. (ECO) – मार्क साबुन, डिटरजन्ट, कागज, लुब्रीकेटिंग ऑइल पैकेजिंग मटीरीयल, रंगरसायन, पाउडर कोटिंग, बैटरी, सौंदर्यप्रसाधन, लकड़ी के बदले उपयोग होती वस्तुएँ, चमड़े और प्लास्टिक की बनावटों को ISI (इन्डियन स्टान्डर्ड ब्यूरो) द्वारा दिया जाता है, जो अब BIS है।

18.12 ई. सी. ओ. का चिह्न

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएँ : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो अंतरराष्ट्रीय संगठन स्टान्डर्डाइजेशन (गुणवत्ता मानक) का कार्य कर रही हैं।

(1) आई. एस. ओ. (ISO – इन्टरनेशनल स्टान्डर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन) इसका मुख्यालय 'जिनीवा' में है, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसके द्वारा ISO-9000 अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का प्रमाण पत्र उत्पादन इकाइयों तथा संस्थाओं को दिया जाता है, जबकि ISO-14000 श्रेणी पर्यावरण व्यवस्थापन पद्धति के लिए इन्टरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है। जो उच्च गुणवत्तावाली ऑफिस या संस्था होने का प्रमाणपत्र है।

18.13 आई. एस. ओ. का चिह्न

(2) कोडेक्स एलीमेन्टरीयस कमीशन (CAC) : खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित अंतरराष्ट्रीय कमीशन है। जिसमें अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने का कार्य होता है। इस कमीशन की स्थापना 1963 में खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा की गई है। इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। दूध की बनावटों, माँस, मछली, खाद्य पदार्थों के उत्पादनों को प्रमाणित करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर की व्यापार नीति-नियम बनाने का कार्य यह संस्था करती है। भारत में ISO के साथ संपर्क का कार्य भारतीय संस्था BIS करती है जबकि CAC के साथ संपर्क में रह कर कार्य भारत की 'डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसीस' करती है।

शिकायत कौन दर्ज कर सकता है और कहाँ : (1) ग्राहक स्वयं (2) केन्द्र, राज्य सरकार अथवा केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकार (3) ग्राहक मंडल जो कंपनी कानून या अन्य प्रवर्तमान कानून के तहत दर्ज हो अथवा (4) एक या उससे अधिक ग्राहकों के प्रतिनिधित्व स्वरूप में कोई ग्राहक, जिसमें सभी ग्राहकों का समान हित हो अथवा (5) कोई माल चीज-वस्तु, सेवा खरीदनेवाले की संमति से उपयोग करनेवाले परिवार का कोई सदस्य माल या सेवा में त्रुटि या कमी से हुए नुकसान के सामने शिकायत कर सकता है।

यदि उत्पादक या विक्रेता ग्राहक की सही, योग्य और स्पष्ट शिकायत के सन्दर्भ में किसी निराकरण के लिए पहल न करे या तैयारी न दिखाए तब भोग बननेवाले ग्राहक या उसके परिवार के सदस्य द्वारा स्थानीय जिला फोरम, राज्य कमीशन, राष्ट्रीय कमीशन में केस करके स्थानीय आपूर्ति कार्यालय, तौलमाप विज्ञान और ग्राहक अदालत, ग्राहक मंडलों, कलेक्टर कार्यालय में शिकायत कर सकता है।

जब माल या सेवा में त्रुटि अथवा कमी लगे तब अथवा करार के अधीन कानून के अधीन जिसका पालन करना जरूरी हो उस कार्य करने के तरीके में अपूर्णता या कमी को सेवा में कमी माना जाता है। इस प्रकार वस्तु की गुणवत्ता, प्रकार और शुद्धता, वजन में कमी के विरुद्ध ग्राहक शिकायत कर सकता है।

कैसे शिकायत कर सकते हैं ?

- शिकायत का प्रार्थना-पत्र सरल, स्पष्ट, सादी भाषा में टाइप करके या हस्त लिखित या ई-मेल से हो सकती है। यदि कोर्ट में वकील के द्वारा केस दर्ज करवाया हो तब सौगन्धनामा करना पड़ता है। याचिका में याचिका कर्ता का नाम, पता, संपर्क नंबर होना चाहिए।
- शिकायत का विस्तार से वर्णन करने के साथ शिकायत का कारण स्पष्ट लिखना।

- आरोप के संदर्भ में अगर कोई भी आधार, सबूत या दस्तावेज हो उसकी प्रमाणित नकल जोड़नी चाहिए। कभी भी मूल सबूत नहीं देना चाहिए।
- बिल, बिल की कच्ची / पक्की रसीद जोड़ना। यदि भुगतान चेक से किया हो तो उसकी जानकारी लिखना।
- विक्रेताओं द्वारा निश्चित की गई शर्तों, सार्वजनिक सूचना की नकल, गारंटी या वारंटी कार्ड, पेम्पफ्लेट्स या प्रोस्पेकटर्स की नकल जोड़ना।
- आवेदन के साथ मांगी गई मुआवजा की रकम के अनुसार नियम से फीस भरने से ग्राहक फोरम में (कोर्ट में) शिकायत दर्ज हो सकती है।
- ग्राहक शिकायत का कारण उद्‌भव होने के दो वर्ष में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- कोई भी ग्राहक संबंधी शिकायत करने या कानून की विशेष जानकारी प्राप्त करने या मार्गदर्शन के लिए गुजरात राज्य की हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800-233-0222 और राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 1800-114000 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और मार्गदर्शन ले सकते हैं।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए :

(1) मूल्य वृद्धि के कारणों की विस्तार से जानकारी दीजिए।

(2) मूल्य नियंत्रण के लिए दो मुख्य उपायों की चर्चा कीजिए।

(3) ग्राहक के अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में (छ मुद्दे) सविस्तार समझाइए।

(4) ग्राहक अदालतों के प्रावधानों की जानकारी दीजिए।

(5) गुणवत्ता मानक की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की जानकारी दीजिए।

(6) ग्राहक को खरीदी करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए?

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दासर लिखिए :

(1) मूल्यवृद्धि आर्थिक विकास का पोषक भी है, अवरोधक भी है-समझाइए।

(2) काला धन मूल्यवृद्धि का एक कारण है, समझाइए।

(3) मूल्यनियंत्रण में सार्वजनिक वितरण प्राणाली की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

(4) ग्राहक का शोषण होने के कारण समझाइए।

(5) ग्राहक सुरक्षा में ग्राहक मंडलों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

(6) शिकायत कौन कर सकता है ? तथा उसमें समाविष्ट विवरण का वर्णन कीजिए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त मे दीजिए :

(1) मूल्यनियंत्रण क्यों अनिवार्य हो गया है?

(2) मूल्यवृद्धि की पूँजी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है ? समझाइए।

(3) मूल्यनिर्धारण तंत्र की मूल्यनियमन में क्या भूमिका है?

(4) ग्राहक किसे कहते हैं?

(5) ISI, ECO, FPO, एगमार्क के विषय में जानकारी दीजिए।

4. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) सरकार द्वारा किस उत्पाद का मूल्य निर्धारित होता है ?

(A) सब्जी (B) चिकित्सा उपचार (C) पेट्रोल-डीजल (D) होटल का खाना

(2) सरकार द्वारा किस आपूर्ति में की गई वृद्धि मूल्यवृद्धि का कारण बनती है ?

(A) चीजवस्तुओं (B) अनाज (C) कच्चा माल (D) वित्त

(3) भविष्य में मूल्य वृद्धि होनेवाली है ऐसी भविष्यवाणी से लोग क्या करते हैं ?

(A) कालाबाजारी (B) नफाखोरी (C) सट्टाखोरी (D) संग्रहखोरी

(4) 15 मार्च का दिन भारत में किस दिन के रूप में मनाया जाता है ?

(A) ग्राहक अधिकार दिवस (B) विश्व ग्राहक दिवस

(C) ग्राहक जागृति दिवस (D) राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस

(5) केन्द्र सरकार ने ग्राहक संबंधी कानून के नियमों के लिए कौन-सी संस्था स्थापित की है ?

(A) ग्राहक तकरार निवारण तंत्र (B) राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

(C) राष्ट्रीय ग्राहक कमीशन (D) ग्राहक सुरक्षा आयोग

(6) ग्राहक सुरक्षा जागृति के लिए कौन-सा सामयिक प्रकाशित किया जाता है ?

(A) इनसाइट (B) ग्राहक जागृति मंच (C) ग्राहक शिक्षण (D) कन्ज्यूमर एक्ट

(7) खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का नियमन करनेवाली स्वैच्छिक संस्था कौन-सी है ?

(A) BIS (B) CAC (C) ISO (D) FPO

प्रवृत्ति

- 'ग्राहक अधिकार दिवस' को विद्यालय में मनाने के स्वरूप में 'ग्राहक सुरक्षा धारा' कितनी उचित है ? विषय पर 'मोक पार्लियामेन्ट' आयोजित कीजिए।
- मूल्य वृद्धि से सम्बन्धित वर्तमान समाचार पत्रों में छपे समाचारों (पिछले तीन माह) की कटिंग एकत्रित करके स्क्रेप बुक बनाकर संक्षिप्त लेख तैयार कीजिए।
- विद्यालय में ग्राहक मंडलों के अधिकारियों का व्याख्यान आयोजित करना और ग्राहक सुरक्षा की प्रदर्शनी आयोजित कीजिए।
- मिलावट और तौलमाप में होनेवाली धोखाधड़ी को दर्शानेवाले कार्यक्रम विद्यालय, मुहल्ले, सोसायटी में आयोजित कीजिए।
- विविध चीज-वस्तुओं और उपकरणों पर लगे मार्कों की छापवाली पैकिंग एकत्रित करवाइए और लेख तैयार कराइए।
- विद्यालय स्तर पर ग्राहक क्लब की रचना करके जाग्रति के कार्यक्रम आयोजित करना।

19 मानव विकास

परिवर्तन संसार का नियम है। एक शिशु धीरे-धीरे वयस्क मानव के रूप में विकसित होता है। मानव आदिमानव अवस्था में से वर्तमान जटिल समाज व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ है। सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का भी विभिन्न स्वरूपों में विकास हुआ है। आर्थिक उत्पादन और उपयोग, आय-व्यय और लाभ-हानि का हिसाब बनाने के लिए शुरू हुआ अर्थशास्त्र पिछले 60-70 वर्षों से भौतिक सुख-सुविधा और मानव विकास का शास्त्र बनने लगा है। विश्व के अनेक देशों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में काफी अंतर पाया जाता है। दो देशों के बीच ही नहीं, अपितु देश के दो क्षेत्रों के बीच भी अंतर पाया जाता है। जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए अन्न, वस्त्र, और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करना जरूरी है। इसके बाद शिक्षण, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि आवश्यकताएँ उत्पन्न होती है। इस प्रकरण में हम मानव विकास अर्थात् क्या ? और मानव विकास अंक में भारत की स्थिति क्या है? आदि बातों का अध्ययन करेंगे।

मानव विकास का अर्थ

इस शब्द का उपयोग प्रसार माध्यमों, राजनेताओं, विविध संस्थाओं और सरकारों द्वारा बार-बार किया जाता है। 'मानव विकास शब्द समूह' मानव क्षमताओं का विस्तरण, पसंदगी की व्यापकता, स्वतंत्रता का विकास और मानव अधिकारों के लागू होने के अर्थ में उपयोग होता है। मानव विकास केवल शिक्षण, स्वास्थ्य, पोषण और संसाधनों के नियंत्रण से कुछ अधिक बातों का संकेत करता है।

'मानव विकास, मनुष्य की आकांक्षाओं और आवश्यक हो ऐसी जीवन निर्वाह की सुविधाओं के विस्तार करने की प्रक्रिया हैं।' - UNDP.

मानव विकास, विकास की दिशा में मानव केन्द्रित अभिगम है। मानव विकास का उद्देश्य प्रत्येक के लिए जीवन की एक समान परिस्थिति खड़ी करना है। जिससे लोग अपनी प्रतिभा के अनुसार सार्थक और सर्जनात्मक जीवन जी सकें। प्रारंभ में आर्थिक विकास को ही मानव विकास के रूप में मापा जाता था। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक, उस देश का मानव विकास अधिक यही मानदंड माना जाता था। जिसके कारण प्रत्येक देश ने अपनी कुल राष्ट्रीय उत्पादन (Gross National Product-GNP) पर ध्यान केन्द्रित किया। आर्थिक विकास होने पर भी लोगों के जीवन स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर भी लोगों के जीवन स्तर या सुख-सुविधा पर व्यापक प्रभाव नहीं हुआ। इस प्रकार मात्र आर्थिक विकास से ही मानव विकास नहीं हो सकता। मात्र आय नहीं, परंतु आय का उपयोग किस तरह करना उस पर मानव विकास निर्भर करता है। मानव विकास के चार स्तंभ हैं : समानता, स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण।

मानव विकास अर्थात्

- मनुष्य को अपनी रुचि, रस, क्षमता, बुद्धि-क्षमता के अनुसार सफल और सर्जनात्मक जीवन, जीने में सहायक बने।
- मानव क्षमताओं का निर्माण हो, समानता प्राप्त हो, विविध क्षेत्रों में पसंदगी का क्षेत्र बढ़े।
- मानव स्वस्थ, स्वास्थ्यवर्धक, स्वस्थ और दीर्घायु हो।
- सूचना और शिक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त करे।
- आर्थिक उपार्जन के अवसर प्राप्त हों।
- ऊँचे जीवन स्तर के लिए प्राकृतिक संसाधन समान रूप से प्राप्त हों।
- गुणवत्तायुक्त जीवनशैली प्राप्त हो।
- गंदगी का योग्य निकाल हो और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थिति सुधरे।
- व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो।
- मानव अधिकारों का उपयोग करे।

ऐसे सभी अवसरों का सर्जन और विस्तार के साथ मानव विकास का संबंध है। इस तरह मात्र आर्थिक नहीं

परंतु मानव जीवन की सुख-शांति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक पक्षों का इसमें समावेश होता है। विकासशील देशों में नवीन सुधार के प्रति उदासीनता या घृणा, निम्न आकांक्षा, निरक्षरता, साहसवृत्ति का अभाव, वहम – अंधश्रद्धा, संकुचित मानसिकता, रूढ़िवादिता, पुराने रीति-रिवाजों के उपरांत भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग आदि के कारण आर्थिक विकास और अंत में सामाजिक विकास नहीं सिद्ध किया जा सका।

मानव विकास अंक (HDI)

मानव विकास अंक की विभावना नोबल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने व्यक्त की थी। इस सन्दर्भ में प्रथम मानव विकास लेख 1990 में प्रकाशित किया गया था। तब से इस क्षेत्र में 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme - UNDP)' द्वारा प्रतिवर्ष मानव विकास लेख प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें विभिन्न देशों के विकास के विभिन्न निर्देशकों के आधार पर एक वैश्विक विश्लेषण पेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रकाशित हुए प्रथम मानव विकास लेख में मानव विकास अंक (Human Development Index-HDI) की संकल्पना प्रस्तुत हुई थी। जिसमें मानव विकास अंक में तीन निर्देशकों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया था : (1) औसत आयु (स्वास्थ्य) (2) शिक्षण संपादन (ज्ञान) और (3) जीवन स्तर (प्रति व्यक्ति आय) इन तीनों निर्देशकों के संयुक्त अंक के आधार पर किसी एक देश के मानव विकास का अंक निश्चत किया जाता था। UNDP द्वारा मानव विकास लेख के लिए मानव विकास अंक (HDI) की गणना के लिए वर्ष 2009 तक उपर के तीन निर्देशकों का उपयोग किया जाता था। इसके लिए 2010 से नीचे दिए अनुसार नवीन विधि का उपयोग किया जाता है।

UNDP का चिह्न

(1) अपेक्षित आयु अंक [(Life Expectancy Index-LEI) (औसत आयु)] : स्वस्थ और दीर्घायु के मापन के लिए बालक के जन्म के समय से वह कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है ऐसी अपेक्षा को अपेक्षित आयु के रूप में पहचाना जाता है। जिसमें अधिकतम 83.6 वर्ष और न्यूनतम 20 वर्ष निर्धारित की गयी है। मानव विकास लेख 2015 में भारत की अपेक्षित आयु अंक 68 वर्ष है।

(2) शिक्षण अंक [(Education Index-EI) (शिक्षण संपादन)] : जिसमें निम्नानुसार दो उपनिर्देशक हैं : (i) विद्यालयी औसत वर्ष (Mean Years of Schooling-MYS) 25 वर्ष के वयस्क व्यक्ति द्वारा विद्यालय में बिताए गए वर्ष। जिसमें उच्चतम 13.3 वर्ष और न्यूनतम शून्य वर्ष निर्धारित किए गए हैं। जिसमें मानव विकास लेख 2015 के अनुसार भारत के विद्यालयी औसत वर्ष 5.4 वर्ष हैं। (ii) अपेक्षित विद्यालयी वर्ष (Expected Years of schooling-EYS) 5 वर्ष का बालक अपने जीवन के कितने वर्ष विद्यालय में बिताता है, वे वर्ष। इसमें उच्चतम 18 वर्ष और न्यूनतम शून्य वर्ष निश्चित किए हैं। जिसमें भारत की अपेक्षित विद्यालयी वर्ष अंक 11.7 वर्ष है।

(3) आय अंक [(Income Index-II) (जीवन स्तर)] : जीवन निर्वाह के मापन के लिए प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पादन (Gross Domestic Product per capita-GDP) को प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय (Gross National Income per capita-GNI) के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। मानव विकास लेख 2015 में भारत की प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय 5497 $ और प्रतिव्यक्ति कुल घरेलू उत्पादन 5238 $ है। प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए उस देश की आय को अमेरिका के चलन-मूल्य में गिना जाता है। जिसे समक्रय शक्ति (Purchasing Power Parity) के रूप में पहचाना जाता है।

इतना जानना अच्छा लगेगा

मानव विकास अंक की गणना करने के लिए प्रत्येक मापदंड का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निश्चित किया जाता है। प्रत्येक अंक की सूत्र के अनुसार गणना की जाती है। जिसके आधार पर मानव विकास अंक मिलता है। जिसका मूल्य 0 से 1 बीच होता है। किसी देश के लिए मानव विकास अंक अधिकतम 1 मूल्य तक पहुँचने का अंतर सूचित करता है। यह अंतर देश–देश के बीच मानव विकास की तुलना करने में उपयोगी सिद्ध होता है। जिसके आधार पर किसी देश के विकास की गति किस दिशा में है, अन्य देशों की तुलना में कितने आगे–पीछे है? यह जान सकते हैं।

मानव विकास रिपोर्ट

UNDP द्वारा वर्ष 1990 से प्रति वर्ष मानव विकास लेख (Human Development Report-HDR) प्रस्तुत किया जाता है। मानव विकास लेख वर्ष 2015 में समाविष्ट 188 देशों को उनके मानव विकास अंक - HDI मूल्य के आधार पर नीचे की सारणी के अनुसार चार विभागों में विभाजित किया गया है। जिसमें नॉर्वे (0.944) प्रथम स्थान पर है !

दूसरे क्रम पर आस्ट्रेलिया (0.935) और स्वीटजरलैण्ड (0.930) तीसरे क्रम पर है। एशियाई देश सिंगापुर (0.912) ग्यारहवें क्रम पर है। भारत 0.609 मानव विकास अंक के साथ 188 देशों में 130 वें स्थान पर है। इसलिए वह मध्यम मानव विकासवाले देशों की श्रेणी में शामिल है। इस लेख में सबसे नीचे के 188 वें क्रम पर नाईजर (0.348) है।

मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास अंक के आधार पर देशों का वर्गीकरण

क्रम	मानव विकासवाले देश	विभाजन का क्रम	मानव विकास अंक (HDI)	मुख्य देश
1.	उच्चतम मानव विकास	1 से 49	0.802 से अधिक	नॉर्वे, आस्ट्रेलिया, स्विटजरलैण्ड, डेन्मार्क, नेदरलैण्ड, अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस
2.	उच्च मानव विकास	50 से 105	0.700 से 0.798	रशिया, मलेशिया, ईरान, श्रीलंका, मेक्सिको, ब्राजील चीन, थाईलैण्ड, जमैका
3.	मध्यम मानव विकास	106 से 143	0.555 से 0.698	इन्डोनेशिया, फिलिपाइन्स, दक्षिण अफ्रीका, इराक, भारत
4.	निम्न मानव विकास	144 से 188	0.550 से नीचे	केन्या, पाकिस्तान, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे नाईजर

भारत का मानव विकास अंक वर्ष 1990 में 0.428, वर्ष 2000 में 0.496, वर्ष 2010 में 0.586, वर्ष 2014 में 0.604 था और वर्ष 2015 में 0.609 हुआ है। इस प्रकार क्रमशः सुधार हो रहा है।

क्रम	73	90	104	130	132
देश	श्रीलंका	चीन	मालदीव	भारत	भूटान
HDI	0.759	0.727	0.706	0.609	0.605
मानव विकास रिपोर्ट 2015 में भारत और पड़ोसी देशों का स्थान					
क्रम	142	145	147	148	171
देश	बांग्लादेश	नेपाल	पाकिस्तान	म्यानमार	अफगानिस्तान
HDI	0.570	0.548	0.538	0.536	0.465

मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 2015 में भारत और पड़ोसी देशों का स्थान

भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका, चीन, मालदीव की स्थिति भारत से अधिक अच्छी है और ये मानव विकास अंक में भारत से ऊपर के क्रम पर हैं।

भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यानमार और अफगानिस्तान ये देश भारत से नीचे के क्रम पर हैं।

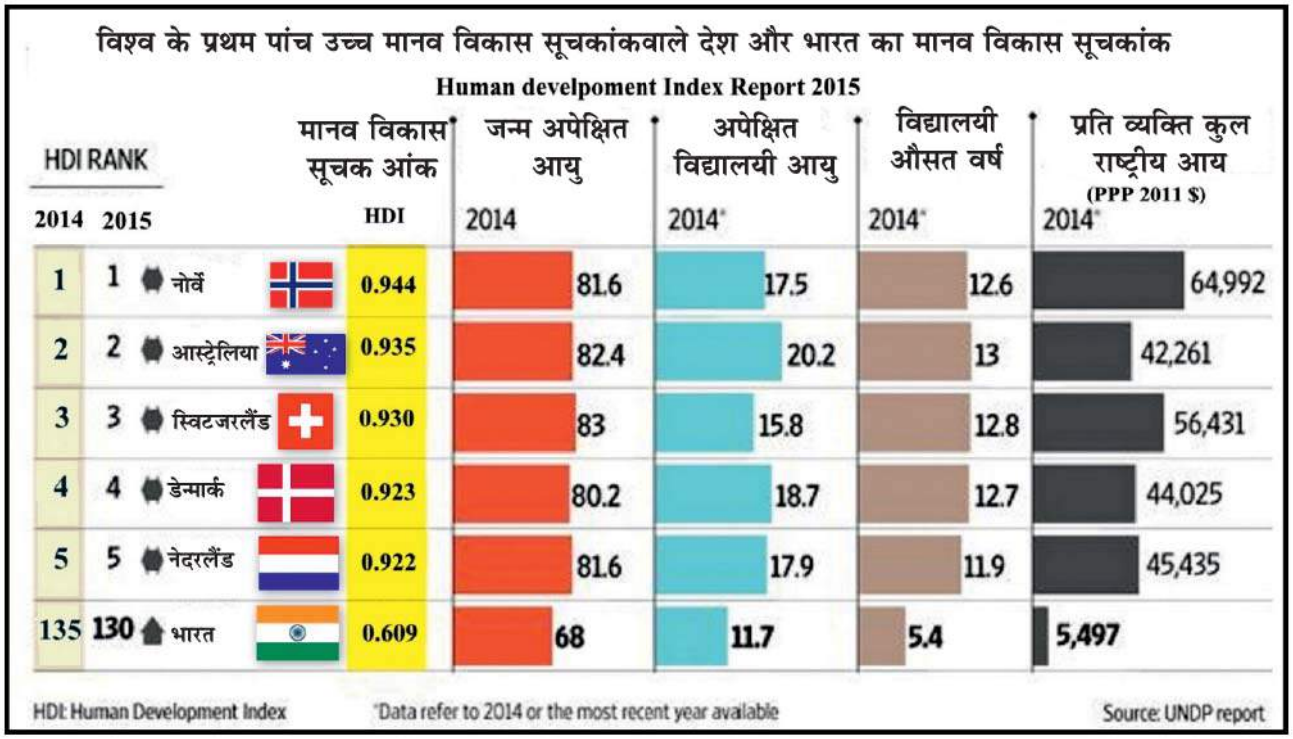

19.2 भारत और विश्व के प्रथम पाँच देशों के मानव विकास अंक : निर्देशकों की तुलना

मानव विकास के सक्षम चुनौतियाँ :

मानव विकास रिपोर्ट में प्रथम पाँच देशों की तुलना करने पर पता चलता है कि भारत को सभी निर्देशक स्वास्थ्य, शिक्षण और आय (प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय) के क्षेत्र में अनेक मंज़िल तय करना बाकी है। मानव विकास का देश के निर्जीव भौतिक साधनों के साथ नहीं, अपितु सजीव मानव संपदा के विकास के साथ सीधा संबंध है।

मानव विकास अंक में मानव विकास की प्रगति में बाधक जो चुनौतियाँ दर्शाई गई हैं, जिन पर विशेष बल दिया जा रहा है उनमें (1) स्वास्थ्य (2) लैंगिक समानता (स्त्री-पुरुष समानता) (3) महिला सशक्तिकरण हैं।

स्वास्थ्य (आरोग्य)

स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक और कीमती पूँजी है। व्यक्ति का पारिवारिक, सामाजिक जीवन उत्तम बने उसके लिए सबसे पहले उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे यह अधिक महत्त्वपूर्ण है। भारत सहित विकासशील देशों ने अपनी स्वास्थ्य नीतियों के अन्तर्गत जनसंख्या वृद्धि, सामान्य रोग, कुपोषण, अपगंता, एड्स जैसे संक्रमित रोग, मानसिक रोग और उससे संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए खर्च मात्र जीवन की गुणवता बढ़ाने के लिए हैं ऐसा नहीं, परंतु मानव संसाधन विकास का एक निवेश है। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हुई है। बाल टीकाकरण कार्यक्रम ओ. पी. वी. (पोलियो के लिए), बी. सी. जी. (क्षय के लिए) हीपेटाईटीस-बी (जहरी - पीलिया), डी. पी. टी. (डिप्थेरीया - काली खांसी के लिए टीका), खसरा, एम. एम. आर. और टाइफाइड विरोधी टीका बालकों को देने से बाल स्वास्थ्य और बाल मृत्यु दर में काफी सुधार लाया जा सका है। आयोडिन, विटामिन और लौहतत्त्व की कमी के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। हम प्लेग, चेचक, रक्तपित और पोलियो निर्मूल कर सके हैं। खसरा, छोटी चेचक, मलेरिया, डेंग्यु, पोलियो, कोढ़, क्षय, मधुमेह (डायाबिटीस), कैन्सर, हृदयरोग आदि पर नियंत्रण पाया जा सका है। परिणाम स्वरूप मनुष्य लंबा, तंदुरस्त और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जन्मदर, मृत्युदर, बाल मृत्युदर में कमी दर्ज हुई है। औसत आयु बढ़ी है इसके उपरांत भारत में कई राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर घटाने के लिए ऊँची जन्म दर घटाना यह स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण लक्ष्य बन रहा है। जल जन्य रोग, श्वसन रोग और कुपोषण ने जनसंख्या के लिए समस्या उत्पन्न की है। महिलाओं, बालकों और गरीब लोगों के लिए पोषक तत्त्वों की कमी, मूलभूत खनिजों, कुछ विटामिन और प्रोटीन की कमी स्त्रियों और बालकों के अवरुद्ध विकास के लिए मुख्य जिम्मेदार हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण और जहरी पदार्थों का उद्‌भव दैनिक जीवन में नई चुनौती है। बढ़ते शहरीकरण ने घनी बस्तियों में नई स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समस्या उत्पन्न की है। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पहले की स्वास्थ्य कार्य सूचियों में विशेष ध्यान और परिवर्तन करना अनिवार्य हुआ है।

लैंगिक समानता (स्त्री-पुरुष समानता)

भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता और न्याय का वचन देता है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 48.46% स्त्रियाँ और 51.54 % पुरुष हैं। इस दृष्टि से देखें तो भारत ही नहीं, अपितु विश्व के किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास में मानव संसाधन के रूप में स्त्रियों की भूमिका अग्रगण्य है। परंतु स्त्री-पुरुष की जैविक भिन्नता के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्त्रियों की देखरेख और अपेक्षाएँ अलग होने के कारण दोनों के विकास पथ भी अलग रहे हैं। आज भी कई महिलाएँ घरकाम करती हैं, रसोई में खाना बनाती हैं, बालकों की देखभाल करती हैं, उनका आर्थिक उपार्जन या राष्ट्रीय आय में कोई हिस्सा नहीं माना जाता। स्त्रियों को परिवार में कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है ! स्वास्थ्य की अपूर्ण देखभाल तथा शिक्षण और आर्थिक अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाता है। पुत्र-पुत्री के वस्त्र में, खेल में, अध्ययन के अवसरों में, भोजन में, घूमने-फिरने में आचार-विचार और व्यवहार में पुत्री को विभिन्न भेदभाव सहन करने पड़ते हैं। महिलाओं में साक्षरता का निम्न प्रमाण होने से स्त्रियाँ बाल विवाह, पर्दाप्रथा, दहेजप्रथा तथा अनेक सामाजिक कुरिवाजों का भोग बनती रही हैं। समाज में भ्रूणहत्या, नीचा आदरभाव, पुत्रजन्म की चाहत, सामाजिक परंपराएँ और लैंगिक भेदभाव के कारण स्त्रियाँ को ही अन्याय का भोग बनना पड़ता है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में अवसर तथा निर्णय

भारत में स्त्री-पुरुष समानता का साँख्यिकीय विश्लेषण

मानव विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार	मानव विकास अंक HDI	जन्म समय अपेक्षित आयु 68 वर्ष	अपेक्षित विद्यालयी वर्ष 11.7 वर्ष	विद्यालयी औसत वर्ष 5.4 वर्ष	प्रति व्यक्ति आय 5497 $	श्रम शक्ति में भागीदारी (15 वर्ष से अधिक आयु)	संसद में प्रति-निधित्व प्रमाण (2014)	युवा साक्षरता दर (15-24 वर्ष)
स्त्री	0.525	69.5	11.3	3.6	2,116	27.0	12.2	74.4
पुरुष	0.661	66.6	11.8	7.2	8,656	79.9	77.8	88.4

प्रक्रिया में असमानता दिखाई देती है। भारत में अधिकांश राज्यों में उच्च पद, ऊँची आय, अधिक लाभ, अधिक वेतन मिलता हो ऐसे कार्योंवाले उद्योग और नौकरियों में पुरुषों का वर्चस्व है। संसद में महिला सांसदों का अनुपात मात्र 12.2% जितना ही है। संसद, विधानसभा, वरिष्ठ अधिकारी, मैनेजर, कंपनी डायरेक्टर, व्यवसायिक और टेक्निकल क्षेत्र में महिलाओं का निम्न प्रमाण और स्त्री-पुरुष में स्पष्ट रूप से भेदभाव पाया जाता है।

महिला सशक्तिकरण

स्त्रियाँ समग्र विकास की प्रक्रिया का केन्द्रबिन्दु हैं। किसी भी विकासशील राष्ट्र में आर्थिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। एक स्त्री शिक्षित बने तो एक घर, एक समाज और अंत में तो एक राष्ट्र सशक्त बनता है। महत्त्वपूर्ण है कि हमारे भारत देश ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू किया है। भारत में प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में समय-समय पर महिलाओं ने शोभा बढ़ाई है। टैक्सी चलाने से लेकर विमान के पायलट तक का सफर महिलाएँ कर रही हैं। समाज सेवा, साहित्य, पत्रकारिता, खेल जगत, शिक्षण और अभिनय क्षेत्र में काम करती महिलाओं को हम टीवी और न्यूज चेनलों पर देखते ही हैं। मात्र कृषि में श्रम कार्य करने के बदले व्यापार-वाणिज्य, संचार तथा व्यक्तिगत विभिन्न नौकरियों में वर्तमान समय में शिक्षण प्रशिक्षण, कुशलता के कारण स्त्री-रोजगार का क्षेत्र बढ़ रहा है। इसके उपरांत भी देश की आधी जनसंख्या के लिए विकास की अनेक संभावनाएँ हैं, जिन्हें फैलाने में हमें अभी बहुत प्रयास करना है।

महिला कल्याण योजनाएँ

भारत में महिलाओं को समान स्तर, शिक्षण, सुरक्षा और मूलभूत स्वतंत्रता प्राप्त हो इसके लिए 1980 से महिलाओं को एक अलग लक्ष्य समूह मानकर महिला विकास संबंधित अनेक योजनाएँ, कार्यक्रम लागू किए गए हैं। 1999 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। इसके उपरांत महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीयनीति 2001 के अनुसार महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सामर्थ्य निर्माण, रोजगार, आर्थिक उपार्जन, कल्याण तथा सहायक सेवाओं और लैंगिक संवेदनशीलता के क्षेत्र में विविध कार्य किए जाते हैं। युनाइटेड नेशन्स ने 1975 के वर्ष को 'महिलावर्ष' और 1975-1985 के दशक को महिला दशक के रूप में घोषित किया तथा 2002 के वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। परिवार की संपत्ति में महिलाओं को समान हिस्सा मिले इसके लिए कानून में सुधार किया गया।

19.3 अभयम् हेल्पलाइन लोगो

महिला शोषण को रोकने के प्रावधान

महिला सुरक्षा के अंतर्गत विविध प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला तथा अपने विकास के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं को मात्र एक ही कॉल से मदद मिलती रहे, इसके लिए 181 अभयम् महिला हेल्पलाइन शुरू करके उसे समग्र गुजरात राज्य में लागू किया गया है। गरीब महिलाएँ आसानी से सहायता प्राप्त कर सकें इसके लिए महिला अदालतों की स्थापना और महिलाओं को सामाजिक, कानूनी और रोजगार संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए महिला कल्याण केन्द्रों की रचना की गई है। महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और लैंगिक शोषण के विरुद्ध रक्षण के लिए

सरकार जागृत हुई हैं। सरकारी कार्यालयों में, निजी व्यवसाय और गृह नौकर के रूप में कार्य कर रही महिलाओं की लैंगिक सुरक्षा हो और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें इसके लिए संसद ने कानून पास करके महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है।

महिला समानता संबंधित गुजरात सरकार की विविध योजनाएँ

महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रगति के लिए गुजरात सरकार ने वर्ष 2001 मे महिला और बाल विकास विभाग की रचना की है। गुजरात सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए गरीब एवं सामान्य परिवारों की तथा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के उत्कर्ष के लिए मुख्य तीन पहलू महिलाओं का शैक्षणिक सशक्तिकरण, महिलास्वास्थ्य और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर महिला केन्द्रित जेन्डर बजट में विविध योजनाएँ लागू की हैं :

- गुजरात में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन देने के आशय से विद्यालय प्रवेशोत्सव और कन्या शिक्षा रथयात्रा की शुरुआत की गई, जिसके कारण विद्यालयों में 100% नामांकन और महिला साक्षरता दर में वृद्धि दिखाई दी है।
- राज्य में 35 % से कम स्त्री साक्षरता दर वाले गाँवों और शहरी क्षेत्रों में बसनेवाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीनेवाले परिवारों की पुत्रियों को प्राथमिक विद्यालय में और माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेते समय 'विद्यालक्षी बॉन्ड' दिए जाते हैं।
- 'सरस्वती साधना योजना' के अन्तर्गत प्रति वर्ष डेढ़ लाख कन्याओं को बिना मूल्य साइकिल दी जाती है। गाँव-घर से दूर अध्ययन के लिए जानेवाली कन्याओं को एस. टी. बस में मुफ्त मुसाफिरी की सुविधा दी जाती है।
- किशोरियों के लिए पौष्टिक आहार तथा उनके कौशल विकास के लिए 'सबला योजना' लागू की गई है।
- गुजरात सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों मे 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। इसी तरह स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण था, उसे बढ़ाकर 50% किया गया है।
- श्रमजीवियों और निराधार वृद्धों को उम्र के अंतिम पड़ाव में जीवननिर्वाह के लिए पेन्शन मिले और उनका भविष्य सुरक्षित बने इसके लिए 'राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना' लागू की गई है। इसके उपरांत, निराधार विधवा महिलाओं को दूसरे पर आधारित जीवन जीने के लिए लाचार न बनना पड़े इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु सखीमंडल द्वारा 'सरकार मिशन मंगलम् योजना' के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है।
- महिला स्वास्थ्य के लिए ई-ममता कार्यक्रम में मोबाइल टेक्नोलॉजी द्वारा सगर्भा माता को दर्ज करके उसे ममता कार्ड देकर शिशु और प्रसूति संबंधित मृत्यु दर घटाने की पहल की गई है तथा उसकी नियमित स्वास्थ्य जाँच करके उपचार तथा बालक के जन्म के बाद टीकाकरण कार्यक्रम द्वारा माता एवं बालक की तंदुरुस्ती का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है।
- 'बेटी बचाओ' अभियान द्वारा लिंगभेद (Gender Discrimination) समाप्ति हेतु अभियान चलाकर 'बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ' द्वारा स्त्री सशक्तिकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- अनुसूचित जाति और जनजाति के सामान्य परिवारों की महिलाओं को 'चिरंजीवी योजना' के अन्तर्गत प्रसूति, दवाइयों, लेबोरटरी जाँच, ऑपरेशन आदि सेवा बिनामूल्य देने का प्रावधान किया गया है।

गुजरात सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु विविधलक्षी कल्याण संबंधी योजनाएँ चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का व्यापक विस्तार करके हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में रही चुनौतियों का सामना कर सकेंगे।

मानव विकास के संबंध में अपने परिवार, मुहल्ले या गाँव में नजर डालें तो हमें पता चलता है कि कई सगर्भा माताओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है। कम वजनवाले बालक का जन्म होता है, बालक कुपोषण वाला होता है, बालक आंगनवाड़ी या विद्यालय में नहीं जाता है, विद्यालय में बालक को पढ़ना-लिखना नहीं आता है, अध्ययन बीच में ही छोड़ देता है, लड़कियों ने उच्च अध्ययन नहीं प्राप्त किया है, युवाओं को रोजगारी नहीं मिलती है, दुर्घटना के कारण किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, कोई गंभीर बीमारी का भोग बनता है, इन सभी बातों का प्रभाव हमारे देश के मानव विकास पर पड़ता है। इस कारण मात्र सरकार ही नहीं, परंतु देश का प्रत्येक नागरिक मानव की दिशा में सक्रिय बने तो आनेवाले समय में हम भी ऊँचे मानव विकास वाले देशों में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।

इतना जानना अच्छा लगेगा

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा 14 दिसम्बर 2015 को मानव विकास रिपोर्ट 2015 'मानव विकास हेतु कार्य' शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। इस लेख के अनुसार मानव विकास सूचकांक के साथ-साथ नीचे के संकेतकों का भी समावेश किया गया था।

(1) लैंगिक विकास सूचकांक (Gender development Index), (2) बाल-युवा स्वास्थ्य (Health Children and Youth), (3) वयस्क स्वास्थ्य और स्वास्थ्य खर्च (Adult Health and Health Expenditure), (4) शिक्षण (Education), (5) संसाधनों का वितरण और नियंत्रण (Command Over and Allocation of Resources), (6) सामाजिक सशक्तिकरण (Social Competencies), (7) व्यक्तिगत असुरक्षा (Personal Insecurity), (8) अंतरराष्ट्रीय ऐक्य (International Integration), (9) पर्यावरण (Environment), (10) जनसंख्या की दिशा (Population Trends), (11) पूरक निर्देशक सुखकारी (Supplementary Indicators: Perceptions of Well-being). यह रिपोर्ट UNDP वेबसाइट http:/ /hdr.undp.org/en/2015-report पर देखी जा सकती है। प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी के अलावा हिन्दी और अन्य भाषा में लेख घोषित किए जाते हैं। भारत में उसकी साईट है। http:/ /www.in.undp.org/

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए :

(1) मानव विकास अंक की गणना किस तरह की जाती है।

(2) मानव विकास के समक्ष चुनौतियाँ, समझाइए।

(3) भारत में महिलाओं के साथ किस प्रकार का भेदभाव पाया जाता है।

(4) भारत में स्वास्थ्य सुधार के लिए हुए कार्यों का वर्णन कीजिए।

(5) गुजरात सरकार ने महिला समानता के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ लागू की हैं ? समझाइए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दासर लिखिए :

(1) मानव विकास का मानव जीवन की किन-किन बातों के साथ संबंध है?

(2) भारत सरकार की महिला कल्याणकारी योजना को क्रम से समझाइए।

(3) 'अभयम्' योजना क्या है ? समझाइए।

(4) हमारे आस-पास में पाई जानेवाली कौन-कौन सी बातें देश के मानव विकास अंक को प्रभावित करती हैं?

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए :

(1) मानव विकास अर्थात् क्या?

(2) मानव विकास अंक को मापने की नई प्रविधि में किन-किन निर्देशकों का उपयोग होता है?

(3) मानव विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत का मानव विकास अंक कितना और किस क्रम पर है ?

(4) भारत के कौन-कौन से पड़ोसी देशों का मानव विकास अंक भारत से अधिक है?

(5) बाल टीकाकरण कार्यक्रम में बालक को कौन-कौन से टीके दिए जाते हैं?

4. प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए :

(1) मानव विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कौन - सी संस्था कार्य करती है?

(A) UNESCO (B) UNICEF (C) FAO (D) UNDP

(2) निम्नलिखित देशों में सबसे उच्च मानव विकासवाला देश कौन-सा है?

(A) भारत (B) नाईजर (C) नोर्वे (D) ब्राजील

(3) निम्नलिखित देशों को मानव विकास अंक में उतरते क्रम में दर्शानेवाला सही जोड़ा कौन-सा है?

(A) भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान (B) श्रीलंका, भूटान, भारत, नेपाल

(C) श्रीलंका, भारत, भूटान, नेपाल (D) श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान

(4) भारत में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में किस वर्ष को मनाया गया है?

(A) 1975 (B) 2002 (C) 1985 (D) 1999

(5) भारतीय मूल के किस अर्थशास्त्री को नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ है?

(A) महबूब उल हक (B) अमर्त्य सेन (C) रवीन्द्रनाथ टेगौर (D) सी. वी. रामन

प्रवृत्ति

- मानव विकास रिपोर्ट संबंधी समाचारपत्रों में आए समाचार प्राप्त करके चर्चा कीजिए।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वेबसाइट http:/ /hdr.undp.org/en/-2015report से विविध देशों के मानव विकास अंक के विषय में जानकारी प्राप्त करें।
- अपने क्षेत्र के तहसील और जिले की स्त्री साक्षरता दर के आंकड़े प्राप्त कीजिए।
- भारत के विविध क्षेत्रों में अग्रगणीय रही महिलाओं की जानकारी का एलबल तैयार कीजिए।

20 भारत की सामाजिक समस्याएँ और चुनौतियाँ

भारत एक विशाल जनसंख्यावाला और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है । जहाँ विविध धर्म, जाति, भाषा, संस्कृतिवाले लोग बसते हैं । भारत की संस्कृति समन्वयकारी और सर्वधर्म समभाववाली विशेषता रखती है ।

परंपरागत समाज में से आधुनिक समाज की तरफ गति करते भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन आए हैं । इन परिवर्तनों के साथ समाज में कुछ समस्याओं का उद्‌भव हुआ । जिनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों की समस्याओं का समावेश होता है । इस प्रकरण में हम दो सामाजिक समस्यायों (1) सांप्रदायिकता और (2) जातिवाद की चर्चा करेंगे ।

देश को स्वतंत्रता दिलाने में विविध धर्म, जाति, भाषावाले लोगों ने साथ मिलकर प्रयत्न किया और उनके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप हमने अमूल्य स्वतंत्रता प्राप्त की है । स्वतंत्रता आंदोलन के दरम्यान पाया जानेवाला सद्‌भाव, एकता, सहिष्णुता आदि में स्वतंत्रता के बाद बाधा आई हो, ऐसा लगता है । जातिगत झगड़े, सांप्रदायिक संघर्ष, प्रादेशिक हिंसा, आदि देश में शांति और विकास के लिए बाधक, नकारात्मक कारक है । जिसके कारण देश के लिए सामाजिक सद्‌भाव असांप्रदायिकता, लोकतांत्रिक मूल्य राष्ट्रीय एकता के सामने गंभीर चुनौती उत्पन्न होती है ।

सांप्रदायिकता

धर्म यह श्रद्धा और आस्था का विषय है । अधिकांश मानव किसी न किसी धर्म या सम्प्रदाय को मानते हैं । भारत एक असांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष देश है इसलिए संकुचित सांप्रदायिकता का आचरण संविधान की भावना के विरुद्ध है । जब कोई धार्मिक समूह या समुदाय किसी कारण दूसरे धर्म या संप्रदाय का विरोध करता है तब सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है। किसी भी धर्म या संप्रदाय के सदस्य अन्य धर्मों की तुलना में अपने धर्म या संप्रदाय को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करें और अपने धार्मिक हितों को अधिक महत्त्व देते हैं तब वे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से नहीं, परंतु सांप्रदायिक रूप से देखते हैं और ऐसी विचारधारा समाज को विभाजन की तरफ ले जाती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी हम सांप्रदायिकता की समस्या पर संपूर्ण रूप से नियन्त्रण नहीं ला सके । संकुचित सांप्रदायिकता कई तरह से नुकसानदायक है। उससे देश में सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है। व्यक्ति अपने ही भाइयों को अपना विरोधी मानता है। उससे समाज में मतभेद और घृणा का वातावरण उत्पन्न होता है । सांप्रदायिक तनाव से सांप्रदायिक हिंसा या झगड़े होते हैं । ये सभी बातें लोकतांत्रिक विचारधारा, राष्ट्रीय विकास के लिए बाधक हैं ।

सांप्रदायिकता के विरूद्ध संघर्ष

हम सब जानते हैं कि सांप्रदायिकता व्यक्ति, समाज और देश के विकास में अवरोधक है । सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कुछ उपाय अमल में लेने चाहिए :

- सर्व प्रथम नागरिक और सरकार को सांप्रदायिक तत्त्वों का सख्तीपूर्वक सामना करना पड़ेगा और उसे दूर करने के प्रयत्न करने पड़ेंगे ।
- सांप्रदायिकता दूर करने के प्रभावशाली कार्य शिक्षा कर सकती है । हमारे शिक्षण और पाठ्यक्रमों में सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश करना चाहिए तथा विद्यालयों में आयोजित होनेवाली सर्वधर्म सभाएँ, सामाजिक उत्सव आदि प्रवृत्तियों से सभी धर्मों के प्रति बालकों में आदरभाव विकसित होता है ।

- सांप्रदायिक विचार आधारित राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं देनी चाहिए। चुनाव के लिए विशेष आचार संहिता और उसका अमल करना और करवाना चाहिए।
- रेडियो, टी.वी., सिनेमा सामान्य नागरिक तक पहुंचने के श्रेष्ठ दृश्य-श्राव्य माध्यम हैं । उन्हें सर्वधर्म समभाव, सहिष्णुता का प्रचार करना चाहिए। राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिले ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करने चाहिए।
- धार्मिक मुखिया और राजनेताओं के साथ मिलकर देश के विकास के लिए सांप्रदायिकता को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए।
- सांप्रदायिकता दूर करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। युवाओं को सांप्रदायिकता के स्थान पर असांप्रदाकिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो ऐसे प्रयत्न सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में करने चाहिए।
- इस प्रकार सरकार ही नहीं, अपितु समाज को भी विशिष्ट प्रयत्न करने चाहिए।
- धर्म, जाति, प्रांत, भाषा के ऊपर राष्ट्रहित, राष्ट्र गौरव है ऐसी समझ लोगों को एकसूत्र में बाँधती है और वह राष्ट्रवाद और राष्ट्र एकता का पोषण करती है।

जातिवाद

भारत की सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक स्तर रचना के स्वरूप में जातियों का अस्तित्व सदियों से रहा है, इस प्रकार भारत की सामाजिक रचना जाति पर आधारित है ऐसा कहा जा सकता है। आज जो जाति व्यवस्था की प्रारंभिक संकल्पना है, प्राचीन समय में उससे भिन्न थी । समाज की आवश्यकताओं की परिपूर्ति और श्रम विभाजन के आधार रूप कार्य पर आधारित जातियाँ थीं। प्रारंभिक परिकल्पना के अनुसार वह चार व्यवसायों पर आधारित वर्ण व्यवस्था (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) थी। जाति आधारित निवास व्यवस्था और व्यवसाय थे। व्यवसाय के आधार पर आय के स्रोत रहते समाज में आय वर्ग के आधार पर कुछ जातियाँ कम आय प्राप्त करती थीं जिससे समाज के अन्य जातिसमूहों की तुलना में आर्थिक स्थिति में कमजोर थीं।

भारत में अंग्रेजों के शासन काल से पहले के समय में कुछ जातियाँ अन्य समूहों से दूर, आसानी से पहुँचा न जा सके ऐसे दुर्गम जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में अलग निवास करती थीं। इन जातियों का सामाजिक जीवन और साँस्कृतिक जीवन अन्य प्रजा समूह से अलग था। उनकी अपनी महत्त्वपूर्ण संस्कृति-बोली थी। उन जातियों के लोग भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी अलग निवास, एकाकी जीवन आदि के कारण विकास नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी कमजोर रही।

अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों के हितों के रक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधाना : भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों के रक्षण, कल्याण और विकास के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। ये संवैधानिक प्रावधान उनके हितों की रक्षा, सामाजिक असमानता का निवारण तथा अनेक कल्याण और विकास को सुनिश्चित करते हैं।

- भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है।
- भारत के संविधान में बताए अनुसार जाति, समूह, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और समान दर्जा प्राप्त हो इसका भी संविधान में उल्लेख है।
- इसके उपरांत राज्यों को ऐसा भी अधिकार दिया गया है, कि उसे कल्याणकारी राज्य का दायित्व निभाने तथा कमजोर और पिछड़े वर्गों की रक्षा करने हेतु कुछ मूलभूत अधिकारों पर भी संविधान में रहकर योग्य प्रतिबंध लगा सकता है।
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है।
- लघुमतियों, कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों को संवैधानिक अधिकार दिए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि उन्हें राष्ट्र में समान अवसर, न्याय और स्थान देना।
- राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना में भी इन सभी वर्गों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है।

अल्पसंख्यक

धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी प्रदेश अथवा प्रदेशों में बहुसंख्यक न हों ऐसे लोगों के समूह को अल्पसंख्यक कहा जाता है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक के लिए स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। देश या प्रदेश की जनसंख्या में आधे या उससे कम जनसंख्यावाले लोगों के समूह को अल्पसंख्यक कहते है। अल्पसंख्यकों की विभावना किसी भी धर्म, भाषा या प्रदेश तक मर्यादित नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की तरह ही राज्य स्तर पर स्थानीय अथवा प्रादेशिक अल्पसंख्यकों को दर्ज करना पड़े, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की संकल्पना राज्य स्तर की संकल्पना से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए कोई भी लोक समुदाय किसी प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुसंख्यक हो तो भी राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक हो सके, तथा उससे अलग यदि उस राज्य में अल्पसंख्यक हो ऐसा वर्ग राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक हो सकता है।

भारत में अल्पसंख्यकों की बहुसंख्यकों की तरह ही अधिकार समान स्तर पर मिलते हैं। अल्पसंख्यकों की संस्कृति, धर्म, लिपि तथा भाषाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए संविधान में कुछ विशेष व्यवस्थाएँ की गयी हैं। जैसे कि,

- अल्पसंख्यकों के हितों और कल्याण तथा विकास के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रचना की गयी है ।
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अल्पसंख्यकों को विश्वास देता है, कि वे अपने धर्म के प्रचार, प्रसार और प्रोत्साहन के लिए प्रयास कर सकते हैं। कानून बलपूर्वक, धर्मान्तरण को मान्य नहीं रखता है। सरकारी सहायता लेनेवाली किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। सभी धार्मिक समुदायों को उनके धर्म के व्यवस्थापन और धार्मिक कार्य हेतु संपत्ति प्राप्त करने तथा उसकी देखभाल करने का अधिकार है।
- सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि और संस्कृति का रक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है। सरकारी सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में धर्म, वंश, जाति, वर्ण या भाषा के आधार पर किसी को भी प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता। समाज के सभी वर्गों को अपनी पसंद की भाषा, लिपि बनाए रखने, विकास करने और इसके लिए शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। भारतीय अल्पसंख्यकों के बालकों को प्राथमिक शिक्षण मातृभाषा में मिले ऐसी सुवधिा राज्य सरकार देती है।

अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कोई भी स्पष्ट व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसका विशेष उल्लेख किया गया है । जातिवाद के कारण कुछ जातियों का शोषण रोकने, उनके प्रति अन्याय कम करने, समानता और भातृत्व भाव से उनमें रही संकुचितता दूर करने और उनका सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास हो इस उद्देश्य से भारतीय संविधान में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। संविधान की कलम 341 के अनुसार अनुसूची में समाविष्ट जाति को अनुसूचित जातियों के रूप में पहचाना जाता है ।

जबकि संविधान की कलम 342 की अनुसूची में समाविष्ट जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में पहचाना जाता है। अनुसूचित जनजातियों में ऐसे लोगों का समावेश किया गया है जो अधिकांशत: जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में निवास करते हैं । एक दूसरों से अलग सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन ये जातियाँ जीती हैं। सामान्य लोगों से आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पीछे हैं।

संवैधानिक प्रावधान

हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो निम्नानुसार है :

(अ) सामान्य प्रावधान

(1) संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार : संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार केवल धर्म, जाति, समूह, जन्म स्थान या उनमें से किसी भी बात के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कलम के द्वारा ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को इन बातों के तहत (क) दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेन्ट, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश प्राप्त करने (ख) कुएँ, तालाब, स्नान के घाट, मार्ग, संपूर्ण अथवा अंशत: राज्य की ओर से चलते अथवा सार्वजनिक जनता के उपयोग के लिए अर्पण किए गए स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार की अयोग्यता, जवाबदारी, नियंत्रण अथवा शर्तें नहीं लादी जा सकती है।

(2) आर्टिकल 29 के अनुसार : (क) भारत के प्रदेश अथवा उसके किसी भी भाग में निवास करनेवाले किसी भी नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या अपनी कही जा सके ऐसी संस्कृति हो तो उसे बनाए रखने का अधिकार है। (ख) केवल धर्म, जाति, भाषा या उसके किसी भी आधार पर राज्य की ओर से चलनेवाली अथवा वित्तीय सहायता से चलनेवाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में नागरिक को प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता।

(ब) विशेष प्रावधान

(1) राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों की कलम 46 के अनुसार राज्य के पिछड़े विभागों और विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षण विषयक और आर्थिक लाभ मिले इसके लिए राज्य विशेष महत्त्व देगा और सामाजिक अन्याय तथा किसी भी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा।

(2) आर्टिकल 16, (4) के अनुसार राज्य की नौकरियों में कुछ वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ ऐसा राज्यों को लगे तो उनके लिए स्थान अथवा नियुक्ति आरक्षित रखने की व्यवस्था करने का अधिकार राज्य को होगा।

(3) आर्टिकल 330, 332, 324 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राज्य की विधानसभा तथा केन्द्र की लोकसभा में उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए हैं। केन्द्र में राज्यसभा में किसी भी बैठक को आरक्षित नहीं रखा गया है ।

(4) ग्रामपंचायत और नगरपालिका में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए हैं।

इसके उपरांत भिन्न-भिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन छात्रालयों की रचना, छात्रवृत्ति की योजना और विविध प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कक्षाएँ शुरू की गई हैं । शैक्षणिक विकास हेतु आश्रम विद्यालय शुरू किए गए हैं । सरकारी नौकरियों में इन जातियों के उमीदवारों के लिए उम्र, फीस, योग्यता के निम्नस्तर में कुछ छूट-छाट दी गयी है । डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर संस्था द्वारा डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं को दिया जाता है जो कमजोर वर्गों में सामाजिक समझ, उद्धार, परिवर्तन, क्षमता, न्याय और मानव गरिमा के लिए कार्य करते हैं । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कल्याण और विकास के अर्थ में राज्य में अलग विभाग और केन्द्र में विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति की गई है । इसके उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर इन जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है तथा राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा इन जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए विविध प्रकार की योजनाएँ शुरू की गई हैं।

केवल अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान

(1) संविधान की कलम 17 द्वारा अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है । अस्पृश्यता के संदर्भ में किसी भी स्वरूप में होनेवाला शोषण अमान्य है । अस्पृश्यता में से फलित होनेवाली किसी भी प्रकार की अयोग्यता का अमल करना कानून की दृष्टि में दण्डात्मक अपराध है ।

(2) आर्टिकल 25 के अनुसार राज्यों के सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक मानी जाये ऐसी हिन्दू धार्मिक संस्थाओं में हिन्दुओं के सभी वर्गों और विभागों के लिए सार्वत्रिक प्रवेश के लिए समान कानून बनाने, यदि इसके संबंध में लागू हो तो ऐसे कानून को चालू रखने का अधिकार है । इसमें हिन्दुओं के उल्लेख में सिक्ख,

जैन अथवा बौद्ध धर्म पालनेवाले और हिन्दू धार्मिक संस्थाओं के उल्लेख में सिक्ख, जैन अथवा बौद्ध धर्म पालनेवाली धार्मिक संस्थाओं का भी उल्लेख होता है ।

केवल अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान

आर्टिकल 19(5) के अनुसार राज्यों के राज्यपालों को अनुसूचित जनजातियों के हित में सभी नागरिकों को चाहे जिस प्रदेश में आने-जाने अथवा व्यापार धंधा करने के सामान्य अधिकार पर नियंत्रण करने की सत्ता देता है । इससे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में जमीन की फेर बदल, वित्त उधार तथा अन्य प्रकार से अनुसूचित जनजातियों का होनेवाला शोषण रोकने और उससे उनका रक्षण करने का विशेष कानून बनाने का अधिकार है ।

निष्कर्ष

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सरकार द्वारा विविध प्रकार की योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके कारण उन लोगों की स्थिति में सुधार हो रहा है । जिनमें से कई लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं ।

आतंकवाद-एक वैश्विक समस्या

इक्कीसवीं सदी में आतंकवाद मानव समाज के लिए एक समस्या बना हुआ है । विश्व के कुछ देशों द्वारा फैलाया जाने वाला आतंकवाद आज वैश्विक समस्या बन रहा है । आतंकवाद मानव अधिकारों का नाश, रक्तपात, विनाश, भय, अराजकता हिंसा, अशांति आदि उत्पन्न करता है । ऐसे तो आतंकवाद का किसी धर्म या संप्रदाय के साथ संबंध नहीं होता । इसके उपरांत आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने का कायरतापूर्ण और घृणास्पद कार्य करते हैं । आतंकवाद हिंसा संबंधी एक विचार है जो प्रकृति के सिद्धांत 'जियो और जीने दो' का खुल्लेआम उल्लंघन करता है ।

आतंकवाद कुछ गिने-चुने लोगों द्वारा संगठित, आयोजित और जानबूझकर किया जानेवाला अनैतिक और हिंसात्मक कृत्य है ।

आत्मघाती हमला करना, बॉम्ब विस्फोट, हथियार छिपाना और उनका उपयोग करना, अपहरण करना, विमानों का हाईजेक करना, पैसे वसूलना, नशीले पदार्थों की हेराफेरी करना आदि ऐसी हिंसात्मक प्रवत्तियाँ आतंकवादी करते हैं ।

भारत में विद्रोह और आतंकवाद

आतंकवाद और विद्रोही प्रवृत्ति के बीच बहुत सूक्ष्म अंतर है :

विद्रोह	आतंकवाद
• विद्रोह किसी एक राष्ट्र की समस्या है ।	• यह एक वैश्विक समस्या है ।
• यह अपनी सरकार के विरुद्ध एक प्रादेशिक स्तर पर फैला होता है ।	• यह अपने अथवा अन्य देश के विरुद्ध होता है । यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है ।
• यह स्थानीय लोगों के सहयोग से चलता है ।	• इसे स्थानीय सहयोग मिलता भी है और नहीं भी मिलता है ।
• विद्रोह से प्रभावित राज्यों या प्रदेशों का विकास रुक जाता है ।	• आतंकवाद से प्रभावित राष्ट्रों का विकास रुक जाता है ।

इस तरह देखें तो विद्रोह स्थानीय असंतोष से पैदा होता है और आतंकवाद के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। आज भारत आंतरिक विद्रोह और आतंकवाद से लड़ रहा है ।

नक्सलवादी आंदोलन

माओ-त्से-तुंग के नेतृत्व में चीनी क्रांति से प्रेरणा लेकर नक्सलवादी आंदोलन भारत में सर्वप्रथम ई.स. 1967 में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था । यह उग्रवादी विचारधारा पश्चिमी बंगाल के नक्सलबारी क्षेत्र से उद्‌भव होने से इसे नक्सलवाद कहते हैं । पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ यह आंदोलन झारखंड, बिहार, आंध्रप्रदेश, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्यप्रदेश में पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में फैला है । जिसमें पीपुल्स वॉर ग्रुप और माओवादी, साम्यवादी केन्द्र -ये दो संगठन मुख्य थे ।

उत्तर-पूर्व में विद्रोह

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक उत्तर-पूर्व में विद्रोह एक स्थायी समस्या बनी है । अनेक जनजातियाँ, वनाच्छादित पर्वतीय प्रदेश, भिन्न-भिन्न विद्रोही संगठनों के बीच तालमेल और कुछ क्षेत्रों की अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा विदेशी एजन्सियों का हस्तक्षेप आदि कारणों से इस क्षेत्र में विद्रोह की समस्या गंभीर बनी है ।

राज्य	विद्रोही संगठन
नागालैण्ड	एन. एस. सी. एन. (नेशनल सोस्यालिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैण्ड)
मणिपुर	के.एन.एफ. (कुकी नेशनल फ्रंट) के.एन.ए. (कुकी नेशनल आर्मी)
त्रिपुरा	एन.एल.एफ.टी. (नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा) ए.टी.टी.एफ. (ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स) टी.यु.जे.एस. (त्रिपुरा उपजाति जुपा समिति)
असम	उल्फा (युनाइटेड लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ असम) यु.एम.एफ. (युनाइटेड माइनोरिटी फ्रन्ट) एन.डी.एफ.बी. (नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोडोलैण्ड) बी.एल.टी.एफ. (बोडोलैण्ड, लिबरेशन टाईगर फोर्स)

इन विद्रोही संगठनों के बीच अलग राज्य की मांग, अपने राजनीतिक आर्थिक हित प्रस्थापित करने और गैरकानूनी निवास आदि समस्याओं से संघर्ष होता है और उनके कारण आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को हानि पहुंचती है ।

कश्मीर में आतंकवाद

15 अगस्त, 1947 के दिन भारत आजाद हुआ था । भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग राज्य बने । आजादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ भाग पर अपना कब्जा जमा रखा था । जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने पर भी पाकिस्तान बार-बार उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और इसके लिए उसने युद्ध भी किया है । प्रत्येक युद्ध में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को शर्मनाक पराजय भी दी है । ई.स. 1988 के बाद कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया है । अपहरण, हत्या, बम विस्फोट आदि प्रवृत्तियों द्वारा आतंकवादी भय फैला कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं । जिसके कारण कश्मीर के अनेक पंडित परिवारों को अपना घर-बार छोड़कर स्थलांतरण करना पड़ा है । ऐसे हजारों परिवार शरणार्थी के रूप में काश्मीर के बाहर जी रहे हैं । कश्मीर के आतंकवाद को सतत सीमा पार से मदद मिल रही है ।

आतंकवादियों का आशय भारत में भय और अस्थिरता उत्पन्न करनी है । आतंकवादी प्रवृत्तियों को बंद करने के लिए

भारत सख्त और मजबूत कदम उठा रहा है । भारत मात्र भारत में होनेवाले आतंकवाद का विरोध करता है ऐसा नहीं, किसी भी स्थान, किसी भी तरह और किसी भी समय होनेवाले आतंकवाद का विरोध करता है। इस आतंकवाद का सफाया हो उस उद्देश्य से भारत के अनेक सैनिक शहीद हुए हैं।

आतंकवाद के सामाजिक प्रभाव

- आतंकवाद समाज को विघटन की ओर ले जाता है।
- आतंकवादी भय, लूटमार, हिंसा जैसी प्रवृत्तियाँ करके लोगों में संदेह, भय उत्पन्न करते हैं। छोटे बालकों से लेकर वृद्धों पर इस भय का प्रभाव पड़ता है।
- आतंकवाद के प्रभाव से लोगों का एक-दूसरे पर विश्वास कम हो जाता है। परस्पर भाईचारे की भावना कम हो जाती है।
- कई बार सांप्रदायिक झगड़े उत्पन्न होते हैं और जिसके कारण समाज व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है। समाज में अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न होती है। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में लोग सामाजिक उत्सव उत्साह से मना नहीं सकते हैं। जिसके कारण लोगों को जोड़नेवाला आंतरव्यवहार समाप्त हो जाता है।

आतंकवाद के आर्थिक प्रभाव

- आतंकवाद के परिणाम स्वरूप व्यापार-उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहक वातावरण नहीं बन पाता है । उन क्षेत्रों के उद्योग-व्यापार का विकास रुक जाता है।
- व्यापार उद्योगों के ठप हो जाने से लोगों को अन्य प्रदेशों में व्यापार रोजगार के लिए स्थानांतर करना पड़ता है।
- कुछ आतंकवादी संगठन पूंजीपति, उद्योगपति, कर्मचारियों, व्यापारियों को डराकर धन वसूल करते हैं।
- आतंकवादी नशीले पदार्थों की हेराफेरी और कालाधन वगैरह असामाजिक कार्य करते हैं। जिससे देश में सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ उद्‌भव होती हैं ।
- आतंकवादी रेलवे, रेडियो स्टेशनों, मार्ग, पुल, सरकारी संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचाते हैं । जिससे इस संपत्ति की पुनः स्थापना के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं ।
- सरकार को सलामती और सुरक्षा हेतु करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं । जिससे समाज उपयोगी कार्य कम मात्रा में होता है ।
- आतंकवाद के परिणामस्वरूप राज्य और राष्ट्र के परिवहन उद्योग, पर्यटन उद्योग को आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ता है । इस प्रकार आतंकवाद सामाजिक, आर्थिक रूप से नुकसानदायक है, इससे इस समस्या का निवारण लाना अनिवार्य है ।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए :

(1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के लिए संवैधानिक प्रावधानों का परिचय दीजिए ।

(2) आतंकवाद के सामाजिक प्रभाव समझाइए ।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दासर उत्तर दीजिए :

(1) सांप्रदायिकता दूर करने के उपाय समझाइए ।

(2) अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए संवैधानिक प्रावधानों का परिचय दीजिए ।

(3) आतंकवाद के आर्थिक प्रभाव समझाइए ।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए :

(1) आतंकवाद और विद्रोह के बीच भेद स्पष्ट कीजिए ।

(2) नक्सलवादी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए ।

4. प्रत्येक प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए :

(1) भारत की सामाजिक संरचना किस पर आधारित है ?

(A) सांप्रदायिकता (B) जातिवाद (C) भाषावाद (D) वर्गवाद

(2) अनुसूचित जाति निश्चित करने के लिए किस बात को आधार माना जाता है ?

(A) अस्पृश्यता (B) धर्म (C) संप्रदाय (D) इनमें से एक भी नहीं ।

(3) संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार अस्पृश्यता समाप्त की गई है ?

(A) आर्टिकल 25 (B) आर्टिकल 29 (C) आर्टिकल 17 (D) आर्टिकल 46

(4) निम्नलिखित में से कौन-सी समस्या वैश्विक है ?

(A) जातिवाद (B) सांप्रदायिकता (C) भाषावाद (D) आतंकवाद

(5) जोड़ों में से सही विकल्प पसंद कीजिए :

राज्य	**विद्रोही संगठन**
(1) त्रिपुरा	(A) उल्फा
(2) मणीपुर	(B) एन. एस. सी. एन.
(3) नागालैण्ड	(C) ए. टी. टी. एफ.
(4) असम	(D) के. एन. एफ.

(A) 1-A 2-D 3-C 4-B (B) 1-C 2-D 3-A 4-B

(C) 1-C 2-D 3-B 4-A (D) 1-C 2-B 3-D 4-A

प्रवृत्ति

- सर्वधर्म समभाव विषय पर निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन कीजिए ।
- आतंकवाद को रोकने के उपायों पर चर्चा सभा का आयोजन कीजिए ।
- भारत की राष्ट्रीय एकता का पोषक हो, ऐसे समाचारों, फोटो का संग्रह करके स्क्रेप बुक बनाइए।
- भारत की उपलब्धियों, सांस्कृतिक एकता, विविधता में एकता, वैज्ञानिक उपलब्धियों, प्राकृतिक विशेषताओं आदि विषयों पर वक्ताओं के वक्तव्य का आयोजन कीजिए ।

21 सामाजिक परिवर्तन

समाज की रचना के ढाँचे में और विविध सामाजिक संस्थाओं में आनेवाले बदलावों को सामाजिक परिवर्तन के रूप में पहचाना जाता है। इसके साथ समाज की रचना और कार्यों में भी परिवर्तन आए उन्हें सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। पश्चिमीकरण, वैश्वीकरण और शहरीकरण के कारणों से सामाजिक संबंधों, पारिवारिक व्यवस्था, विवाह व्यवस्था, संस्कृति में लोगों की जीवनशैली, साहित्य, कला, संगीत और नृत्य के क्षेत्रों में अमूल सांस्कृतिक परिवर्तन आए हैं। जिसके कारण लोग एक-दूसरे की संस्कृति से परिचित हुए। भौतिक वस्तुओं, भोगविलास के साधन, आधुनिक उपकरणों का उपयोग तथा दैनिक जीवन की आधुनिक शैलियों में परिवर्तन आए हैं। समाज में भौतिक परिवर्तनों के माध्यम से लोगों का जीवनस्तर सुधरा है। जीवन शैली में पाश्चात्य संस्कृति की छटा देखने और अनुभव होने लगी है।

कानून का सामान्य ज्ञान और उसकी आवश्यकता

हमारे देश में साक्षरता की नीची दर, सामान्य रूप से दैनिक व्यवहार में आवश्यक हो ऐसे नीति-नियमों की जानकारी के अभाव के कारण लोगों को कानून की जानकारी न हो और वे कानून का उल्लंघन करें तो उन्हें सजा या दण्ड से माफी नहीं मिलती। इसलिए सामान्यरूप से प्रत्येक नागरिक को कानून का ज्ञान, समझ और जानकारी देना जरूरी बन जाता है।

कानून के सामान्य ज्ञान की आवश्यकता किसलिए ?

कानून की सामान्य जानकारी ज्ञान और समझ होना अत्यंत जरूरी है :

(1) कानून का सामान्य ज्ञान और कानून के दण्ड के माध्यम से प्रजा कानून का भंग करने या अपराधिक कार्य करने से रुकते हैं और दण्ड के प्रावधान से बच सकते हैं।

(2) शोषण और अन्याय के विरुद्ध लड़ने हेतु कैसे कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं, इसका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

(3) संवैधानिक अधिकारों और व्यक्तिगत हितों का रक्षण, अधिकार अच्छी तरह से भोग सकते हैं।

(4) व्यक्ति के रक्षण और उत्कर्ष के लिए बनाए गए विविध कानूनी व्यवस्थाओं से वे परिचित होते हैं।

(5) समाज, राज्य और राष्ट्र के प्रति उनकी वफादारी बढ़ती है।

(6) समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में अधिकारों से वंचित न रहे तथा सामान्य नागरिक के रूप में कर्तव्यों को अदा कर सके इसलिए।

(7) कानून की जानकारी और समझ से प्रत्येक व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा और गौरवपूर्ण जीवन जी सके इसके लिए कानून का सामान्य ज्ञान और जानकारी अत्यंत जरूरी है।

नागरिकों के अधिकार

सामाजिक परिस्थितियों के बीच कोई भी सामान्य व्यक्ति मानव अधिकारों के बिना अपना सर्वोच्च विकास नहीं सिद्ध कर सकता । मानव अधिकार नागरिकता का अनिवार्य लक्षण है। संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) ने अपने मानव अधिकारों के घोषणा पत्र (चार्टर ऑफ राइट्स) में सभी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना कुछ सामान्य अधिकार दिए हैं। उसके अनुसार विश्व के सभी राष्ट्र अपने नागरिकों को अधिकार सरल और सुगमता से प्राप्त हो सकें ऐसे प्रयत्न करें, ऐसा कहा गया है।

भारतीय संविधान में लोकतंत्र की स्थापना के लिए उसके प्रत्येक नागरिक को किसी भी भेदभाव के बिना छः मूलभूत अधिकार दिए गए हैं । जिसका विस्तार से अध्ययन हमने कक्षा 9 में किया है, इसलिए यहाँ इनका मात्र स्मरण करेंगे ।

नागरिकों के मूलभूत अधिकार निम्नानुसार हैं :

(1) समानता का अधिकार

(2) स्वतंत्रता का अधिकार

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार

(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

(5) सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार

(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

21.1 नागरिकों के अधिकार

यदि कोई भी राज्य अथवा राष्ट्र इन अधिकारों को भंग करके नागरिकों को उनके अधिकार से वंचित रखने का प्रयत्न करे तो नागरिक उसके संवैधानिक अधिकारों के रक्षण के लिए और न्याय प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) अथवा सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) का द्वार खटखटा सकता है। यह अधिकार नागरिकों को संवैधानिक उपचारों के अधिकार तहत प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहते है। न्यायतंत्र का कर्तव्य बनता है कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे और प्रत्येक नागरिक को सरल, सस्ता, तीव्र और प्रभावशाली न्याय प्रदान करे।

बालकों के अधिकार

हमारे समाज में सबसे असुरक्षित वर्ग बालक है। किसी भी देश के विकास का आधार उसके बालकों की सुरक्षितता, उनकी शिक्षा, संस्कार और उसे उपलब्ध करवाए गए विकास के अवसरों पर निर्भर करता है । यदि बालक शिक्षित, रक्षित और संस्कारों से संपन्न होगा तो वह अच्छा नागरिक बनकर परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में यथाशक्ति योगदान दे सकेगा इसलिए बालकल्याण को सिद्ध करना यह सामाजिक विकास की पूर्व शर्त है। यदि बालक राष्ट्र की संपत्ति है तो उनका लालन-पालन देखभाल और विकास बहुत ही अच्छी तरह, ध्यानपूर्वक, जिम्मेदारीपूर्वक करना ही पड़ेगा । बालक शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और सक्षम बने, मानसिकरूप से वे सचेत बनें, उनकी बौद्धिक शक्तियों का विकास हो, नैतिक मूल्यों के संवर्धन द्वारा वे स्वस्थ समझदार और जवाबदार नागरिक बनें यह देखना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है।

संयुक्त राष्ट्र ने ई.स. 1992 में अपने 'अधिकारों के घोषणा पत्र' में (चार्टर ऑफ राइट्स) बालकों के कल्याण और उनका विकास सिद्ध करने हेतु कुछ बाल अधिकार सार्वजनिक किए हैं। इन बाल अधिकारों को हमारे संविधान में स्थान देकर उन्हें व्यवहार में चरितार्थ करने का प्रयत्न किया गया है। जो निम्नानुसार हैं :

(1) जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म या राष्ट्रीयता के किसी भी भेदभाव बिना प्रत्येक बालक को जीवन जीने का जन्मजात अधिकार है।

(2) माता-पिता द्वारा बालकों का योग्य ढंग से पालन-पोषण हो तथा किसी खास कारण के बिना बालकों को उनके माता-पिता से अलग नहीं कर सकते हैं।

(3) बालक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके इसके लिए प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का मूलभूत और अब कानूनी अधिकार है।

(4) प्रत्येक बालक को अपनी वय स्तर के अनुरूप खेल-कूद और मनोरंजन की प्रवृत्तियों में भाग लेकर तंदुरस्त, स्वस्थ और आनन्दपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है।

(5) प्रत्येक बालक को अपने अंत:करण के अनुसार धर्म और उसके समुदाय में रहने तथा अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है।

(6) प्रत्येक बालक को अपना किसी भी प्रकार के होनेवाले शारीरिक और मानसिक शोषण तथा अत्याचार के विरुद्ध, नशीले पदार्थों के उपयोग के विरुद्ध, अमानवीय यातनाओं के विरुद्ध, दण्ड के विरुद्ध, रक्षा और सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

(7) प्रत्येक बालक को सामाजिक सुरक्षा द्वारा सामाजिक विकास साधकर तंदुरस्त जीवन स्तर प्राप्त करने का अधिकार है।

बालकों के शोषण और अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा

बालक बहुत ही संवेदनशील होता है। बालक को जानबूझकर या दुर्घटना स्वरूप शारीरिक चोट पहुँचानी, शारीरिक दण्ड, धमकी देना, कड़वे वचन या अपशब्दों का उपयोग करके उसका अपमान या सार्वजनिक मानहानि करना, लैंगिक प्रताड़ना और यौन शोषण करना, असह्य मार-पीट करनी-यदि ऐसे विविध प्रकार के शारीरिक या मानसिक अथवा दोनों प्रकार की हिंसा बाल-अत्याचार कहलाता है।

अधिकांश बालकों का शोषण या अत्याचार उनके सगेसंबंधियों, स्वजनों, निकटवर्ती मित्रों, पड़ोसियों, नजदीकी परिचित व्यक्तियों या माता-पिता द्वारा होने के समाचार, समाचारपत्रों, टी.वी. या अन्य संचार माध्यमों द्वारा दिखाई देता है तब हमारा कर्तव्य बनता है कि.....

(1) जब हम बालक के व्यवहार से या शारीरिक चोट के चिह्नों से परिचित होते हैं तभी उसका समय पर और उचित चिकित्सा उपचार करने में सहायता करनी चाहिए।

(2) सामान्य रूप से शोषण-पीड़ित बालक, भय, धमकी या शर्म संकोच के कारण और सामाजिक प्रतिष्ठा भंग होने के डर से घटना की जानकारी माता-पिता को कहने से संकोच तथा घबराहट अनुभव करके जानकारी छुपाते हैं और शोषण सहन करते हैं । इसलिए माता-पिता को बालकों का विश्वास संपादन करके वास्तविकता को सामाजिक डर को ध्यान में न रखकर जवाबदारों को सजा मिले इसलिए त्वरित कानूनी कदम उठाने चाहिए ।

(3) ऐसे शोषण और अत्याचारों का भोग बने बालकों के प्रति समाज और मित्रों द्वारा घृणा या तिरस्कार और अवगणना किए बिना उनके प्रति प्रेम और अपनी संवेदना प्रकट करके स्वीकृति के साथ सहानुभूति देनी चाहिए ।

बाल मजदूरी और उपेक्षित बालक

बाल मजदूरी वैश्विक समस्या है और प्रत्येक देश में बेखौफ चल रही है, जिस तुरन्त नियन्त्रण करना आवश्यक है। 14 वर्ष से कम उम्र के श्रमिक को बाल मजदूर या बालश्रमिक कहते हैं । युनिसेफ के लेख के अनुसार 'संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करते बाल श्रमिकों की संख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में विश्व में सबसे अधिक भारत में पाई जाती है ।'

21.2 बाल मजदूरी

भारतीय अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में ही बाल मजदूरी विपुल प्रमाण में पाई जाती है, जैसे होटलों, फैक्टरियों, निर्माण कार्य के क्षेत्र में, जोखमी व्यवसायों में जैसे कि पटाखों के व्यवसाय में, ईंट के भट्ठों में, कृषि के साथ संलग्न कार्यों में, कृषि मजदूर पशुपालन और मत्स्य उद्योग जैसी प्रवृत्तियों में पाया जाता है और सेवाक्षेत्र में घर में नौकर, चाय की लारी-गल्लों में, होटलों, ढाबों में, गैरेजों में, ठेला खींचने, अखबार वितरण, प्लास्टिक, भंगार बीनने जैसे कार्यों में, भीख माँगना तथा रास्ते पर साफ-सफाई के कार्य करते पाए जाते हैं ।

बाल मजदूरी के कारण

उपर्युक्त क्षेत्रों में बालमजदूरी की स्थिति अत्यंत दयनीय है । ये स्थितियां ही बाल अपराधी को जन्म देनेवाला एक जिम्मेदार कारक है । बालमजदूरी मजबूरीवश करने के पीछे अनेक कारण हैं : जैसे गरीबी, माता-पिता की निरक्षरता, परिवार का बड़ा आकार, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में परिवार की आय में बालमजदूरी करके वृद्धि करने के प्रयास, परिवार के वयस्क सदस्यों की बेकारी, घर से भागकर शहर में बसनेवाले लोगों को आश्रय का अभाव, उनके सगे-संबंधियों द्वारा और आश्रय देनेवालों द्वारा दिया जानेवाला आश्रय, भोजन के बदले में बलपूर्वक बाल मजदूरी करवाई जाती है । बाल श्रमिकों की मांग विपुल मात्रा में होने के कारण कई उद्योगों में मालिकों या काम पर रखनेवाले सेठ अपने यहाँ वयस्क श्रमिकों की अपेक्षा बालश्रमिकों को रोजगारी पर रखना अधिक पसंद करते हैं । नीचे के विविध कारणों से बालश्रमिकों की मांग विपुल मात्रा में पाई जाती है ।

बाल श्रमिकों की मांग विपुल मात्रा में होने के कारण

नीचे के विविध कारणों से बाल श्रमिकों की मांग विपुल मात्रा में पाई जाती है :

(1) बाल श्रमिक श्रम का सस्ते से सस्ता उत्पादन साधन है । वयस्क उम्र के श्रमिकों की अपेक्षा बालश्रमिकों से तुलनात्मक ढंग से कम वेतन, कम मजदूरी चुकाकर कार्य करवाया जा सकता है ।

(2) वे असंगठित होते हैं । संगठन के अभाव से वे मालिकों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए उनको खबर न पड़े इस तरह बाल श्रमिकों का सरलता से शोषण कर सकते हैं ।

(3) कठिन और जोखमी परिस्थितियों में भी कम वेतन पर और निर्धारित कार्य के घण्टों से अधिक काम करना हो तो धमकाकर या लालच देकर काम करा सकते हैं।

(4) बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है इसलिए आसानी से और अधिक मात्रा में वे मिल जाते हैं ।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव में, बालकों के पढ़ने की उम्र में परिवार के सदस्यों की आवश्यताएँ पूरी करने, कमानेवाले अधिक दो हाथ के रूप में माता-पिता बालकों को देखते हैं और बाल मजदूरी में धकेलते हैं ।

इस तरह बालक छोटी उम्र में खेल-कूद, मनोरंजन, आराम, बचपन, माता-पिता का प्रेम, गर्मजोशी, देख-भाल और शिक्षा से वंचित रह रहे हैं । उनमें से कुछ कोमल उम्र में अपराधिक प्रवृत्तियाँ करके बाल अपराधी बन रहे हैं ।

बाल मजदूरी रोकने के उपाय

बाल मजदूरी, बालशोषण और बाल अपराध को रोकने के लिए सरकार ने कुछ संवैधानिक प्रावधान, कानून बनाकर उनको लागू करके तथा बाल सुरक्षा, बाल कल्याण विकास संबंधित विविध योजनाएं लागू करके सहायता की है, जो निम्नानुसार हैं :

संवैधानिक प्रावधानों में - (अ) 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी प्रकार की नौकरी या धंधे पर नहीं रखा जा सकता । इसका उल्लंघन करनेवाले नौकरीदाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही द्वारा सजा दी जा सकती है । (ब) बचपन में और किशोरावस्था में उसका किसी प्रकार से शोषण न हो तथा उसे नैतिक सुरक्षा और भौतिक सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता । (क) संविधान के लागू होने के

21.3 बाल मजदूरी रोको

10 (दस) वर्षों में 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई है। इस सन्दर्भ में केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने 6-14 वर्ष के उम्र के सभी बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार संबंधी कानून 2009 में लागू किया है ।

वृद्धों और असहायों की रक्षा

वृद्ध और असहाय व्यक्तियों की समस्याओं का प्रश्न विश्वव्यापी है, परंतु वृद्धावस्था प्राकृतिक क्रम है । उसके जीवन की वृद्धावस्था में सुरक्षा और सुविधा के लिए समाज को चिंता और चिंतन करने का कर्तव्य है ।

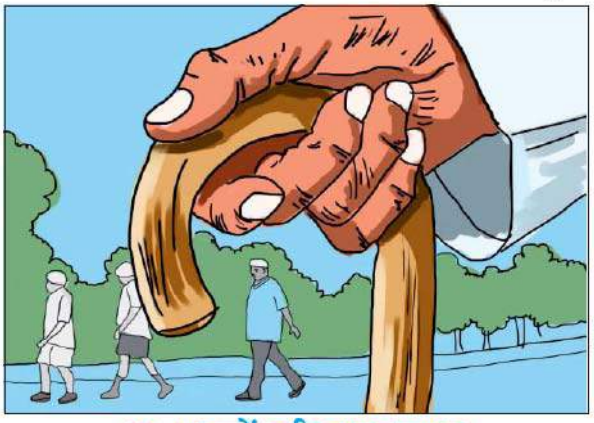

21.4 वृद्धों की रक्षा-सुरक्षा

भारत में स्वास्थ्य विषयक सेवाओं, आधुनिक चिकित्सा देखभाल, औषधीय सुविधाओं के कारण व्यक्ति की आज औसत आयु में 4.3 वर्ष की वृद्धि हुई है । 2001 से 2005 के समयांतर में भारत की प्रजा की औसत आयु 63.2 वर्ष थी, जबकि 2015 में बढ़कर औसत आयु 67.5 वर्ष हुई है । भारत में 2001 से 2011 के एक दसक में वृद्धों की संख्या में 2.75 करोड़ की वृद्धि हुई है । सन 2011 में एक अनुमान के अनुसार वृद्ध महिलाओं की संख्या 5.28 करोड़ थी, जबकि पुरुष वृद्धों की संख्या 5.11 करोड़ थी । भारत में सबसे अधिक वृद्धों की संख्या केरल में और सबसे कम संख्या अरुणाचल प्रदेश में है। गुजरात में वृद्धों की संख्या 35 लाख से अधिक है।

वृद्धों की बढ़ती संख्या और उनकी औसत आयु में वृद्धि होने से सामाजिक और शारीरिक समस्याओं को जन्म दे रही है ।

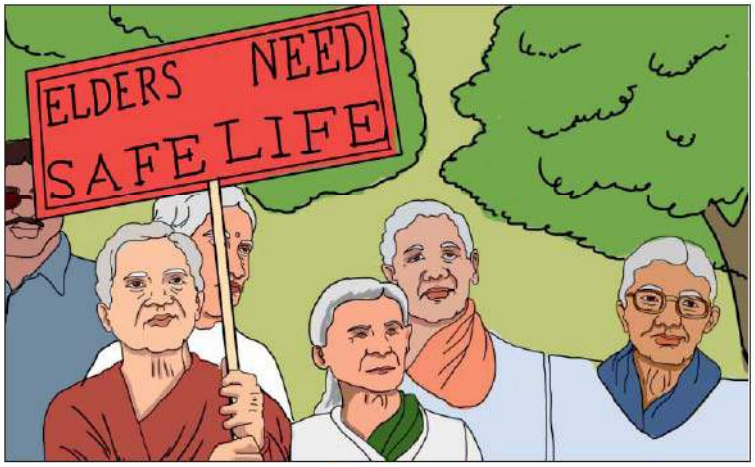

21.5 वृद्धों की रक्षा-सुरक्षा

पश्चिमी संस्कृति, विभक्त परिवारों में रहनेवाले खुले विचारों की संतानें इन वृद्ध माता-पिता के प्रति नैतिक कर्तव्यों, मूल्यों और संस्कृति को भूले हैं । वृद्ध माता-पिता को आर्थिक सहायता, संवेदना और भावशून्य व्यवहार में मजबूर होकर वृद्धाश्रमों में रहना पड़ता है । वृद्धों की समस्याओं के प्रति लोगों का ध्यान खींचने के लिए संयुक्त राष्ट्र (U.N.) ने सन् 1999 के वर्ष को अंतरराष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में घोषित किया था तथा प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर के दिन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'विश्व वृद्ध दिवस' के रूप में मनाया जाता है ।

वृद्धों और असहाय व्यक्तियों की रक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में सरकार द्वारा लिए गए कदम निम्मानुसार हैं :

- **वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति** - 1999 में केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई है । जिसके तहत वृद्धों को पेन्शन / आर्थिक सहायता दी जाती है । जैसे, इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना ।
- 'सीनियर सिटिजन्स' के लिए स्कीम के तहत वृद्धों को बैंक या पोस्ट ऑफिस में रखे डिपोजिट पर अधिक ब्याज की सुविधा, बस, रेलवे या हवाई यात्रा में पुरुष-स्त्रियों को टिकट की दर में 40 से 50 तक राहत दी जाती है ।
- राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक सुविधायुक्त वृद्धाश्रम खोले हैं, शहरों में वृद्धों के लिए अलग बगीचे खोले हैं । वृद्धाश्रमों में संगीत, योग, खेल-कूद और मानसिक क्षमता बढ़े, ऐसी प्रवृत्तियों द्वारा जीवन में शांति स्थापित करने का प्रयास किया है ।

वृद्धों की सुरक्षा और सलामती हेतु तथा घरेलू हिंसा, शोषण और अत्याचारों के विरुद्ध रक्षा हेतु सरकार ने 'माता-पिता और सीनियर सिटिजन्स की देखभाल और कल्याण संबंधी कानून 2007' लागू किया है । जिसके तहत वृद्धों को परेशान करने

वाली उनकी संतानों को सजा और दण्ड का प्रावधान किया गया है । वृद्धों की देखभाल की जिम्मेदारी कानूनी तौर से उनके परिवार वाले और सगे-संबंधियों को दी गई हैं । संतानों से कानूनी रूप से भरणपोषण प्राप्त करने के वे अधिकारी बने हैं । केन्द्र सरकार ने विशिष्ट योगदान के लिए प्रौढों को सम्मानित करने का कार्यक्रम लागू किया है ।

असामाजिक प्रवृत्तियाँ

''समाज में कानून द्वारा स्थापित नियमों के अधीन हो ऐसा व्यक्ति या समूह की प्रतिबंधित प्रवृत्ति या व्यवहारों को असामाजिक रूप में माना जाता है ।''

समाज में कुछ अपराधजन्य प्रवृत्तियाँ, असामाजिक और प्रतिबंधित प्रवृत्तियाँ हमें दिखाई देती हैं। जैसे खून, चोरी, अपहरण, लूटपाट, धोखाधड़ी, बलात्कार, छल-कपट और साइबर क्राइम आदि जिन्हें ब्ल्यू कॉलर अपराध कहते हैं ।

दूसरी तरफ समाज में लाँच, रिश्वत, भ्रष्टाचार, करचोरी, संग्रहखोरी, मिलावट, काला बाजार, जमीन को दबाना (गैरअधिकृत कब्जा लेना) आदि व्हाइट कॉलर अपराध है ।

भ्रष्टाचार :

भ्रष्टाचार वैश्विक दूषण है । विश्व बैंक की व्याख्या के अनुसार ''भ्रष्टाचार अर्थात् सार्वजनिक पद या सत्ता का व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए उपयोग करना ।'' इस प्रकार भ्रष्टाचार पद और सत्ता के दुरुपयोग से जन्मता है । भारतीय समाज के कुछ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार व्यापक स्वरूप में पाया जाता है । भ्रष्टाचार आचरणकर्ता दोनों देनेवाला और लेनेवाला कानूनी तौर से अपराधी है और सजा का पात्र है ।

भ्रष्टाचार : देश और विदेश में

वर्तमान समय में भ्रष्टाचार विश्व के अनेक देशों में कम या अधिक प्रमाण में व्याप्त है। भ्रष्टाचार का आचरण विविध स्वरूपों में पाया जाता है ।जिसमें मुख्यत: नगद लेन-देन, भेट-सौगाद, कीमती आभूषण और चीज-वस्तुओं या विदेशी प्रवास के स्वरूप में, पक्षपाती व्यवहार, निर्णय में प्रभाव, भाई-भतीजावाद, लाभकारी एहसास करना आदि स्वरूपों में पाया जाता है।

भ्रष्टाचार के अर्थतंत्र और समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं जो निम्नानुसार हैं :

- समाज में भ्रष्टाचारी आचरण से नैतिक मूल्यों और सामाजिक नीति नियमों का स्तर गिरा है ।
- अर्थतंत्र में काले धन की समस्या उद्‌भव होती है, जो राष्ट्र के विकास के लिए अवरोध है ।
- राज्य के कानूनों, न्याय प्रणाली, सत्ता और प्रशासनतंत्र पर लोगों का विश्वास घटता है । प्रमाणिक व्यक्ति हताशा और निराशा अनुभव करता है।
- मानव अधिकारों का हनन होता है । जिसके माध्यम से समाज में अन्याय और आय की असमानता उद्‌भव होती है, जिससे वर्ग विग्रह उत्पन्न होता है ।
- भ्रष्टाचार से लोगों में नैतिकता और राष्ट्रीय चरित्र खतरे में पड़ता है और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का स्तर नीचा गिरता है ।

भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उपाय

भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय निम्नानुसार है :

(1) भारत में 1964 में 'केन्द्रीय लाँच रिश्वत विरोधी ब्यूरो' की स्थापना की है, जो सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आचार को नेस्तनाबूद करने का प्रयास करता है । भ्रष्टाचारी को रंगे हाथों पकड़कर उसके विरुद्ध कानूनी दण्डात्मक कार्यवाही करता है ।

यह सरकार का एक स्वतंत्र और अलग विभाग है । गुजरात में इसका मुख्यालय शाहीबाग, अहमदाबाद में स्थित है । सार्वजनिक जनता की भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत हो तो वह हेल्पलाइन फ्री नंबर 1800 2334 4444 पर शिकायत कर सकता है ।

(2) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी नियम-1988 बनाया जिसका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन को शुद्ध करना और सत्ता या पद का दुरुपयोग होने से रोकना है ।

किसी भी सार्वजनिक सेवक या उच्च पदाधिकारियों, राजनेताओं का पद या उच्च पदाधिकारी पहले अपनी संपूर्ण संपत्ति की जानकारी शपथनामों करके घोषित करना अनिवार्य है । यदि उनके कार्यकाल के दरम्यान उनकी आय से अधिक संपत्ति रखते पकड़े जाए तो दण्डात्मक अपराध है । ऐसी संपत्ति या बेनामी संपत्ति सरकार स्वयं जप्त कर लेती है ।

(3) 'सूचना का अधिकार-2005' और 'नागरिक अधिकार पत्र' पेश किया जिसके पीछे सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक कार्य नियमित समयसीमा में काम पूरा करने का आदेश देकर अपने क्षेत्र और सत्ता के अधीन कार्य में विलंब दूर करके पारदर्शक और सरल प्रशासन की सार्वजनिक जिम्मेदारी बढ़ाने का उद्देश्य है ।

(4) केन्द्र सरकार ने वर्तमान में ब्लेक मनी एक्ट-2005 बनाया, जिसमें भ्रष्टाचार को अपराधिक स्वरूप में समावेश किया है । इसके उपरांत फेमा (FEMA) (फोरेन एक्सचेंज मैनेजमेन्ट एक्ट) कानून तथा 'मनी लेन्डरिंग एक्ट' में तथा कस्टम एक्ट की धारा-132 में सुधार किया । लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति करके कालाधन को खोजने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के प्रयास किए हैं ।

(5) सरकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त सत्ता का बेहिसाब उपयोग और भ्रष्टाचार की फरियाद के आधार पर विभागीय जाँच का कार्य 'गुजरात सतर्कता सेवा आयोग', गांधीनगर कर रहा है ।

21.7 सूचना के अधिकार का कानून

सूचना प्राप्त करने का अधिकार संबंधित अधिनियम-2005 (RTI-2005) : सूचना प्राप्त करने का अधिकारसंबंधी अधिनियम दिनांक 15 जून, 2005 के दिन लागू किया । यह जम्मू-कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू होता है । यह धारा देश की गुप्तचर संस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सलामती एकता और अखण्डता को स्पर्श करती हो ऐसी बाबतों की संस्थाएँ और विदेशी राजदूतों के कार्यालय सहित कुछ अपवाद के सिवा सभी संस्थाओं के ऊपर लागू होता है । गुजरात सरकार ने इस वैधानिक प्रावधानों के अधीन "गुजरात सूचना अधिकार संबंधी नियम-2005" 5 अक्टूबर-2005 के दिन घोषित कर लागू किया है । पारदर्शक, स्वच्छ, सरल और तीव्र प्रशासनिक कार्य हो और उसमें जनता का सहयोग प्राप्त करना इस धारा का मूल रहा है । इस वैधानिक प्रावधान के तहत कोई भी नागरिक अपने अटके कार्यों के संबंध और योजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से, प्रजालक्षी कार्यों की सफलता और स्थिति के संबंध में संबंधित विभाग के ऊपरी अधिकारी को प्रश्न पूछ कर सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

सूचना किस तरह प्राप्त करें ?

इस अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक को निश्चित नमूने में निर्धारित शुल्क की रकम (वर्तमान में ₹ 20 (बीस) नगद में अथवा पोस्टल ऑर्डर, पे-ऑर्डर या नोन ज्यूडिशियल स्टेम्प आवेदन के साथ जोड़ना होता है । यह आवेदन स्वहस्ताक्षर में टाइप किया हुआ या ईमेल द्वारा भी किसी भी विभाग में कर सकते हैं । बी.पी.एल. की सूची के परिवार के व्यक्तगित किसी भी फीस और नकल का चार्ज चुकाना नहीं होता । सूचना के आवेदन में किस कारण सूचना मांगी है उसके

कारण जानने की आवश्यकता नहीं। आवेदन मिलने की रसीद नमूने में सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी (PIO) वह आवेदन का क्रमांक (ID नंबर) देकर आवेदक को एक नकल देगा। उसके बाद आवेदन के संदर्भ में पत्रव्यवहार में क्रमांक दर्शाना होता है।

सूचना प्राप्त करने के आवेदन स्वीकार करने के 30 (तीस) दिन में आवेदन का निकाल APIO करेगा। यदि कोई नमूना या नकल मांगी हो तो कानून में निर्धारित मात्रानुसार आवेदक से फीस या चार्ज वसूल करके सूचना का उत्तर देगा। यदि सूचना राष्ट्र के सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय हित या सुरक्षा को स्पर्श करती गोपनीयता की बातों, अदालती तिरस्कार हो सके ऐसी, वैज्ञानिक रहस्यों या अपराध को उत्तेजन मिले, ऐसी सूचना देने के लिए इन्कार कर सकता है।

अपील का प्रावधान

यदि किसी भी विभाग में 30 (तीस) दिन में सूचना का निकाल न हो या सूचना देने से इन्कार करे तो असंतुष्ट व्यक्ति (पक्ष) सार्वजनिक सूचना अधिकारी (PIO) के आदेश मिलने के 30 (तीस) दिन में प्रथम अपील कर सकता है । इसके लिए आवेदक को कोई फीस की रकम नहीं चुकानी होती है ।

प्रथम अपील में निर्धारित समय सीमा में निर्णय की जानकारी न हो या सूचना के इंकार से नाराज हुए पक्षकार 90 (नब्बे) दिन में राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी को दूसरी अपील कर सकता है ।

दण्ड का प्रावधान

यदि कोई भी सूचना अधिकारी उचित कारणों के बिना सूचना देने से इन्कार करे, गलत इरादे से सूचना छुपाए, जानबूझ कर अधूरी या गलत और गलतमार्ग की ओर ले जानेवाली सूचना दे या सूचना का नाश करे ऐसे किस्सों में सूचना के विलंब के बदले जितने दिन विलंब हो उतने दिन (प्रति दिन) नियमित रकम के अनुसार दंड दोषित सूचना अधिकारी को देना होता है ।

सूचना के अधिकार के कानून का उपयोग तथा विशेष जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए देश की सर्व प्रथम हेल्प लाइन नंबर 9924085000 पर सार्वजनिक अवकाश के दिनों के सिवाय कार्य दिवसों में जान सकते हैं। इससे अधिक इस धारा के तहत 'नागरिक अधिकार पत्र' घोषित हुआ है, जिससे किसी भी कार्यालय में काम के निकाल का पहले से समयमर्यादा निश्चित की गई है, इससे आवेदन के संदर्भ में क्या स्थिति है यह जान सकते हैं। गुजरात सरकार ने 'कोमन सर्विस पोर्टल' सेवा शुरू की है, जिस पर नागकिर 28 सेवाओं के संदर्भ में ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेजों की जांच, पेमेन्ट जैसी सुविधा और आवेदन की ताजी स्थिति 24 × 7 दिन में जान सकता है । भ्रष्टाचार को समाप्त करने का यह एक क्रांतिकारी अधिनियम है।

बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का कानून–2009 (RTE-2009)

21.8 Right To Education

केन्द्र सरकार ने 2009 के वर्ष में बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का कानून लागू किया, इस कानून के अनुसार गुजरात सरकार ने दिनांक 18 फरवरी, 2012 के दिन ''बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का नियम – 2012'' घोषित किया है ।

यह कानून क्यों ?

भारतीय संविधान के 86 वें संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया गया है । बालकों की मानवीय क्षमताओं के शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास के

लिए जरूरी शिक्षा के अवसर उत्पन्न करने की दिशा में तथा गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा की माँग को पूरा करने की दिशा में यह कानून एक महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

(1) इस कानून में बालक के शिक्षण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर विद्यालयी शैक्षणिक सुविधाओं और भौतिक सुविधाओं के निश्चित मानदण्ड निर्धारित किए हैं और उसके अनुसार कक्षा में, प्रयोगशाला में, शुद्ध पीने का पानी, बिजली, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था और गुणवत्ता, शिक्षकों की योग्यता और नियुक्ति के मानक, विद्यालयों को आर्थिक सहायता के रूप में दिए जानेवाले अनुदान की व्यवस्थाएँ निर्धारित की गई है। जिसमें कुछ नीचे दिए अनुसार हैं :

(2) इस कानून में 6 से 14 वर्ष की उम्रवाले प्रत्येक बालक को उसके आवास के नजदीक हो ऐसे विद्यालय में प्रवेश देना। उम्र के आधार सबूत के रूप में जन्म प्रमाणपत्र न होने के कारण कोई भी प्रवेश देने से इन्कार नहीं कर सकता है।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी करें तब तक अर्थात् 14 वर्ष पूरे हुए तो भी उसकी शिक्षा चालू रखकर उसे मुफ्त शिक्षण देना है।

(4) प्रवेश देते समय बालक की उम्र 6 वर्ष होनी चाहिए और उसके पास जन्म का प्रमाण न हो तो भी हॉस्पिटल का रिकोर्ड माँ–बाप के उम्र संबंधी शपथनामा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

(5) विद्यालय में किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना प्रवेश देने का आदेश है।

(6) प्रवेश के समय दान या केपिटेशन फीस के स्वरूप, अन्य डिपोजिट के रूप में या अन्य किसी भी फीस के रूप में रकम नहीं वसूल सकते हैं।

(7) प्रवेश के समय बालक और माता–पिता का इन्टरव्यू लेकर प्रवेश देना या माता–पिता की आय और शैक्षणिक योग्यता या अयोग्यता के आधार पर प्रवेश परीक्षा लेकर प्रवेश नहीं दे सकते हैं।

(8) 3 से 5 वर्ष की आयु सीमा के बालकों की शिक्षा के लिए प्रि–स्कूल के (बालमंदिर) शिक्षा, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और उनके शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण संबंधित नियम प्रथम बार बनाकर क्रांतिकारी कदम उठा करके नर्सरी के कानून में शामिल किया गया है।

(9) कमजोर वर्गों या पिछड़े वर्गों (SC और ST) में से पाठ्यक्रम प्रवेश के इच्छुक बालकों को उनको कानून में दर्शाई गई पहचान के आधार पर पी.पी.एल. की सूची के परिवारों के बालकों को सरकार मान्य निजी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 (एक) में वर्ग की कुल क्षमता से 25 प्रतिशत की सीमा में अनिवार्य प्रवेश देने का आदेशात्मक प्रावधान इस कानून में किया गया है।

(10) विद्यालय के शिक्षक निजी ट्यूशन की प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं।

(11) विद्यालय के कम योग्यतावाले शिक्षकों को 5 वर्षों में निर्धारित स्तर की शैक्षणिक योग्यताएँ प्राप्त करनी होती हैं।

(12) स्थानान्तरण के सिवाय प्राथमिक शिक्षा पूरी न करें तब तक बालकों को विद्यालय से निकाला नहीं जा सकता है।

(13) निजी प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त SC, ST के बालकों की फीस चुकाने की शर्तों के अधीन सरकार उस विद्यालय को चुका देगी।

(14) इस कानून के प्रावधान के पालन के अर्थ में एकांत व्यवस्थातंत्र, ट्रिब्यूनल या राज्य काउन्सिल जैसा प्रावधान किया है। इस अधिनियम के भंग के बदले विद्यालय संचालकों को दण्ड तथा विद्यालय की मान्यता समाप्त (रद्द) करने तक का प्रावधान कानून में है।

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कानून – 2013 (RTE-2013)

अन्न सुरक्षा अर्थात् ''प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर समय सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त पौष्टिक आहार की प्राप्ति।''

केन्द्र सरकार द्वारा दिनाक 15 जुलाई, 2013 के दिन से यह विधेयक लागू हुआ।

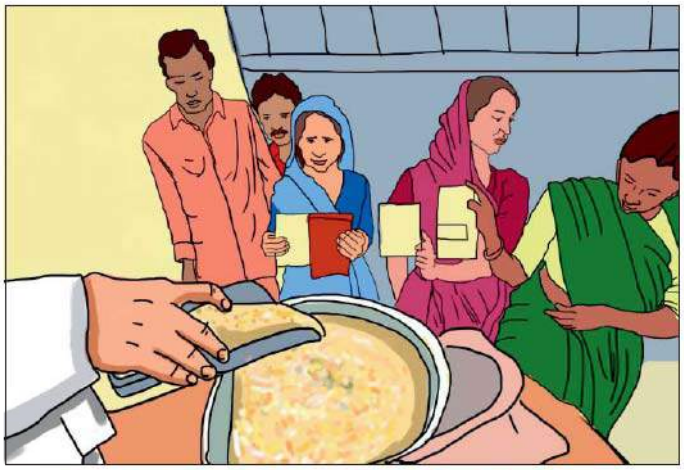

21. अन्न सुरक्षा धारा-2013 उचित मूल्य/मुफ्त अन्न सहायता

अन्न सुरक्षा विधेयक की आवश्यकता (उद्देश्य)

(1) देश की बढ़ती जनसंख्या की अनाज की कुल माँग को संतुष्ट करना तथा प्रत्येक समय पर्याप्त मात्रा में सस्ती दर पर, गुणवत्तायुक्त अनाज की पूर्ति करना।

(2) बालकों और प्रजा में कुपोषण की समस्या के निवारण हेतु उचित प्रबंध करना और पौष्टिक आहार के कुल उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन देना।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक सुदृढ़, पारदर्शक और सरल बनाना।

(4) अंत्योदय योजना और बी.पी.एल.की सूची में दर्ज अग्रिम परिवारों को अन्न सुरक्षा, पौष्टिक आहार के रूप में पर्याप्त मात्रा में राहत दर पर अनाज उपलब्ध करवाने और आनुषंगिक मामलों में सरलता से मिलता रहे, इसलिए।

(5) गर्भवती स्त्रियाँ, स्तनपान कराती महिलाओं (धात्रीमाताओं) को पर्याप्त मात्रा में अनाज की आवश्यकता की सहायता के लिए।

कुछ विधायी प्रावधान :

- इस धारा के अन्तर्गत और 'माँ अन्नपूर्णा योजना' के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जरुरतमंद, मध्यमवर्ग के गरीब परिवारों की उचित मूल्य पर अनाज वितरण किया जाता है, इसके अनुसार राज्य के अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किग्रा. अनाज मुफ्त में दिया जाता है।
- इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को अनाज में गेहूँ ₹ 2-00 प्रति किलो और चावल ₹ 3-00 प्रति किलो और मोटा अनाज ₹ 1-00 प्रति किलो भाव से समय पर, निश्चित मात्रा में, गुणवत्तायुक्त अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत निश्चित शर्तों पर उपलब्ध करवाया जाता है।
- गर्भवती स्त्रियों को प्रसूति सहायता में ₹ 6000 की रकम केन्द्र सरकार द्वारा चुकाई जाती है।
- इस विधेयक के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को भोजन और अनाज के बदले में 'अन्न सुरक्षा भत्ता' प्राप्त करने का अधिकारी बनाता है।
- इस धारा के अनुसार 'गुजरात सरकार' अंत्योदय और बी.पी.एल. परिवारों को प्रति माह चीनी, आयोडाइज नमक, केरोसीन और वर्ष में दो बार खाद्यतेल का राहत दर पर वितरण रेशनिंग की दुकानों द्वारा किया जाता है।
- राज्य सरकारें इन अग्रिम परिवारों की सूची को आधुनिक बनाएगी और सुधारेगी तथा ऐसे नामों की सूचियाँ (परिवार की महिलाओं के नाम) ग्रामपंचायत, ग्रामसभा में, वॉर्ड सभा में, ई-ग्राम और उचित मूल्य की दुकानों, मामलतदार के कार्यालय, आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगी।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करके उसे सुदृढ़ बनाकर, भ्रष्टाचारमुक्त वितरण व्यवस्था हेतु बायोमेट्रिक पहचान, 'एपीक कार्ड, बारकोडेड रेशनकार्ड, अन्न कूपन तथा वेब कैमरे से इमेज लेने के कदम उठाए हैं।'
- इस विधेयक के तहत 'आंतरिक शिकायत, निवारण केन्द्र' खड़े करना और शिकायतें निवारण हेतु, 'मॉडेल अधिकारी' नियुक्त करने में अनाज व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण तथा शिकायत के अर्थ में 'राज्य अन्न आयोग' की रचना और फूड़ कमीश्नर की नियुक्ति करेगा। इस प्रकार 'राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा धारा' के अनेक प्रावधान के अंतर्गत 'माँ अन्नपूर्णा योजना' के माध्यम से गुजरात के लगभग 3.82 करोड़ जरूरतमंद नागरिकों को सस्ती दर पर अनाज देने की कल्याणकारी योजना राज्य सरकार ने लागू करके स्वागत योग्य कदम उठाए है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए :

(1) भारतीय संविधान में किन बाल अधिकारों का समावेश किया गया है।

(2) वृद्धों की समस्याओं का वर्णन तथा उनके रक्षण और कल्याण संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

(3) सूचना प्राप्त करने के अधिकार के उद्देश्य बताकर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाइए।

(4) बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षण का अधिकार के मुख्य प्रावधानों को समझाइए।

(5) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा धारा के माध्यम से अनाज संबंधी विविध कार्यक्रमों के अनाज वितरण संबंधी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दासर दीजिए :

(1) सामाजिक परिवर्तन होने के मुख्य कारण समझाइए।

(2) कानून के सामान्य ज्ञान की जानकारी क्यों अनिवार्य बनी है ?

(3) 'बाल विकास यह आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है' समझाइए।

(4) भ्रष्टाचार को समाप्त करने के कानूनी प्रयास बताइए।

(5) अन्न सुरक्षा विधेयक के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए :

(1) बाल श्रमिक की माँग का प्रमाण क्यों अधिक होता है ?

(2) नागरिकों के मूलभूत अधिकार समझाइए।

(3) बाल मजदूरी के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए।

(4) भ्रष्टाचार मूल्यवृद्धि का एक कारण है, क्यों ?

(5) 'माँ अन्नपूर्णा योजना' के महत्त्वपूर्ण प्रावधान बताइए।

4. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए :

(1) भारतीय समाज में परिवर्तन लानेवाला मुख्य परिबल कौन-सा है ?

(A) रूढ़ियाँ-परंपराएँ (B) लोकमत (C) पश्चिमीकरण (D) साक्षरता

(2) मानव अधिकारों का घोषणा-पत्र किसने पेश किया ?

(A) ग्रेटब्रिटेन (B) संयुक्त राष्ट्र (C) युनिसेफ (D) विश्व बैंक

(3) 'विश्व वृद्ध दिवस' किस तारीख को मनाया जाता है ?

(A) 8 मार्च (B) 1 अक्टूबर (C) 1 अप्रैल (D) 15 जून

(4) निम्नलिखित में से किस सूचना को देने से इन्कार किया जा सकता है ?

(A) चुनाव (B) सरकारी योजनाएँ

(C) न्यायिक चुकादा (D) राष्ट्रीय अखंडितता, सार्वभौमिकता सम्बन्धी

(5) मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के कानून में किस बात पर रोक लगाई गई है ?

(A) जन्म के सबूत के बिना प्रवेश (B) विशेष प्रशिक्षण की सुविधा

(C) प्रवेश परीक्षा बिना प्रवेश (D) प्रवेश बिना केपिटेशन फीस

(6) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक सक्रिय बनाने के लिए किस नयी बात को अमल में रखा गया है ?

(A) बारकोडेड रेशनकार्ड (B) ए.टी.एम. कार्ड

(C) बायोमेट्रिक पहचान (D) चुनाव का पहचान-पत्र

प्रवृत्ति

- अपने आस-पास के स्थलों पर कार्यरत बाल मजदूरों का सर्वे कीजिए। उनके परिवार, शिक्षा, कार्य स्थिति-प्रकार, शोषण या अत्याचार संबंधी सूचना पर लेख तैयार कीजिए।
- जिले में स्थित 'वृद्धाश्रमों' की मुलाकात कर वृद्धों की समस्याएँ, उनकी प्रवृत्तियों और उनको मिलती सुविधाओं की चित्रात्मक रिपोर्ट बनाइए।
- 'बाल दिवस -14 नवम्बर' को मनाकर बाल मजदूरी के विरुद्ध अभियान के रूप में एक जनजागृति रैली का आयोजन कीजिए।
- सस्ते अनाज की दुकानों और अन्य दुकानों पर मिलनेवाला अनाज, तेल, चीनी, नमक आदि मूल्यों, गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। (पिछले वर्षों की विगतों के आधार पर)
- मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार में किए गए प्रावधानों के आधार पर अपने प्राथमिक विद्यालय का मूल्यांकन करके एक लेख तैयार कीजिए और त्रुटियाँ दूर करने हेतु संचालकों से निवेदन कीजिए।

●●●